राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2015–16

मानगढ धाम शहीद स्मारक पर आदिवासी बलिदान दिवस
के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा (दिनांक 17.11.2015)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर

माननीय राज्यपाल महोदय मां-बाडी केन्द्र, बीलाघाटी ग्राम पंचायत खरबर, पंचायत समिति सराडा, जिला उदयपुर में मां-बाडी के बच्चों से रूबरू होते हुए

राजस्थान जनजाति सलाहकार परिषद की कॉन्फ्रेंस हॉल, शासन सचिवालय, जयपुर में दिनांक 26.11.15 को आयोजित बैठक

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2015–16

मानगढ़ धाम शहीद स्मारक

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

उदयपुर

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	1–9
2.	जनजाति विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/घोषणाओ की प्रगति	10–46
3.	जनजाति विकास के प्रमुख कार्यक्रम/योजनाऐं	47–66
4.	विभाग से सम्बद्ध संस्थाओं/परियोजनाओं का प्रशासनिक प्रतिवेदन	67–82
5.	अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अधिनियम/नियम/परिपत्र	83–85

परिशिष्ठ

1.	अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	86
2.	माडा क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	87-88
3.	माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	89
4.	बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण	90
5.	सहरिया क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण	91
6.	जिलानुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या (प्रत्येक जनजाति के लिए अलग से)	92-93
7.	अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य के मनोनीत आदेश	94
8.	विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावास	95-104
9.	आश्रम छात्रावासों में प्रवेश एवं क्षमता का विवरण	105
10.	विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय	106
11.	विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल/ मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल	107
12.	विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावास	108
13.	विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावास/आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत पदो का विवरण	109
14.	विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल/मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूलों मे स्वीकृत पदो का विवरण	110
15.	अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय सेवा के अतिरिक्त अन्य सभी राजकीय सेवाओं पदो पर सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति के स्थानीय सदस्यों के अभ्यार्थियों का आरक्षण संबंधी अधिसूचना दिनांक 16.06.2013	111-113
16.	कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16 .06.13 के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 16.04.15	114

17.	अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों (मूल निवासी) को विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र प्रदान किये जाने की गृह (ग्रुप– 9) विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.07.13	115-117
18.	अनुसूचित क्षेत्र के गैर आदिवासी स्थानीय निवासियों को विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी किये जाने की गृह (ग्रुप–9) विभाग की आज्ञा दिनांक 09.09.13	118-119
19.	सहरिया क्षेत्र में आरक्षण संबंधी कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.07	120
20.	अनुसूचित क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं के मापदण्ड राज्य के बारां जिला की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया क्षेत्र में लागू संबंधी आदेश दिनांक 25.11.2004	121
21.	बी.पी.एल. परिवार को प्रदत्त सुविधाऐं बारां जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसील में निवास करने वाले भील परिवारों के लिए लागू करने संबंधी आदेश दिनांक 30.09.2005	122
22.	बी.पी.एल. परिवारों के प्रदत्त सुविधाएं कथौडी जनजाति एवं बारां (शाहबाद व किशनगंज तहसील) में निवासरत सहरिया परिवारो को भी उपलब्ध कराने संबंधी आदेश दिनांक 25.10.2005	123
23.	बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजना जिन्हें पुनः चालू कराया गया	124

RAJASTHAN
TRIBAL SUB PLAN AREA

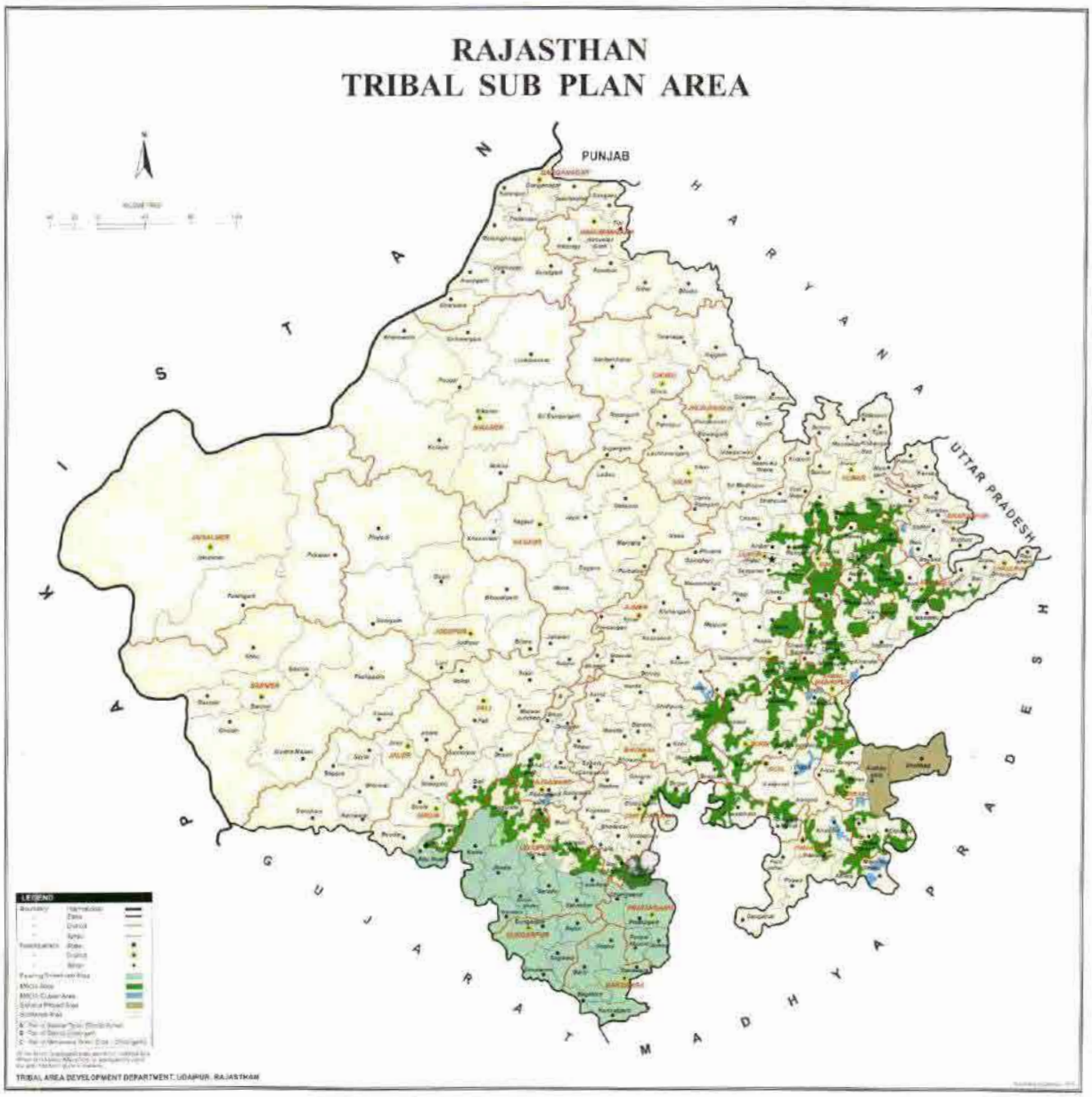

TRIBAL AREA DEVELOPMENT DEPARTMENT, UDAIPUR, RAJASTHAN

अध्याय – 1

अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

स्थापना

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण हेतु राज्य की कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार किया गया है, इन्ही शक्तियों के आधार पर राजस्थान में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गयी। जिससे एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये कार्यक्रमों के विकास के लिये कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना और समन्वय किया जा सकें।

उद्धेश्य

विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना एवं अनुसूचित क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण, समन्वय, नियंत्रण एवं निर्देशन कर जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास करना तथा जनजाति वर्ग के जीवन स्तर का उन्नयन करना है।

अनुसूचित क्षेत्र

संविधान की पांचवी अनुसूची के भाग–ग के अनुसार "अनुसूचित क्षेत्र" पद से ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत है, जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें।

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.02.1981 से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को राजस्थान राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है।

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद (TAC)

संविधान की अनुसूची 5 के पैरा 4 पार्ट बी के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है उसमें एक अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद का प्रावधान है।

इस परिषद के गठन का उद्धेश्य जनजाति विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा करना तथा नई योजनाओं के लिए परामर्श देना है तथा राज्य की अनुसूचित

जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह देना है जो राज्यपाल उन्हें निर्दिष्ट करें।

प्रशासनिक सुधार (अनु.3) विभाग ने उनके आदेश क्रमांक प.6(32)प्रसु/अनु–3/91 दिनांक 06.06.14 से राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद्, 1980 के नियम 3,4 व 5 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए परामर्शदात्री परिषद् का पुनर्गठन किया गया। उक्त समिति में राजस्थान विधानसभा सदस्यों का मनोनयन आगामी विधानासभा चुनाव तक व अन्य गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन दो वर्ष के लिए किया गया।

उक्त पुर्नगठित राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद की दिसम्बर, 2015 तक कुल 2 बैठक क्रमशः दिनांक 18.12.2014 एवं 26.11.2015 को आयोजित हो चुकी है।

अनुसूचित जनजाति

"अनुसूचित जनजातियों" शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, "ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंतर्गत भागों या समूहों, जिन्हे संविधान के प्रयोजन के लिये अनु. 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियाँ होना समझा जाता है।"

राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सूची –

क्र.सं.	अनुसूचित जनजातियां
1.	भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील, डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तड़वी भील, भगालिया, भिलाला, पावरा, वसावा, वसावें
2.	भील मीना
3.	डामोर, डामरिया
4.	धनका, तडवी, वलवी, तेतारिया
5.	गरासिया (राजपूत, गरासिया को छोडकर)
6.	काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी
7.	कोकना, कोकनी, कूकना
8.	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा
9.	मीना
10.	नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका, कापडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका
11.	पटेलिया
12.	सेहरिआ, सेहारिआ, सहारिया

* जिलानुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या (प्रत्येक जनजाति के अलग से) परिशिष्ठ–6 पर है।

भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत भारत के निम्न राज्यों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, जो कि वर्तमान में उनके मूल अथवा संशोधित रूप में है–

क्र.सं.	राज्य का नाम	अधिसूचना जारी होने की दिनांक	आदेश
1.	आन्ध्र प्रदेश एवं तेलगांना	26.01.1950 07.12.1950	अनुसूचित क्षेत्र (भाग अ राज्य) आदेश, 1950 अनुसूचित क्षेत्र (भाग ब राज्य) आदेश, 1950
2.	हिमाचल प्रदेश	21.11.1975	अनुसूचित क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश) आदेश, 1975
3.	गुजरात	31.12.1977	अनुसूचित क्षेत्र (गुजरात) आदेश, 1977
4.	उडीसा	31.12.1977	अनुसूचित क्षेत्र (उडीसा) आदेश, 1977
5.	राजस्थान	12.02.1981	अनुसूचित क्षेत्र (राजस्थान) आदेश, 1981
6.	महाराष्ट्र	02.12.1985	अनुसूचित क्षेत्र (महाराष्ट्र) आदेश, 1985
7.	छत्तीसगढ	20.02.2003	अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ) आदेश, 2003
8.	मध्यप्रदेश	20.02.2003	अनुसूचित क्षेत्र (मध्यप्रदेश) आदेश, 2003
9.	झारखण्ड	11.04.2007	अनुसूचित क्षेत्र (झारखण्ड) आदेश, 2007

जनजाति विकास के लिये निम्नानुसार कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया–

अ. अनुसूचित क्षेत्र

ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)

स. माडा कलस्टर योजना क्षेत्र

द. बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र

अ. अनुसूचित क्षेत्र

राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित 5 जिलों की 23 तहसीलों के 5034 ग्रामों को मिलाकर अनुसूचित क्षेत्र निर्मित किया गया है जिसमें जनजातियों का सघन आवास है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 57.24 लाख है जिसमें जनजाति जनसंख्या 41.88 लाख है, जो इस क्षेत्र की जनसंख्या का 73.17 प्रतिशत है । अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित 5 जिलों में बांसवाडा व डूंगरपुर सम्पूर्ण जिले, उदयपुर जिले की 7 पूर्ण तहसीलें, गिर्वा तहसील के 123 (जनगणना कस्बे सहित) गांव एवं कोटडा तहसील से गोगुन्दा तहसील में स्थानान्तरित 52 ग्राम, प्रतापगढ जिले की अरनोद, प्रतापगढ, धरियावद एवं पीपलखूंट तहसीलें तथा सिरोही जिले की आबूरोड पंचायत समिति सम्मिलित है तहसीलवार व जिलेवार जनसंख्या तथा क्षेत्र का विवरण परिशिष्ठ–1 पर उपलब्ध है ।

गिर्वा तहसील के 81 गाँवों की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	क्र.सं.	गाँव का नाम	क्र.सं.	गाँव का नाम
1	आड	28	जसपुरा	55	पडूणा
2	अलसीगढ	29	जावर	56	पई
3	अमरपुरा	30	जावला	57	परोला
4	बच्छार	31	झाली का गुडा	58	परतल
5	बलीचा	32	झामर कोटडा	59	पीपलवास
6	बारां	33	जोधपुरियां	60	पीपलियां
7	बारापाल	34	कालीवास	61	फांदा
8	बसु	35	कानपुर	62	पोमल्टी
9	भोईयो का गुडा	36	कानपुर	63	रावन
10	भेकडा	37	करगेट	64	रायता
11	बिछडी	38	कमली	65	रोडदा
12	बिलियां	39	काया	66	रूणीजा
13	बोरियों का खेडा	40	कैली	67	सरू
14	बोरीकुआं	41	खारवां	68	साठपुर गुजरान
15	बुडल	42	खेडी	69	साठपुर मीणान
16	बुझडा	43	कोडिया खेत	70	सवीना खेडा (ग्रामीण)
17	चणावदा	44	कोडियात	71	सीसारमा (ग्रामीण)
18	चांदनी	45	कुमारीयां खेडा	72	सेठजी की कुण्डाल
19	चांसदा	46	लकडवास	73	सुराना
20	डाकन कोटडा	47	लालपुरा	74	तीडी
21	डामोरा का गुडा	48	मादडी	75	तीतरडी
22	दांतीसर	49	मानादेव	76	तोरण तालाब
23	धोल की पाटी	50	मानपुरा	77	उदिया खेडा
24	डोडावली	51	नाई	78	उन्दरी कला
25	गावडी तलाई	52	नयागुडा	79	उन्दरी खुर्द
26	गोसीयां	53	नयाखेडा	80	वली
27	जगत	54	नयाखेडा	81	देवाली (ग्रामीण)

वर्ष 1991–2001 के बीच अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण

82	अम्बुजा	87	गोरेला	92	नोहरा
83	आन्दरी	88	खजूरी	93	सामेता
84	छोटा भलो का गुडा	89	कोडियात "बी"	94	सांवरिया खेडा
85	चुकडिया	90	लई	95	सुरपलाया
86	डेडकिया	91	नला	96	उमरडा

वर्ष 2001–2011 के बीच अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण

97	बामनिया	106	झाडा अड्डा	115	नला
98	बेला	107	काला रोही	116	पाटिया
99	चणबोरा	108	खरपीणा	117	फांदा
100	धामधर	109	खेडा कानपुर	118	फुटापाना
101	फाटादरा	110	खेगडो की भागल	119	रामवास
102	गराडा	111	लाम्बा धावडा	120	रोबा
103	गोयरा	112	नोर डूंगरी	121	सरूपाल

104	गूखर मगरी	113	मोटा देवरा	122	उमरिया
105	हायला कुई	114	नागेला	123	उपला गुडा

गोगुन्दा तहसील के 52 गाँवों की सूची

क्र.सं.	गाँव का नाम	क्र.सं.	गाँव का नाम
1	अदूजी का वास	27	लोडो का वास
2	अम्बा	28	लुणावतो का वास
3	अम्बावा	29	मादडा
4	अमरी	30	मादडी
5	बयाना	31	महुला
6	बिलिडियां	32	मालावारी
7	चुली	33	मातासुला
8	चुण्डावतो का खेडा	34	मुण्डावली
9	डेडाकियां	35	नरसिंहपुरा
10	ढाबरा	36	नयावास
11	ढोया	37	पडमोरी
12	गाडरियां वास	38	पलाया पिपला
13	गरडा	39	पन्डली का चौरा
14	हथनी	40	पडावली कला
15	इन्दरा का खेडा	41	पडावली खुर्द
16	जाम्बुआ	42	पाटिया
17	जेलाई कला	43	पिपली खेडा
18	जेलाई खुर्द	44	सनीजा
19	झांक	45	सन्दर
20	कन्थारियां	46	सूरजवाडा
21	केलथरा	47	टेपरो की बोर
22	खम्बीया	48	थाल
23	खेडा	49	थापियां कला
24	कूकडा खेडा	50	थापियां खुर्द
25	कुंती का लेवा	51	वीरपुरा
26	लाम्बी सेमल	52	वास

ब. परावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन (माडा)

अनुसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त जनजाति व्यक्तियों को लामान्वित करने हेतु जिले को एक इकाई मानते हुए प्रत्येक लघु खण्ड की कुल जनसंख्या 10,000 या इससे अधिक तथा उसमें निवास करने वाली जनजाति की जनसंख्या 50 प्रतिशत हो तथा गांव एक दूसरे से जुडे हुए हो व सीमा पर स्थित सभी ग्रामों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हो के आधार पर माडा क्षेत्र बनाया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 18 जिलों में 44 माडा लघु खण्डों का गठन किया है, जिसमें 3586 ग्राम सम्मिलित है। 2011 की जनगणनानुसार इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या 32.95 लाख है, जिसमें जनजाति जनसंख्या 18.30 लाख है जो इस क्षेत्र की कुल जनसंख्या का 55.55 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है। इस क्षेत्र में

मीणा जनजाति का बाहुल्य है। जिलेवार माडा खण्डों की जनसंख्या का विवरण **परिशिष्ठ–2** पर उपलब्ध है।

स. माडा कलस्टर योजना क्षेत्र

ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, में माडा कलस्टर योजना लागू की जाकर विकास कार्यक्रम कियान्वित किये जा रहे है। राज्य के 8 जिलों में 11 माडा कलस्टर्स स्वीकृत है जिसमें 159 ग्राम सम्मिलित है। जनगणना 2011 के अनुसार माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या 1.21 लाख है जिसमें से जनजाति जनसंख्या 0.67 लाख है जो कलस्टर्स की कुल जनसंख्या का 55.84 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा कलस्टर क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है। जिलेवार माडा कलस्टर का विवरण **परिशिष्ठ– 3** पर उपलब्ध है ।

द. बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र

अनुसूचित क्षेत्र, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 30.74 लाख जनजाति के व्यक्ति 31 जिलों में बिखरे हुए है । जिलेवार जनसंख्या **परिशिष्ठ–4** पर उपलब्ध है।

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र

राज्य की एक मात्र आदिम जाति सहरिया है जो बांरा जिले की किशनगंज एवं शाहबाद तहसीलों में निवास करती है। उक्त दोनों ही तहसीलों के क्षेत्रों को सहरिया क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर सहरिया वर्ग के विकास के लिये सहरिया विकास समिति का गठन किया गया है। सहरिया आदिम जाति की जनसंख्या का विवरण माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा वर्ष 2002 में किये गये सर्वे रिपोर्ट से लिया गया है। सहरिया आदिम जाति क्षेत्र का पंचायत समितिवार विवरण **परिशिष्ठ–5** पर उपलब्ध है ।

जनजातीय विकास कार्यक्रमों का वित्त पोषण

जनजातीय विकास के लिये निधियॉ निम्नलिखित स्त्रोतों से आती है :–

- राज्य योजना में जनजाति कल्याण निधि
- राज्य योजना प्रवाह
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान

- विशेष केन्द्रीय सहायता
- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना
- सेन्ट्रल सेक्टर योजना

राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.11(36)आरएण्डपी/सान्याअवि/2001/89104 दिनांक 30.11.2011 के क्रम में संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ. 9( )जनजाति आयोग का गठन/टीएडी/2011–12 दिनांक 25.01.2016 से राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर श्रीमती प्रकृति खराडी, उपाध्यक्ष पद पर श्री जितेन्द्र मीणा व सदस्य के पद पर श्री धर्मेन्द्र राठौड को मनोनीत किया गया है। आदेश दिनांक 25.01.2016 परिशिष्ठ–6 पर उपलब्ध है।

प्रशासकीय संगठन एवं विभागीय ढाँचा

जनजाति कल्याण एवं विकास के प्रभारी मंत्री जनजाति विकास मंत्री है। कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिये एक प्रशासनिक संगठन आवश्यक है। इसके लिये विभिन्न स्तरों पर जनजाति क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था के तहत राज्य स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन होता है जिसके प्रशासनिक प्रभारी प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर है। वे जनजाति विकास कार्यक्रमों का समन्वय, समीक्षा एवं प्रबोधन करते है। उनकी सहायता के लिये सचिवालय स्तर पर संयुक्त शासन सचिव, वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत है।

जनजाति विकास की योजनाओं के निर्माण, क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के लिये जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का मुख्यालय उदयपुर में स्थित है। इसके विभागाध्यक्ष आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग है। आयुक्त की सहायता के लिये 3 अतिरिक्त आयुक्त एवं उप निदेशक (सु.व्य.) पदों पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा विभिन्न विषय विशेषज्ञों के रूप में निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), संयुक्त निदेशक (कृषि), अधीक्षण अभियन्ता, उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा), उप निदेशक (शिक्षा), 3 उप निदेशक (सांख्यिकी), एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), वित्तीय सलाहकार, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक निदेशक (सांख्यिकी), वरिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, निजी सचिव, खेल अधिकारी तथा 3 सहायक लेखाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित है।

विभाग में सृजित एवं पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	पदस्थापित	रिक्त पद
1	आयुक्त	1	1	0
2	संयुक्त शासन सचिव	1	1	0
3	अतिरिक्त आयुक्त	3	3	0
4	निदेशक, टीआरआई	1	0	1
5	निदेशक, (सांख्यिकी)	2	2	0
6	वित्तीय सलाहकार	1	1	0
7	संयुक्त निदेशक (कृषि)	1	1	0
8	अधीक्षण अभियन्ता	1	1	0
9	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)	3	3	0
10	उप निदेशक (सुरक्षात्मक व्यवस्थापन)	1	1	0
11	उप निदेशक (तकनीकी शिक्षा)	1	1	0
12	उप निदेशक (शिक्षा)	1	0	1
13	उप निदेशक (सांख्यिकी)	3	0	3
14	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0
15	अधिशाषी अभियन्ता	1	1	0
16	परियोजना अधिकारी	5	0	5
17	अतिरिक्त कलक्टर एवं परियोजना अधिकारी	1	1	0
18	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1	0
19	सह–आचार्य	1	0	1
20	व्याख्याता	1	1	0
21	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	2	0	2
22	सहायक अभियन्ता	5	2	3
23	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	3	2	1
24	कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	1	0	1
25	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0
26	निजी सचिव	1	1	0
27	खेल अधिकारी	1	0	1
28	उप जिला शिक्षा अधिकारी	5	3	2
29	उप जिला शिक्षा अधिकारी (बालिका)	5	1	4
30	कनिष्ठ अभियन्ता	1	0	1
31	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	1	0
32	कार्यालय अधीक्षक कम प्रशासनिक अधिकारी	2	1	1
33	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1	0
34	निजी सहायक	1	1	0
35	कलाकार	1	1	0
36	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0	1
37	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II	11	7	4
38	सहायक कार्यालय अधीक्षक	3	1	2

39	अनुसंधान सहायक	11	7	4
40	कनिष्ठ लेखाकार	8	0	8
41	आशु लिपिक	10	6	4
42	प्रोग्रामर	1	1	0
43	सहायक प्रोग्रामर	2	1	1
44	लिपिक ग्रेड–I	20	10	10
45	कृषि पर्यवेक्षक	2	0	2
46	कार्टोग्राफर	1	1	0
47	कम्पाईलर	11	6	5
48	टेलीफोन ऑपरेटर	1	1	0
49	लिपिक ग्रेड–II	41	26	15
50	इलेक्ट्रीशियन	1	1	0
51	वाहन चालक	6	3	3
52	मशीनमैन	2	1	1
53	जमादार	3	0	3
54	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	50	38	12
55	चौकीदार	5	4	1
56	कुक	1	0	1
57	बागवान	1	1	0
58	फर्राश	3	3	0
	योग	257	153	104

अध्याय – 2

जनजाति विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/घोषणाओ की प्रगति

विभाग द्वारा केन्द्रीय सहायता व राज्य सहायता से विभाग के कार्यक्षेत्र क्रमशः अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र, माडा कलस्टर क्षेत्र, बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में विभिन्न योजनाऐं कियान्वित की जा रही है। योजनाओं का उद्देश्य उक्त क्षेत्र में निवासरत जनजाति परिवारों का सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकास करना है। वर्ष 2014–15 में इन योजनाओं हेतु कुल 437.23 करोड रूपये का संशोधित बजट आबंटन किया गया जिसके विरूद्व माह मार्च, 2015 तक 407.41 करोड रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2015–16 में इन योजनाओं हेतु कुल 556.54 करोड रूपये का बजट प्रावधान रखा गया जिसके विरूद्व माह दिसम्बर, 2015 तक 283.15 करोड रूपये व्यय किये गये। मदवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार है :–

(राशि लाख रूपये में)

क.सं.	क्षेत्र	वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16	
		संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	व्यय दिसम्बर,15 तक
क	**राज्य योजना**				
1.	**जनजाति कल्याण निधि**				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	19597.81	18359.19	21275.29	12223.21
ब.	माडा क्षेत्र	1041.20	1655.30	2525.96	766.50
स.	माडा कलस्टर क्षेत्र	13.05	4.15	13.07	0.50
द.	बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र	489.25	195.63	709.95	206.01
य.	सहरिया क्षेत्र	2517.55	2108.20	4567.95	2900.77
	योग : जनजाति कल्याण निधि	**23658.86**	**22322.47**	**29092.22**	**16096.99**
2.	**विशेष केन्द्रीय सहायता**				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	6679.79	5472.37	8404.86	3943.34
ब.	माडा क्षेत्र	899.00	870.38	1120.01	399.05
स.	माडा कलस्टर क्षेत्र	34.50	25.43	42.50	13.48
द.	बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र	1116.75	1020.31	1175.01	406.75
य.	सहरिया विकास परियोजना क्षेत्र	92.00	50.59	92.60	12.67
	योग : विशेष केन्द्रीय सहायता	**8822.04**	**7439.08**	**10834.98**	**4775.29**
3.	**संविधान के अनुच्छेद 275(1)**				
अ.	अनुसूचित क्षेत्र	7699.28	6286.40	11393.81	4481.39
ब.	गैर अनुसूचित क्षेत्र	720.15	2380.84	636.80	701.70

स.	सहरिया क्षेत्र	260.15	79.92	192.50	99.91
	योग : अनुच्छेद 275(1)	**8679.58**	**8747.16**	**12223.11**	**5283.00**
4.	**केन्द्र प्रवर्तित योजना**				
अ.	टीआरआई की योजनाऐं	88.49	7.70	70.00	18.91
ब.	लघु वन उपज संग्रहण कार्य	24.00	29.28	24.00	0.00
स.	वन बन्धू कल्याण योजना	750.00	0.00	1000.00	135.98
द.	आश्रम स्कुल भवन निर्माण	0.00	48.89	0.01	50.00
य.	छात्रावास भवन निर्माण	0.00	366.78	1022.99	762.44
र.	सहरिया विकास परियोजना	1700.00	1779.54	1386.50	1191.95
	योग : केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	**2562.49**	**2232.19**	**3503.50**	**2159.28**
	महायोग	**43722.97**	**40740.90**	**55653.81**	**28314.56**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

अ. अनुसूचित क्षेत्र

1. विशेष केन्द्रीय सहायता

(i) कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाऐं

कृषि विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों के तहत फसल बीज मिनीकीट प्रर्दशन कार्यक्रम अर्न्तगत खरीफ/रबी में अधिकतम 0.20 हैक्टयर हेतु कृषकों को प्रमाणित बीज निशुःल्क उपलब्ध कराया जाता है। खरीफ फसलों में सोयाबीन, अरहर व उडद फसल का मिनीकिट क्रमशः 8, 3–4 व 4 किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। रबी फसल में गेहू एवं जौ का 10 से 20 किलोग्राम एवं चना फसल में 15 किलोग्राम उपलब्ध कराया जाता है। बी टी कॉटन फसल में 0.2 हेक्टयर हेतु 450 ग्राम बी टी कपास बीज का मिनीकिट प्रदान किया जाता है ।

वर्ष 2015–16 में इस हेतु राशि 2832.00 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर,15 तक 1918.85 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 122341 बीपीएल जनजाति परिवारों को खरीफ में कृषि विकास कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में क्रमशः 3.68, 3.56 एवं 3.31 लाख परिवारों को उन्नत मक्का मिनी किट कार्यक्रम कियान्वयन (गोल्डन रेज) के तहत कृषि विभाग द्वारा 0.2 हेक्टर क्षेत्र हेतु बीज वितरण एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा बीपीएल जनजाति कृषकों को 15 किलो डीएपी एवं 25 किलो यूरिया रसायनिक खाद से लाभान्वित किया गया।

(ii) उद्यानिकी विकास

जनजाति कृषकों का आर्थिक स्तर उंचा उठाने की दृष्टि से उनके खेतों पर 0.05 हेक्टर में सब्जियों (लहसुन, प्याज, टमाटर, भिण्डी, बैंगन) के उन्नत बीज, खाद एवं कीटनाशक उपलब्ध कराये जा रहे है । वर्ष 2015–16 में 67.83 लाख रूपये के आवंटन एवं गत वर्षो की बचत राशि के विपरीत माह दिसम्बर, 15 तक 202.82 लाख रूपये व्यय किया गया एवं 4550 परिवारो को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–13 में 4500, 2013–14 में 4700 एवं वर्ष 2014–15 में 4550 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(iii) बैफ के माध्यम से उद्यान विकास

जनजाति कृषकों का आर्थिक स्तर उँचा उठाने की दृष्टि से उनके खेतों पर फलदार बगीचे एवं चारों तरफ वानिकी पौधे लगाकर आय में वृद्वि करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2015–16 में 180 नवीन काश्तकारों की बाडियॉ स्थापित कर लाभान्वित किये जाने हेतु राशि 180.00 लाख का आवंटन के विपरीत माह दिसम्बर,15 तक 1.00 लाख रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2013–14 में 95 एवं वर्ष 2014–15 में 95 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(iv) पशुपालन कार्यक्रम

जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर उँचा उठाने की दृष्टि से पशुपालन कार्यक्रम के तहत 2 पशुओं को रहने की व्यवस्था, कुट्टी मशीन वितरण, दुग्ध केन वितरण, पशुपालकों को प्रशिक्षण एवं पशु प्रजनन केम्प का आयोजन आदि के माध्यम से क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन क्षमता बढाई जाने के उद्देश्य से वर्ष 2015–16 में 500.00 लाख रूपये का प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 15 तक 325.26 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 1778 परिवारों को लाभान्वित किया गया। 2013–14 में 1390 एवं वर्ष 2014–15 में 897 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(v) दुग्ध विकास कार्यक्रम

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति व्यक्तियों की कृषि व्यवसाय के अतिरिक्त पशु पालन एवं दुग्ध व्यवसाय भी आजीविका का मुख्य स्त्रोत है। दुग्ध विकास कार्यक्रम के तहत जिले में कार्यरत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 द्वारा ग्रामों से दुग्ध संकलन कर डेयरी तक लाया जा रहा है। जनजाति व्यक्तियों की आय बढाने एवं अतिरिक्त दुग्ध क्षमता हेतु गावों में सहकारी समितियों के माध्यम से बल्क मिल्क कूलर स्थापित कर अधिक मात्रा में दुग्ध संकलन कर वहीं ठण्डा कर डेयरी तक लाये जाने से जनजाति दुग्ध उत्पादकों में आय वृद्धि हेतु वर्ष 2014–15 से नवीन योजना

प्रारम्भ की गई। वर्ष 2015–16 में 400.00 लाख रूपये का प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 15 तक 355.60 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 2599 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(vi) बैफ के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन

जनजाति कृषकों के पास उपलब्ध पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढाने, अच्छी नस्ल की उत्पति हेतु उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ जिले में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का संचालन कर जनजाति व्यक्तियों के पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान करना इस योजना का उद्देश्य है। वर्ष 2015–16 में 127.34 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 15 तक 68.97 लाख रूपये व्यय कर 4090 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–13 में 3038, वर्ष 2013–14 में 5440 एवं वर्ष 2014–15 में 3727 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(vii) मत्स्य विकास

इस कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालकों को विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण एवं मत्स्य बीज वितरण आदि हेतु वर्ष 2015–16 में 10.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया जिसके विपरीत माह दिसम्बर, 15 तक 0.41 लाख रूपये व्यय किया गया।

(viii) वनीकरण (सुरक्षात्मक एवं जीवनयापन) योजना

वनीकरण योजना के अन्तर्गत वन विभाग के माध्यम से इको टयूरिज्म सुविधाओं का विकास, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण, नर्सरी में आधारभूत संरचना/कार्य का निर्माण आदि तथा उत्पादन संवर्धन कार्य हेतु वर्ष 2015–16 में 799.46 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। माह दिसम्बर,15 तक 27.63 लाख रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2012–13 में 13955, वर्ष 2013–14 में 37585 एवं वर्ष 2014–15 में 16729 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(ix) कुओं का विद्युतीकरण, विद्युत/डीजल पम्पसेट वितरण, पी.वी.सी. पाईप लाईन तथा ड्रीप/स्प्रिकलर योजना

बी.पी.एल. कृषकों के सिंचाई साधनों में सुधार करने हेतु विद्युत कनेक्शन सहित ई.पी. एस/पाईप लाईन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जिससे अनुसूचित जनजाति के कृषक अपने खेतों में सिंचाई कर कृषि उत्पादन की वृद्वि कर सकेंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वर्ष 2015–16 मे राशि 641.25 लाख रूपये के विरूद्व माह दिसम्बर,15 तक 317.20 लाख रूपये का व्यय किया गया एवं 390 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–13 में 302, वर्ष 2013–14 में 684 एवं वर्ष 2014–15 में 464 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(x) एनिकट/ वाटरशेड निर्माण

अनुसूचित क्षेत्र में अवस्थित नदी नाले अत्यधिक ढलाव वाले होने से एक ओर तो वर्षा का जल तीव्र गति से बहकर व्यर्थ चला जाता है तथा दूसरी ओर जनजाति कृषकों की नालों के समीप अवस्थित भूमि का कटाव होता है। अतः उक्त क्षति को रोकने के उद्देश्य से एनिकट/ वाटरशेड निर्माण की योजना चलाई जा रही है जिससे जल बहाव की गति पर नियंत्रण किया जाता है व जल का सतही भण्डारण किया जाता है । भण्डारित जल से भू–जल पुनर्भरण होता है व आसपास के कुओं का जलस्तर बढता है। साथ ही एनिकट में उपलब्ध सतही जल का कृषक जलोत्थान योजना के माध्यम से लाभ लेते है। वर्ष 2015–16 मे राशि 350.00 लाख रूपये के विरूद्व माह दिसम्बर, 15 तक गत वर्ष की बचत से 102.42 लाख रूपये का व्यय किया गया एवं 2 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये है। वर्ष 2012–13 में 12, वर्ष 2013–14 में 6 एवं वर्ष 2014–15 में 25 एनीकट कार्य पूर्ण किये गये है।

(xi) नहरो का सुदृढ़ीकरण

अनुसूचित क्षेत्र में नहरों का सुदृढीकरण एवं विस्तार कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु वर्ष 2015–16 में 200.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया एवं माह दिसम्बर, 15 तक गत वर्ष की बचत से 47.25 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 2 नहरों के कार्य पूर्ण किये गये है। वर्ष 2012–13 में 7 नहरों एवं वर्ष 2014–15 में 2 नहरों के कार्य पूर्ण किये गये है।

(xii) सामुदायिक जलोत्थान योजनाओं का निर्माण व रखरखाव

नदी नालों एवं बांधों के बेक वाटर में उपलब्ध पानी को सिंचाई हेतु उपयोग करने के लिये विद्युत मोटर द्वारा पानी को ऊंचा उठाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि किये जाने हेतु वर्ष 2015–16 में 300.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया। गत वर्ष के स्वीकृत कार्यो पर दिसम्बर, 15 तक 119.07 लाख रूपये व्यय किये गये है। वर्ष 2014–15 में स्वीकृत 30 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई पुनरोद्धार कर प्रारम्भ कर दिया गया है।

(xiii) जनजाति स्वरोजगार योजना

राजस संघ द्वारा इस योजना में मुख्य रूप से खादी ग्रामोद्योग सेवा, छोटे व्यवसाय सम्मिलित किये है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु योजना में सम्मिलित इकाईयों के लिए आर्थिक सहायता बैंक ऋण के रूप में प्रदान कराई जावेगी, जिसमें इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/–रू0 जो भी कम हो अनुदान देने का प्रावधान है। वर्ष 2015–16 में इस हेतु राशि 200.00 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 15 तक

7.79 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 74 परिवारों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2013–14 में 3225 एवं वर्ष 2014–15 में 1620 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

(xiv) दक्षता विकास कार्यक्रम

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर द्वारा अनुसूचित जनजाति के युवक/युवतियों को रोजगारपरक लघु अवधि कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत आवासीय एवं गैर–आवासीय कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 173 मॉड्यूल्स में 33 सेक्टर में विभिन्न पाठ्यक्रम यथा– कम्प्यूटर हार्डवेयर, सिक्यूरिटी, गारमेन्ट मेकिंग, ऑटो मोबाईल सेक्टर, कन्स्ट्रक्शन, फैशन डिजाईनिंग, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, हॉस्पिटिलिटी, इलेक्ट्रिकल्स, एग्रीकल्चर, मेडिकल एण्ड नर्सिंग इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जाकर 50 प्रतिशत लाभार्थियों को रोजगार/स्वरोजगार से जोडा जायेगा। वर्ष 2015–16 में इस हेतु राशि 300.00 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 15 तक 197.45 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 1795 युवाओं को लाभान्वित किया गया।

(xv) आवश्यक सेवाओं को सड़कों से जोडना

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न जनोपयोगी सेवा केन्द्र विद्यालय, उपकेन्द्र एवं आश्रम छात्रावास दूरस्थ ग्रामों में अवस्थित है, जहॉ पर पहुंच के लिए समुचित सडक/पुलिया व्यवस्था नहीं होने से वर्षा ऋतु में आमजन एवं विद्यार्थियों को इन स्थल पर पहुंचने में असुविधा रहती है। अतः इन संस्थानों/सेवा केन्द्रो को समीपस्थ मुख्य सडक अथवा मुख्य ग्राम से सम्पर्क सडक/पुल से जोड़ने हेतु वर्ष 2015–16 में राशि 1446.96 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 15 तक 218.69 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 17 सड़क कार्य पूर्ण किये गये है। वर्ष 2013–14 में 32 एवं वर्ष 2014–15 में 86 सम्पर्क सड़क कार्य पूर्ण किये गये।

2. जनजाति कल्याण निधि

(i) आश्रम छात्रावास संचालन

योजनान्तर्गत जनजाति विद्यार्थियों को आश्रम छात्रावास में प्रवेश दिया जाकर निःशुल्क आवास, भोजन आदि की सुविधाए प्रदान की जाती है प्रति विद्यार्थी 1900/– रूपये प्रतिमाह भोजन इत्यादि हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015–16 में 4003.53 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर, 15 तक 2106.33 लाख रूपये व्यय हुए तथा 216 छात्रावासों में

14206विद्यार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–13 में 11718, वर्ष 2013–14 में 13108 एवं वर्ष 2014–15 में 13216 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(ii) खेल छात्रावास का संचालन

जनजाति छात्रों को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 12 खेल छात्रावास संचालित है। इन छात्रावासों में दक्ष विशेषज्ञों द्वारा तीरन्दाजी एवं ऐथेलेटिक्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें कक्षा 6 से 12 वीं तक के खिलाडी बालकों को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 15 तक 151.62 लाख रूपये व्यय किये गया है। वर्तमान में इन छात्रावासों में 646 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। वर्ष 2012–13 में 200, वर्ष 2013–14 में 185 एवं वर्ष 2014–15 में 350 विद्यार्थियों को लागान्वित किया गया।

(iii) आवासीय विद्यालय संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में बालक/बालिकाओं हेतु जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 4 आवासीय विद्यालय संचालित किये जा रहे है जिसमें आवास, भोजन, शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। 1020 छात्र/छात्राऐं अध्ययनरत है। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 15 तक 171.01 लाख रूपये व्यय किये गया है। वर्ष 2012–13 में 909, वर्ष 2013–14 में 906 एवं वर्ष 2014–15 में 1012 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(iv) मॉ–बाड़ी केन्द्र संचालन योजना

यह योजना अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति एवं कथौड़ी समुदाय के शिक्षा से वंचित बच्चों (6 से 12 वर्ष आयु वर्ग) को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये संचालित की जा रही है वर्ष 2015–16 में 4412.95 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर, 15 तक 2984.86 लाख रूपये व्यय हुए तथा 1008 मॉ बाडी केन्द्रों में 30240 विद्यार्थियों को प्रवेश देकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–13 में 15450, वर्ष 2013–14 में 21450 एवं वर्ष 2014–15 में 28050 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(v) छात्रगृह किराया योजना

इस योजनान्तर्गत जनजाति के ऐसे छात्र/छात्राऐं जो महाविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढते है तथा उन्हे छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और वे किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते है उन्हे सम्भाग मुख्यालय

पर 500 रूपये, जिला मुख्यालय पर 400 रूपये एवं अन्य स्थान पर 300 रूपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह हेतु मकान किराये का पुनर्भरण किया जाता है। इसमें एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। छात्र/छात्राऐं अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय है। वर्ष 2015–16 में 14500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु 580.00 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर, 15 तक 203.30 लाख रूपये का पुनर्भरण किया जाकर 3381 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–13 में 12701, वर्ष 2013–14 में 12984 एवं वर्ष 2014–15 में 14269 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(vi) प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहन योजना

इस योजनान्तर्गत जनजाति के छात्र/छात्राओं ने जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है उन्हे बोर्ड की अगली परीक्षा तक अध्ययन करने पर 350 रूपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए अधिकतम रूपये 3500/– की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर,15 तक 0.53 लाख व्यय कर 33 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2012–13 में 1082, वर्ष 2013–14 में 1221 एवं वर्ष 2014–15 में 884 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

(vii) छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (महाविद्यालय स्तर)

जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होता है जो अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी हों और राज्य की निजी एवं राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत हों। इस योजनानुसार प्रत्येक छात्रा को 500 रूपये प्रति माह की दर से 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 15 तक रूपये 238.56 लाख व्यय करके 6160 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2012–13 में 10354, वर्ष 2013–14 में 9523 एवं वर्ष 2014–15 में 23300 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

(viii) छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (कक्षा 11 एवं 12)

जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होता है जो अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी हों एवं राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत हों। इस योजनानुसार प्रत्येक छात्रा को 350 रूपये प्रति माह की दर से 10 माह तक आर्थिक सहायता दी जाती है। वर्ष

2015–16 में दिसम्बर, 15 तक रूपये 24.72 लाख व्यय कर 3042 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2012–13 में 12758, वर्ष 2013–14 में 10566 एवं वर्ष 2014–15 में 17289 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

(ix) जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण

कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 65 प्रतिशत या अधिक अंक अर्जित करने वाली जनजाति बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क स्कूटी वितरण किये जाने की योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 390 जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण से लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2012–13 में 168, वर्ष 2013–14 में 172 एवं वर्ष 2014–15 में 145 जनजाति बालिकाओं को स्कूटी वितरण कर लागान्वित किया गया।

(x) क्षय रोग नियंत्रण

सामान्यतया जनजाति आबादी दूरदराज के क्षेत्र में निवास करती है तथा स्वास्थ्य सुविधाए आसपास उपलब्ध नहीं होती है जनजाति व्यक्तियों में क्षय रोग का प्रकोप अधिक रहता है तथा निदान हेतु नियमित उपचार अनिवार्य होता है किन्तु जनजाति व्यक्ति के लिए कार्य दशाओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की दूरी के कारण नियमित उपचार लिया जाना संभव नहीं हो पाता है। अतः इस समस्या के निदान हेतु स्वच्छ परियोजना के माध्यम से क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा क्षय रोगियों की पहचान कर उन्हे नियमित उपचार उपलब्ध कराया जाता है तथा पौष्टिक सत्तु दिया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 7000 रोगियों के उपचार हेतु 1889.69 लाख रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर, 15 तक 1581.23 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 9441 रोगियों के उपचार कराया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में 3433, वर्ष 2012–13 में 4000 एवं वर्ष 2014–15 में 10827 रोगियों के उपचार कराया गया।

(xi) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

जनजाति के युवकों को रोजगारोन्मुख व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार चलाने अथवा तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के लिए तैयार करने के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय के माध्यम से 14 वर्ष की आयु से अधिक के युवकों को इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग में एक एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण वेल्डर, प्लम्बर, डीजल मैकेनिक, हिन्दी एवं अंग्रेजी स्टेनो, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रोनिक्स एवं रेडियो टीवी आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार प्रारंभ

करने योग्य बनाया जाता है। प्रशिक्षणरत छात्रों को 150 रूपये प्रतिमाह स्टाईफन्ड दिया जाता है। उत्तीर्ण होने पर राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर,15 तक 8.63 लाख रूपये व्यय किये गये एवं 601 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2012–13 में 799, वर्ष 2013–14 में 799 एवं वर्ष 2014–15 में 601 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

(xii) फूड क्राफ्ट प्रशिक्षण

होटल व्यवसाय में प्रशिक्षण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से संचालित फूड क्राफ्ट संस्थान के 4 व्यवसायों में जनजाति युवक युवतियों के लिए 40 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रशिक्षणरत छात्र छात्राओं को 500 रूपये छात्रवृति, फीस पुनर्भरण एवं पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है। उत्तीर्ण होने पर नेशनल कौसिंल आफ होटल मेनेजमेन्ट, नोयडा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जो कि रोजगार प्राप्ति के लिए मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2015–16 में 39 छात्रो को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2012–13 में 36, वर्ष 2013–14 में 22 एवं वर्ष 2014–15 में 27 छात्रों को लाभान्वित किया गया।

3. संविधान का अनुच्छेद 275(1)

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र हेतु वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर,15 तक 4481.39 लाख रूपये व्यय कर निम्नाकिंत उपलब्धिया अर्जित की गई।

- 25 सामुदायिक भवन निर्मित किये गये।
- 9 पम्प एण्ड टेंक योजनाऐं पूर्ण की गई।
- 1 अभियांत्रिकी महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर।
- 22 सड़कें निर्मीत की गई ।
- 4 एनीकट का निर्माण किया गया।
- 174 हेण्डपम्प स्थापना कार्य पूर्ण।
- 6 आवासीय विद्यालयों का संचालन एवं संस्थापन किया जाकर 1825 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।

वर्ष 2012–13 में 30 सामुदायिक भवन, 30 सड़क निर्माण, 40 हेण्डपम्प स्थापना व 37 कथोड़ी आवास निर्माण कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2013–14 में 6 सामुदायिक भवन, 25 सड़क निर्माण, 8 हेण्डपम्प स्थापना व 89 कथौड़ी आवास निर्माण कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2014–15 में 79 सामुदायिक भवन, 73 सड़क निर्माण, 203 हेण्डपम्प स्थापना व 9 पम्प एण्ड टैंक योजना कार्य पूर्ण किये गये।

राज्य योजना से जनजाति उपयोजना में मांग सख्यां 30 की प्रगति

जनजाति व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिये विभिन्न विभागों द्वारा सामुदायिक एवं व्यक्तिगत लाभ की अनेक योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है तथा सभी विभागों को अपने बजट में से जनजातियों के विकास हेतु मांग सख्यां 30 में प्रावधान रखा जाता है। वर्ष 2015–16 में राज्य योजना में 9886.71 करोड रूपये के प्रावधान के विपरीत माह दिसम्बर,15 तक 3991.70 करोड रूपये व्यय किये गये।

विभिन्न मदों में आवंटन एवं व्यय (अन्तरिम) की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत है :–

(राशि लाखों में)

क.सं.	मद	राज्य योजना	
		आवंटन	व्यय
1	कृषि एवं संबद्व सेवाऐं	50858.13	10952.89
2	ग्रामीण विकास	205576.24	91326.63
3	विशेष क्षेत्रीय परियोजना	3780.00	2508.63
4	सिंचाई	23029.52	10666.77
5	विद्युत	204385.99	109827.83
6	उद्योग एवं खनिज	3145.12	592.65
7	परिवहन एवं संचार	48110.74	26496.51
8	वैज्ञानिक सेवाऐं एवं अनुसंधान	223.06	0.10
9	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाऐं	420321.58	139395.09
10	आर्थिक सेवाऐं	24553.08	6986.64
11	सामान्य सेवाऐं	4687.81	416.42
	योग :	**988671.27**	**399170.16**

प्रमुख कार्यकमों की भौतिक प्रगति निम्नवत है :–

- कृषि विकास के तहत 115411 व्यक्तियों को उन्नत बीज मिनिकीट वितरण किया गया।
- 12105 व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के कृषि प्रदर्शन कार्यक्रम से लाभान्वित किया गया।
- राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 6165 परिवारों को लाभान्वित किया गया।
- ग्रामीण विकास के तहत 19390 परिवारों को इन्दिरा आवास योजना में लाभान्वित किया गया।
- मिड डे मिल के तहत विद्यालयो के 9.56 लाख बच्चों को भोजन दिया जा रहा है।
- 147632 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण किया गया।

- पोषाहार के तहत 6.87 लाख बच्चों को पोषाहार वितरीत किया जा रहा है।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 24217 व्यक्तिों को लाभान्वित किया गया।
- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना के तहत 4415 व्यक्तिों को लाभान्वित किया गया।
- राष्ट्रीय वृदावस्था पेंशन योजना के तहत 195676 व्यक्तिों को लाभान्वित किया गया।

ब. माडा क्षेत्र

1. जनजाति कल्याण निधि

जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 1471.90 लाख रूपये के आवन्टन के विरूद्ध 856.67 लाख रूपये व्यय किये गये है। जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 1041.20 लाख रूपये के आवन्टन के विरूद्ध 1655.30 लाख रूपये व्यय किये गये है । वर्ष 2015–16 में 2525.96 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर, 15 तक 766.50 लाख रू व्यय किये गये है।

(i) आश्रम छात्रावास संचालन– वर्ष 2014–15 में माह मार्च, 15 तक 556.12 लाख रूपये व्यय कर 2767 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015–16 में 1276.04 लाख रू के आवंटन के विरूद्ध माह दिसम्बर, 15 तक 517.31 लाख रू व्यय किये गये एवं 3257 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। उक्त योजना में वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 2905, 2767 एवं 3257 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

(ii) **शिक्षा प्रोत्साहन**– जनजाति के बालक बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रवृत किये जाने हेतु माडा योजना में छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता के कार्यक्रम कियान्वित किये जा रहे हैं। 2014–15 में इन योजनाओं में माह मार्च 15 तक 65.79 लाख रूपये व्यय किया जाकर 1599 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015–16 में उक्त योजनाओं के लिये 183.54 लाख रू प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर 15 तक 200 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया। उक्त योजना में वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 2133, 1599 एवं 200 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

(iii) खेल छात्रावास– वर्ष 2013–14 में 1 खेल छात्रावास हेतु मार्च 14 तक 13.27 लाख रू व्यय कर 50 छात्रों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015–16 में 40.06 लाख का प्रावधान रखा गया है।

(iv) आवासीय विद्यालय– माडा क्षेत्र में तीन आवासीय विद्यालय संचालित है जिसकी प्रवेश क्षमता वर्ष 2014–15 में 420 छात्र/छात्राओं की है जिसके विरूद्ध 317 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया एवं वर्ष 2015–16 में 420 छात्र/छात्राओं की है जिसके विरूद्ध 333 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। उक्त योजना में वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में क्रमशः 318, 317 एवं 333 छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

माडा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित योजनाओं की वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 (माह दिसम्बर 15) तक की प्रगति विवरण निम्न प्रकार है–

जनजाति कल्याण निधि वर्ष 2014–15 (माह मार्च 15 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
	शिक्षा					
1.	आ.छात्रावास संचालन	316.78	556.12	छात्र सं.		2767
2.	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	50.00	34.05	छात्रा	1000	689
3.	प्रतिभावान विधार्थियो को छात्रवृति	42.00	10.83	छात्र	1200	315
4.	पीएमटी, पीईटी, आईआईटी कोचिंग	80.00	77.84	छात्र/छात्राएं	114	149
5.	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता	105.00	20.91	लाभान्वित	3000	595
6.	स्कूटी वितरण	60.00	81.01		150	214
7.	निर्माण मॉ–बाडी सेन्टर		34.00		30	30
8.	मॉ–बाडी संचालन केन्द्र	218.02	188.57		80	50
9.	आवासीय विद्यालय संचालन	147.25	68.61	छात्र/छात्राएं	720	317
10.	छात्रावास में कम्प्यूटर सेन्टर (RKCL)		1.86			1
11.	आ.छा. में सोलर लाईट		238.76			
12.	जनजाति मेले	15.00	15.32	नम्बर	2	2
13.	खेल छात्रावास				50	
14.	आश्रम छात्रावास में पानी की सुविधा एवं रखरखाव		11.12			
15.	कौशल विकास परियोजना		28.85			192
16.	सडक निर्माण		20.44			
17.	कम्प्यूटर मेन विद मशीन	7.15	4.22		17	7
18.	आश्रम छात्रावास निर्माण		250.27			
	अन्य		12.52			1
	योग	**1041.20**	**1655.30**			

- कुछ मदों में पूर्व वर्ष की बचत राशि उपलब्ध होने से व्यय आवंटन के विरूद्ध अधिक रहा है।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति माह दिसम्बर, 2015 तक की प्रगति

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आ. छात्रावास संचालन	1276.04	517.31	छात्र सं.	4170	3257
2.	छात्राओ को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	42.00	8.45	छात्रा	840	42
3.	प्रतिभावान विधार्थियो को छात्रवृति	36.54	5.51	छात्र	1024	111
4.	पीएमटी, पीईटी, आईआईटी कोचिंग	80.00	0.55	संख्या	114	3
5.	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता	105.00	20.98	संख्या	3000	47
6.	स्कूटी वितरण	60.00	0.84		150	97
7.	माँ बाडी केन्द्र संचालन	252.00			80	80
8.	आवासीय विद्यालय संचालन	141.60	62.05	स/छात्र	420	333
9.	छात्रावास में कम्प्यूटर सेन्टर (RKCL)	0.01	0.81			
10.	नवीन छात्रावास संचालन	61.49			1	
11.	जनजाति मेला	15.00	6.00	संख्या	2	
12.	खेल छात्रावास	40.06		संख्या		
13.	आश्रम छात्रावास में पानी की सुविधा एवं रखरखाव	0.01	25.48	संख्या		1
14.	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.एक.डी.सी)	0.01		संख्या		
15.	कम्प्यूटरमैन के साथ मशीन	7.20	4.02	संख्या	17	3
16.	आश्रम छात्रावास निर्माण	250.00	90.40	छात्रावास		
	अन्य	159.00	24.10		30	
	योग	**2525.96**	**766.50**			

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 1044.70 लाख रू के बजट प्रावधान के विरूद्ध 1042.66 लाख रू व्यय किये गये। वर्ष 2014–15 में 899.00 लाख रू के बजट प्रावधान के विरूद्ध 870.38 लाख रू व्यय किये गये। वर्ष 2015–16 में 1120.01 लाख रू के बजट प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर, 15 तक 399.05 लाख रू व्यय किये गये।

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्यय एवं भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि निम्न प्रकार रही है–

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2014–15 (माह मार्च, 2015 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	सेक्टर/योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	कृषि एवं सहायक सेवाएं					
1.	बैफ सेन्टर	15.00	11.37	यूनिट	600	600
2.	पावर थ्रेशर पर अनुदान		4.40	संख्या		
3.	उद्यानिकी कार्यक्रम (बैफ द्वारा)	40.00	38.65	"	1334	1123
4.	दुधारू पशु वितरण					
5.	बाडी विकास कार्यक्रम		1.49	"		
6.	कृषि विकास कार्यक्रम	100.00	10.00	"	6076	4706
7.	एकीकृत पशुपालन विकास कार्यक्रम	135.00	41.63	लाभान्वित	170	339
ब	सिंचाई					
1.	एनिकट		77.42	संख्या		14
2.	विद्युत/डिजल पम्पसेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पीवीसी पाईप लाईन तथा ड्रिप स्प्रीकलर सेट हेतु सहायता	115.00	118.59	"	329	249
3.	बन्द पडी जलोत्थान सिंचाई योजना का पुनर्द्धार/नवीन योजना	44.00	26.39	"	2	2
4.	जलग्रहण विकास		10.47			1
स	सामाजिक सामुदायिक सेवाए					
1.	जनजाति व्यक्तियों को स्वरोजगार	50.00	50.00	"	500	500
2.	सम्पर्क सडक	250.00	472.35	कि.मी.	30	41
3.	व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण (आरमोल एवं अन्य द्वारा)		4.73	लाभा.		
4.	कौशल विकास परियोजना	150.00		लाभा.	999	
द	अन्य योजनाएं		2.89			
	योग	**899.00**	**870.38**			

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	सेक्टर/योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	कृषि एवं सहायक सेवाएं					
1.	बैफ सेन्टर	20.00	12.61	सं.	600	600
2.	वाडी विकास परियोजना कार्यक्रम (बैफ द्वारा)	0.01		सं.		
3.	उद्यानिकी विकास कार्यक्रम	100.00		ला	2850	915
4.	कृषि विकास कार्यक्रम	150..00	24.00	ला	24060	11499
5.	एकीकृत पशुपालन विकास कार्यक्रम	150.00		ला	921	
ब	सिंचाई					
1.	एनिकट/वॉटरशेड विकास	50.00	38.24	सं.		2
2.	विद्युत/डिजल पम्पसेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पीवीसी पाईप लाईन तथा ड्रीप स्प्रीकलर सेट हेतु सहायता	150.00	61.80	सं.	429	154
3.	बन्द पडी जलोत्थान सिंचाई योजना का पुनर्द्धार/नवीन योजना	50.00		सं.	2	
स	सामाजिक सामुदायिक सेवाएं					
1.	स्वरोजार योजना	50.00	1.20	ला	499	284
2.	सम्पर्क सडक	300.00	194.51	कि.मी.	13	2
3.	कौशल विकास परियोजना	100.00		ला	666	
द	अन्य		66.69			
	योग	**1120.01**	**399.05**			

स. माडा कलस्टर योजना

1. जनजाति कल्याण निधि

माडा कलस्टर में वर्ष 2013–14 में रूपये 93.05 लाख के आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 14 तक 1.98 लाख रूपये व्यय किये गये है। माडा कलस्टर में वर्ष 2014–15 में रूपये 13.05 लाख के आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 15 तक 4.15 लाख रूपये व्यय किये गये है। छात्राओं को उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 0.95 लाख रूपये व्यय कर 10 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत जनजाति की 22 छात्राओं को लाभान्वित कियाा गया। उक्त योजना में वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्रमशः 24,10 छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2014–15 (माह मार्च, 2015 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	शिक्षा					
1	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	0.95	0.68	ला.	19	10
2	प्रतिभावान विद्यार्थियो को छात्रवृति	1.40	1.09	"	40	31
3	जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता	0.70	0.77	"	20	22
4	स्कूटी वितरण	10.00	1.11		25	3
ब	अन्य		0.50			
	योग	**13.05**	**4.15**			

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2015–16 (माह दिसम्बर, 2015 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	शिक्षा					
1	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	0.95		ला.	19	
2	प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृति	0.70		"	19	
3	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता	1.40		ला.	40	
4	जनजाति छात्राओं को स्कूटी वितरण	10.00			25	
ब	कौशल विकास परियोजना	0.01				
स	घरेलू सौर ऊर्जा अनुदान	0.01				
द	अन्य		0.50			
	योग	**13.07**	**0.50**			

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

वर्ष 2013–14 में विशेष केन्द्रीय सहायता में 48.50 लाख रूपये के बजट आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 14 तक 29.35 लाख रूपये व्यय किये गये। वर्ष 2014–15 में विशेष केन्द्रीय सहायता में 34.50 लाख रूपये के बजट आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 15 तक 25.43 लाख रूपये व्यय किये गये।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2014–15 (माह मार्च, 2015)

(राशि लाखों में)

क्र.सं	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	डीजल/विद्युत पम्पसेट पर अनुदान	3.50	9.45	संख्या	10	27
2.	सम्पर्क सडक	25.00	15.98	संख्या		3
3.	कौशल विकास परियोजना	6.00			40	
	योग	**34.50**	**25.43**			

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2015–16 (माह दिसम्बर, 2015 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	लघु सिंचाई					
1.	डीजल/विद्युत पम्पसेट पर अनुदान	15.00	7.00	संख्या	43	19
2.	सम्पर्क सड़क	25.00	5.98	संख्या	1	
3.	कौशल विकास परियोजना	2.50		लाभा.	17	
ब	अन्य		0.50			
	योग	**42.50**	**13.48**			

द. बिखरी आबादी

1. जनजाति कल्याण निधि

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2014–15 (माह मार्च, 2015 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
1	आ.छात्रावास संचालन	240.57	72.56	संख्या	750	378
2	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	40.00	17.67	छात्रा	800	362
3	प्रतिभावान विद्यार्थियो को छात्रवृति	23.68	4.33	विद्यार्थी	675	123
4	प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा पी.एम.टी/पी.ई.टी. आई.आई.टी. हेतु कोचिंग	30.00	23.95	छात्र	43	42
5	आश्रम छात्रावास आधुनिकीकरण/मरम्मत		3.00	छा.		
6	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.सी.डी.सी.)			ला.		5
7	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता	105.00	18.75	ला.	3000	541
8	सड़क निर्माण		12.79	सं.		42
9	सोलर लाईट		28.02			224
10	स्कूटी वितरण	50.00	13.33		135	36
ब	अन्य		1.23			5
	योग	**489.25**	**195.63**			

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति वर्ष 2015–16 (माह दिसम्बर, 2015 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	आ.छात्रावास संचालन	331.23	76.52	संख्या		50
2.	छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन	40.00	12.17	छात्रा	800	642
3.	प्रतिभावान विद्यार्थियो को छात्रवृति	23.68	0.39	विद्यार्थी	675	84
4.	प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा पी.एम.टी/पी.ई.टी. आई.आई.टी. हेतु कोचिंग	30.00	7.30	छात्र	43	3
5.	स्वरोजगार ऋण अनुदान (एस.सी.डी.सी.)	0.01		ला.		
6.	स्कूटी वितरण	50.00		सं.	125	81
7.	कक्षा 11 एवं 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को आर्थिक सहायता	105.00	5.99	ला.	3000	318
8.	आश्रम छात्रावास में पेयजल सुविधाएं एवं मरम्मत	0.01		सं.		
9.	विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से व्यवसायिक प्रशिक्षण	130.00		ला.	1	
10.	रिपेरिंग एवं रिनोवेशन		5.50			1
11.	कौशल विकास परियोजना	0.01				
12.	सोलर लाईट सब्सिडी	0.01				
13.	अन्य		98.14		7	
	योग	**709.95**	**206.01**			

2. विशेष केन्द्रीय सहायता

बिखरी जनजाति क्षेत्र में वर्ष 2013–14 में वि.के.स. मद में 1143.85 लाख रूपये बजट आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 14 तक 984.32 लाख रूपये व्यय किया गया। बिखरी जनजाति क्षेत्र में वर्ष 2014–15 में वि.के.स. मद में 1116.75 लाख रूपये बजट आवंटन के विरूद्ध माह मार्च 15 तक 1022.31 लाख रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 में 1175.01 लाख रू के बजट प्रावधान के विरूद्ध माह दिसम्बर 15 तक 406.75 लाख रू व्यय किये गये।

विशेष केन्द्रीय सहायता वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 2014–15 (माह मार्च, 2015 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	कृषि एवं सहायक सेवाएं					
1	बाड़ी विकास योजना		2.11	लाभा.		
2	उद्यानिकी विकास कार्यक्रम	5.00		लाभा.	165	242
3	कृषि विकास प्रोजेक्ट	50.00	38.00	लाभा.	3017	1723
4	पॉवर थ्रेसर		0.80			
5	एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम	100.00	2.84	लाभा.	280	
ब	लघु सिंचाई					
1	एनिकट		37.17	संख्या	2	12
3	विद्युत/डिजल पम्पसेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पीवीसी पाईप लाईन तथा ड्रीप स्प्रीकलर सेट हेतु सहायता	234.00	214.30	संख्या	658	448
4	नवीन एवं बन्द पडी जलोत्थान सिंचाई योजनाएं	50.00	8.36	संख्या	2	
स	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
1	जनजाति व्यक्तियों हेतु अकृषि कार्यो में प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार	75.00	99.20	ला.	750	992
2	कौशल विकास परियोजना	252.75	12.48		1685	4
3	सम्पर्क सडक	350.00	599.76	किमी	18	57
द	अन्य		5.29			
	योग	**1116.75**	**1020.31**			

विशेष केन्द्रीय सहायता वित्तीय एवं भौतिक प्रगति वर्ष 2015–16 (माह दिसम्बर, 2015 तक)

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
अ	कृषि एवं सहायक सेवाएं					
1	बाड़ी विकास योजना	0.01		लाभा.		
2	उद्यानिकी विकास कार्यक्रम	50.00		लाभा.	1650	561
3	कृषि विकास प्रोजेक्ट	150.00	30.00	लाभा.	33975	11808
4	एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम	100.00	57.00	लाभा.	1031	
ब	लघु सिंचाई					
1	एनिकट	50.00	4.99	संख्या	2	1
2	विद्युत/डिजल पम्पसेट वितरण, कुओं का विद्युतिकरण, पीवीसी पाईप लाईन तथा ड्रीप स्प्रीकलर सेट हेतु सहायता	200.00	117.60	ला.	572	225
3	नवीन एवं बन्द पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाएं	50.00	6.69	संख्या	4	
स	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
1	कौशल विकास परियोजना	100.00		लाभा.	666	48
2	सम्पर्क सड़क	400.00	177.75	किमी	17	4
3	स्वरोजगार योजना	75.00	0.72	लाभा.	750	90
द	अन्य		12.00			
	योग	**1175.01**	**406.75**			

य. सहरिया आदिम जाति क्षेत्र (सहरिया विकास कार्यक्रम)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजनाओं हेतु वर्ष 2015–16 में (दिसम्बर, 2015 तक) रू. 2371.20 लाख का बजट आवंटन किया गया मदवार आवंटन एवं व्यय की सूचना निम्नांकित तालिका में दर्शाई गई है:–

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद	वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 15)	
		आवंटन	व्यय
1	जनजाति कल्याण निधि	1725.86	1634.50
2	विशेष केन्द्रीय सहायता	112.59	12.67
3	संविधान का अनुच्छेद 275(1)	209.20	99.91
4	केन्द्र प्रवर्तित योजना(सी.सी.डी)	1227.85	1191.95
	योग	**3275.50**	**2939.03**

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित योजना वर्ष 2014–15 (जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक) की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

वर्ष 2015–16 में जनजाति कल्याण निधि के तहत सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 1725.86 लाख रूपये के आवंटन किया गया है जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2015 तक रू. 2840.09 लाख व्यय किये जा चुके है।

1. जनजाति कल्याण निधि

(i) आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियॉं

वर्ष 2015–16 में 27 आश्रम छात्रावासों का संचालन कर 1347 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा गया है। इन छात्र–छात्राओं को छात्रावास की समस्त सुविधा मुहैया कराई गई है। आश्रम छात्रावास संचालन एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में दिसम्बर, 2015 तक राशि रू. 173.24 लाख व्यय किये जा चुके है।

(ii) मुफ्त स्टेशनरी वितरण (कक्षा 1 से 5 तक)

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में दिसम्बर 2015 तक 44.10 लाख रूपये व्यय कर 7178 सहरिया छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

(iii) मुफ्त स्टेशनरी पौशाक एवं स्कूल फीस विवरण (कक्षा 6 से 12 तक)

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में दिसम्बर 2015 तक रूपये 101.82 लाख रूपये व्यय कर 7178 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

(iv) प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को छात्रवृति

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक रूपये 1.68 लाख रूपये व्यय कर 28 सहरिया विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

(v) कॉलेज छात्रों को आर्थिक सहायता

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक रूपये 63.60 लाख व्यय कर 318 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

(vi) बी.एस.टी.सी. प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 0.25 लाख रूपये व्यय कर 3 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

(vii) बी.एड. प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 6.00 लाख रूपये व्यय कर 10 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

(viii) क्षय रोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 32.69 लाख रूपये व्यय कर 191 क्षय रोगियों का उपचार पूर्ण किया जाकर लाभान्वित किया जा चुका है।

(ix) आवासीय विद्यालय संचालन

वर्ष 2015–16 में 3 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाकर 496 सहरिया एवं अन्य अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जाकर इन छात्र–छात्राओं को आवासीय विद्यालय की समस्त सुविधा मुहैया कराई गई है। आवासीय विद्यालयों के संचालन पर माह दिसम्बर, 2015 तक रू. 55.26 लाख व्यय किये जा चुके है। आवासीय विद्यालयवार विद्यार्थी क्षमता एवं प्रवेश का विवरण परिशिष्ठ– 9 पर उपलब्ध है।

(x) ए.एन.एम. प्रशिक्षण के लिए सहायता

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 0.00 लाख रूपये व्यय किये गये।

(xi) पी.एम.टी./पी..ई.टी./आई.आई.टी. आदि की प्रवेश शुल्क परीक्षा कोचिंग

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक रूपये 4.72 लाख रूपये व्यय कर शिक्षा विभाग में रीट की तैयारी हेतु 34 सहरिया युवकों को एवं पटवारी की तैयारी हेतु 72 सहरिया युवक को वर्तमान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(xii) दुर्घटना एवं बीमारी सहायता

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 3.60 लाख रूपये व्यय 57 सहरिया महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

(xiii) लघु कृषकों के लिए समेकित विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 0.52 लाख रूपये व्यय कर सहरिया कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(xiv) सहरिया परिवारों को निःशुल्क घी, तेल एवं दाल वितरण

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 616.79 लाख व्यय किया जाकर 22273 सहरिया परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(xv) मॉ–बाडी भवन निर्माण (50)

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 47.64 लाख रूपये व्यय किये जाकर 44 स्थानों पर भवन निर्माण किया जा चुका है।

(xvi) कन्या छात्रावास भवन निर्माण (3)

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 8.00 लाख रूपये व्यय किये जाकर छात्रावास भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

(xvii) मॉ–बाडी केन्द्रों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण (284)

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 94.00 लाख रूपये व्यय किये जाकर 215 कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(xviii) डे–केयर सेन्टरों में भवन निर्माण (40)

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 184.00 लाख रूपये व्यय किये जाकर 25 सेन्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(xix) सहरिया आवासों में रसोईघर पक्का फर्श निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 14.88 लाख रूपये व्यय किये जाकर 1761 का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(xx) मॉ–बाडी भवन निर्माण–50 (2014–15)

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 105.10 लाख रूपये व्यय किये जाकर 39 का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(xxi) चिकित्सालय भवन निर्माण एवं विस्तार

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 1.20 लाख रूपये व्यय किये जाकर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(xxii) मॉल–न्यूट्रेशन ट्रीटमेंट सेन्टर भवन निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 35.10 लाख रूपये व्यय किये जाकर 2 सेन्टरों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(xxiii) आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कवाई एवं कोयला

आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कवाई एवं कोयला हेतु वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 238.71 लाख रूपये व्यय किये जाकर भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(xxiv) छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण

छात्रावासों के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 165.00 लाख रूपये व्यय किये जाकर 10 छात्रावास भवनों का नवीनीकरण किया जा चुका है।

(xxv) आश्रम छात्रावासों/आवासीय विद्यालयों में सोलर लाईट

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 125.38 लाख रूपये व्यय किये जाकर छात्रावास/आवासीय विद्यालयों में 1082 सौलर लाईट/स्ट्रीट लाईट लगाई जा चुकी है।

2. सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (सी.सी.डी. योजना)

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2015–16 सी.सी.डी. योजना (पी.टी.जी.) में राशि रूपये 527.85 लाख का आवंटन किया गया, जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2015 तक संचालित विभिन्न योजनाओं में रूपये 1191.95 लाख व्यय किये जा चुके है।

(i) जन–श्री–बीमा योजना

जन श्री बीमा योजना के अन्तर्गत 15000 सहरिया आदिम जनजाति के परिवारों का बीमा करवाया गया है। माह दिसम्बर, 2015 तक इस योजना में रूपये 16.50 लाख व्यय किये जा चुके है।

(ii) सहरिया इनोवेटिव योजना

इनोवेटिव योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2015 तक इस योजना में रू. 61.03 लाख व्यय किये जा चुके है।

(iii) मॉ–बाडी संचालन

मॉ–बाडी योजनान्तर्गत वर्ष 2015–16 में 324 मॉ–बाडी केन्द्रों का संचालन कर 9520 सहरिया छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। माह दिसम्बर, 2015 तक इस योजना में रू. 557.44 लाख व्यय किये जा चुके है।

(iv) सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी

इस योजना के अन्तर्गत 200 सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी (महिला) कार्यरत हैं। सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी (महिला) कार्यकर्ताओं को प्राथमिक उपचार हेतु दवा का किट भी उपलब्ध करवाया जाता है। दिसम्बर, 2015 तक इस योजना में रू. 76.17 लाख व्यय किये जा चुके है।

(v) ड्राप आऊट सहरिया छात्राओं हेतु शिक्षा

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 10 की अनुत्तीर्ण सहरिया छात्राओं पुनः शिक्षा से जोडने हेतु शिक्षा दिलाई जाती है। माह दिसम्बर, 2015 तक इस योजना में रू. 2.28 लाख व्यय किये जाकर 19 छात्राओं को पुनः शिक्षा से जोडा जा रहा है।

(vi) सहरिया आवास निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत सहरिया आदिम जनजाति के व्यक्तियों के लिए तहसील किशनगंज एवं शाहबाद में सहरिया आवासों का निर्माण करवाया जा रहा है, 11वी. पंचवर्षीय योजना में बनाये जाने वाले कुल 2450 आवासों के विपरीत 2450 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं पुनः 867 सहरिया आवासों के विपरीत दिसम्बर, 2015 तक इस योजना में रू. 509.57 लाख व्यय किये जाकर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(vii) आश्रम छात्रावास भवन निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत सहरिया आदिम जनजाति के छात्रों के लिए बांसथूनी, जलवाडा का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने को है एवं हाटरी में छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण कर संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। माह दिसम्बर, 2015 तक इस योजना में रू. 5.95 लाख व्यय किये जा चुके है।

(viii) मॉ–बाडी भवन निर्माण (27बी)

इस योजनान्तर्गत 27 मॉ–बाडी केन्द्र बनाये जाने है जिसमें से माह दिसम्बर, 2015 तक रू. 28.50 लाख व्यय किये जाकर मॉ–बाडी भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(ix) आवासीय विद्यालय भवन निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत मुण्डियार (शाहबाद) में कन्या आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों के भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। माह दिसम्बर, 2018 तक इस योजना में रू. 177.28 लाख व्यय किये जा चुके है।

3. विशेष केन्द्रीय सहायता

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में विशेष केन्द्रीय सहायता मद राशि रू. 112.00 लाख का आवंटन हुआ जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक विभिन्न योजनाओं में रू. 13.02 लाख रूपये का व्यय किये गये है।

(i) कृषि प्रदर्शनों से आय में वृद्धि

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 3.00 लाख रूपये व्यय किये जाकर 600 सहरिया जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है।

(ii) स्मार्ट फार्मिंग परियोजना

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में माह दिसम्बर, 2018 तक 9.17 लाख रूपये व्यय किये जाकर 402 सहरिया जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

4. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275(1)

सहरिया विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275(1) में माह दिसम्बर, 2018 तक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रू. 190.00 लाख से का आवंटन किया गया है

(i) आवासीय विद्यालय शाहबाद संचालन/संस्थापन

आवासीय विद्यालय शाहबाद का संचालन/संस्थापन मद में माह दिसम्बर, 2015 तक राशि 99.91 लाख रूपये व्यय कर 350 छात्रों को आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान की जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

सहरिया विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत (अप्रेल, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक) भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

जनजाति कल्याण निधि

क्र. सं.	योजना का नाम	वित्तीय		भौतिक प्रगति		
		आवंटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धी
1	आश्रम छात्रावास संचालन	286.39	176.24	छात्रावास सं.	27	27
2	आवासीय विद्या संचालन/संस्था.	104.91	55.26	विद्यार्थी सं.	3	3
3	प्राथमिक स्तर के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक	76.00	44.10	विद्यार्थी सं.	12000	9141
4	माध्यमिक स्तर के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक	117.04	101.82	विद्यार्थी सं.	7267	7178
5	महाविद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक उत्प्रेरक	72.00	63.40	विद्यार्थी सं.	325	317
6	बी.एड. एवं एस.टी.सी. प्रशिक्षण हेतु सहायता	17.46	6.25	विद्यार्थी सं.	79	30
7	सहरिया ए.एन.एम. प्रशिक्षणार्थी को आर्थिक सहायता	2.88	2.05	लाभा सं.	20	0
8	दुर्घटना एवं बिमारी में सहायता	6.00	3.60	लाभा सं.	60	36
9	सहरिया विकास समिति की बैठकों का संचालन	0.30	0.04	कार्या सं.	4	2
10	सहरियाओं का एकीकृत विकास	2452.00	11.37	लाभा सं.	22273	0
11	पीएमटी/पीएटी/आईआईटी कोचिंग	40.00	4.72	विद्यार्थी सं.	अनिश्चित	0
12	आश्रम छात्रावासो में रीडिंग रूम निर्माण नय पुस्तकालय व कम्प्यू.	0.01				
13	आश्रम छात्रा.बारां बालक हेतु साईकिल क्रय	0.00	1.85	विद्यार्थी सं.	50	50
14	माँ–बाड़ी व नवीन डे–केयर सेन्टर संचालन	776.07	247.02	मां–बाडी	140	140up
15	क्षयरोग नियन्त्रण एवं स्वास्थ्यकर्मी योजना	58.84	32.69	लाभा सं.	अनिश्चित	191
16	लघु कृषकों के लिए समेकित विकास योजना	0.00	0.52	लाभा सं.	7600	
17	आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	48.00	238.71	भवन सं.	अनिश्चित	
18	छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण	500.00	165.00	भवन सं.	अनिश्चित	
19	कन्या छात्रावास भवन निर्माण (3)	0.00		भवन सं.	3	
20	माँ–बाड़ी भवन निर्माण (50) (2011–12)	0.00	47.64	भवन सं.	50	44
21	माँ–बाडी केन्द्रों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण	0.00	94.00	केन्द्र सं.	284	215
22	डेकेयर सेन्टरों में भवन निर्माण	0.00	184.00	केन्द्र सं.	40	25
23	सहरिया आवासों में रसोईघर एवं पक्का फर्श निर्माण	0.00	14.88	आवास सं.	2450	2450
24	माँ–बाड़ी भवन निर्माण (50) 2014–15	0.00	105.10	भवन सं.	50	up
25	चिकित्सालय भवन निर्माण एवं विस्तार	0.00	1.20	भवन सं.	2	
26	मॉल न्यट्रेशन ट्रीटमेंट सेन्टर भवन निर्माण	0.00	35.10			
27	आश्रम छात्रावासों में सौलर लाईट	0.01				
28	आश्रम छात्रावास परियोजना कार्यालय भवन एवं कर्मचारी आवास आधुनिकीकरण/मरम्मत/रखरखाव	0.00			अनिश्चित	
29	लेम्प्स अंशपूंजी क्रय अनुदान	0.01				
30	मां–बाडी केन्द्रो के कर्मियों को फेसिलिटेटर के कार्य करने हेतु प्रशिक्षण	0.01				
	योग	4567.93	1634.51			

विशेष केन्द्रीय सहायता

क.सं.	योजना का नाम	वित्तीय		भौतिक प्रगति		
		वित्तीय आवंटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	कृषि प्रदर्शनों से आय में वृद्धि	40.00	3.50	ला.स.	not fix	0
2	व्यक्तिगत विद्युत/डीजल पम्पसैट योजना	32.00		डी.पी.एस.सं.	72	72
3	स्मार्ट फार्मिंग परियोजना	20.59	9.17	ला.स.	up	0
4	बस्तियों को सेवा केन्द्रों से जोड़ना	0.01			0	0
	योग :–	**92.60**	**12.67**		-	-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1)

क.सं.	योजना का नाम	वित्तीय		भौतिक प्रगति		
		वित्तीय आवंटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	आवासीय विद्यालय संचालन	192.50	99.91	संख्या	1	1
	योग :–	**192.50**	**99.91**		-	-

केन्द्र प्रवर्तित योजना

क.सं.	योजना का नाम	वित्तीय		भौतिक प्रगति		
		वित्तीय आवंटन	व्यय	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि
1	जन श्री बीमा योजना	16.50		ला.स.	not fix	
2	ड्राप आउट सहरिया छात्राओं हेतु शिक्षा	0.00	2.28		50	19 up
3	सहरिया इनोवेटिव योजना	340.96	61.03	ला.स.	not fix	
4	मॉं–बाडी केन्द्र संचालन	1000.00	328.42	केन्द्र सं.	184	184 up
5	सहरिया स्वास्थ्य सहयोगी	25.00	76.17	ला.स.	200	200 up
6	मॉनिटरिंग तथा प्रशासनिक व्यय	4.00	2.78	—	0	
7	जनजाति परिवारों का बैस लाईन सर्वे	0.01		छात्रा सं.	50	
8	सहरिया आवास निर्माण	0.01	509.57	आवास सं.	965	525
9	सहरिया बंगला निर्माण	0.01		आवास सं.		
10	आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	0.00	177.25	आ.वि.सं.	2	2 up
11	छात्रावास भवन निर्माण	0.00	5.95	भवन सं.	3	3 up
12	सौलर इलेक्ट्राफिकेशन	0.01		ला.स.	not fix	up
13	मॉंबाडी भवन निर्माण (27बी) 2011–12	0.00	28.50	केन्द्र सं.	27	up
	योग :–	**1386.50**	**1191.95**			

- कुछ मदों में पूर्व वर्ष की बचत राशि उपलब्ध होने से व्यय आवंटन के अधिक रहा है।

अनुसूचित क्षेत्र/विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियां

1. राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने की प्रगति

कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 2(1)डीओपी/ए–II/2014 दिनांक 28.01.2014 द्वारा "राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014" बनाये गये है। इन नियमों को लागू करने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 2(1)डीओपी/ए–II/ 2014 दिनांक 17.07.2014 एवं दिनांक 10.11.2014 द्वारा उक्त नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। उक्त नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। आमजन से जुड़े 12 विभागों के विभागाध्यक्षों/नोडल अधिकारियों से सम्पर्क कर प्राप्त की गई आदिनांकित स्थिति निम्नानुसार है :–

अनुसूचित क्षेत्र में अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के कार्यरत 42317 कर्मचारियों में से 42183 ने सेवा नियम 2014 के नियम 6(3) के तहत अपने विकल्प दे दिये है। जो विकल्प प्राप्त हुए है उनमें से 39117 कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर ही रहने के इच्छुक है, जबकि 3066 कर्मचारी अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में जाना चाहते है। अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरण चाहने वाले 3066 कार्मिकों का स्थानान्तरण वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र में पद रिक्त होने से नहीं किया गया है।

गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों की संख्या 1021 कर्मचारी है। इनमें से 947 कार्मिकों का स्थानान्तरण अनुसूचित क्षेत्र में किया जा चुका है।

कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प.2(1)कार्मिक/क–2/2014/पार्ट दिनांक 14.08.2015 की पालना में अनुसूचित क्षेत्र में रहने का विकल्प देने वाले एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र से अनुसूचित क्षेत्र में स्थानान्तरित कर्मचारियों कुल 40064 में से 39194 की सेवापुस्तिकाओं में अनुसूचित क्षेत्र सेवा नियम सम्बन्धी प्रविष्ठी कर दी गई है।

अनुसूचित क्षेत्र में इन नियमों के तहत कुल 10981 रिक्त पद चिन्हित किये गये थे, जिनमें से 3193 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त ए.एन.एम. के 319 एवं कृषि पर्यवेक्षकों के 90 पदों को भरने की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। पटवारी के 458 एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के 4000 पदों हेतु भर्ती परीक्षा फरवरी, 2016 में आयोजित की जायेगी। शेष विभागों में भर्ती हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2. अनुसूचित क्षेत्र, माडा एवं सहरिया क्षेत्र में संचालित 1339 मॉ–बाडी डे–केयर सेन्टरों पर पोषाहार प्रबंध के लिए गैस कनेक्शन (बजट घोषणा संख्या–93.13.0 वर्ष 2015–16)

अनुसूचित क्षेत्र, माडा एवं सहरिया क्षेत्र में संचालित 1339 मॉ–बाडी डे–केयर सेन्टरों पर 40170 बच्चों के पोषाहार पकाने के लिए 75.00 लाख रूपये व्यय कर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके है।

3. 100 नये मॉ–बाडी केन्द्र खोले जाने की घोषणा (बजट घोषणा संख्या– 93.12.0 वर्ष 2015–16)

अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र में लगभग 3 करोड रूपये व्यय कर स्वच्छ परियोजना द्वारा 100 नये मॉ–बाडी केन्द्रो का संचालन प्रारंभ किया जा चुका है।

4. अनुसूचित क्षेत्र के पशुपालको का दुध एकत्रित करने हेतु संबंधित डेयरियों को बल्क कुलर उपलब्ध करवाये जायेंगे। (बजट घोषणा संख्या– 93.14.0 वर्ष 2015–16)

अनुसूचित क्षेत्र के पशुपालकों का दुध एकत्रित करने हतु उदयपुर–18, बांसवाडा – 14, डूंगरपुर–03 एवं प्रतापगढ में 15 कुल 50 बल्क मिल्क कुलर हेतु संबंधित डेयरी फेडरेशन को 500 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी कर हस्तान्तरित की जा चुकी है।

राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा इस संबंध में निविदा की कार्यवाही की जा रही है। माह फरवरी, 2016 के अन्त तक समस्त बल्क कुलर स्थापित होने की संभावना है।

5. अनुसूचित क्षेत्र में बालिकाओं के लिए बालिका खेल छात्रावास (बजट घोषणा संख्या–93.15.0 वर्ष 2015–16)

अनुसूचित क्षेत्र के बांसवाडा, डूंगरपुर, उदयपुर एवं आबूरोड में संचालित 4 आश्रम छात्रावासों को बालिका खेल छात्रावासों में परिवर्तित कर दिया गया है तथा प्रतापगढ जिले में नवीन बालिका खेल छात्रावास का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।

उक्त 5 खेल छात्रावासो में कुल 250 (प्रत्येक में 50) बालिकाओं का प्रवेश हो चुका है। खेल छात्रावासों में राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कोच का चयन कर पदस्थापन कर दिया गया है। नवीन बालिका खेल छात्रावास प्रतापगढ का निर्माण हेतु राशि रूपये 300 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा

चुकी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निविदा संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर कार्यादेश जारी किया जा चुका है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है, जिसके सितम्बर, 2016 तक पूर्ण होने की संभावना है।

6. बहुउद्देशीय छात्रावास

जिला उदयपुर में 150 बालिकाओं की क्षमता का एवं जिला कोटा में 100 बालिकाओं की क्षमता का बहुउद्देशीय छात्रावास प्रारंभ किया गया, जिस पर 1180.00 लाख रूपये व्यय किये गये। उक्त दोनों छात्रावासों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली बालिकाओं को प्रवेश दिया जायेगा।

7. सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निर्मित एवं वर्तमान मे बन्द, 30 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनायें पुनः प्रारम्भ की गयी। इस योजना से जनजाति कृषकों की 1107 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है, जिससे 1699 जनजाति परिवार लाभांवित हुए हैं। (पुनः चालू जलोत्थान सिंचाई की सूची परिशिष्ट– 22 पर उपलब्ध है)

8. नवीन एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शीयल स्कूल

ग्राम पाडोला जिला बांसवाडा में सहशिक्षा एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शीयल स्कूल प्रारंभ किया गया। जिसमें 90 छात्र एवं 90 छात्राओं को प्रवेश दिया गया तथा ग्राम राणौली जिला करौली में भी नवीन सहशिक्षा एकलव्य मॉडल रेजीडेन्शीयल स्कूल का छात्रावास प्रारंभ किया गया।

9. जनजाति प्रतिभा खेल सम्मान समारोह का आयोजन

जनजाति प्रतिभा खेल सम्मान समारोह का आयोजन राजकीय मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शीयल स्कूल, सुरपुर जिला डूंगरपुर में दिनांक 26.10.2015 को किया गया।

10. छात्रावासों में सोलर वाटर हीटर की स्थापना

अनुसूचित क्षेत्र के समस्त छात्रावासों में सोलर वाटर हीटर स्थापित किये जा रहे हैं। अब तक कुल 156 छात्रावासों में सोलर वाटर हीटर स्थापित किये जा चुके हैं। जिस पर 563.45 लाख रूपये व्यय हुआ है।

12. लघुवन उपज विशिष्ठ मण्डी की स्थापना

लघुवन उपज के उत्पादन एवं आवक की बहुल्यता को देखते हुए उसके विपणन को सुविधाजनक बनाये जाने हेतु राज्य की प्रथम लघुवन उपज विशिष्ठ मण्डी की स्थापना उदयपुर जिले में किये जाने स्वीकृति जारी की गई है।

13. अनुसूचित क्षेत्र में वन उपज को परिवहन करने पर टी.पी. (Transit Permit) से मुक्ति

वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(33)वन/98 दिनांक 14.09.2015 से कुल 26 वन उपज को अनुसूचित क्षेत्र से परिवहन करने पर टी.पी. से मुक्त किया गया है। जिसके फलस्वरूप स्थानीय संग्रहणकर्ता से जनजाति वर्ग के लोगो को मुक्ति मिली है तथा वह उनकी वन उपज को खुले बाजार में विक्रय हेतु सुगमता से ला पा रहे है।

14. अनुसूचित क्षेत्र विस्तार के प्रस्ताव वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये गये–

संविधान की अनुसूची V के तहत अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव में निम्न ग्राम/तहसील/पंचायत समिति को शामिल किया गया है–

क्र.स.	जिले का नाम	तहसील/पंचायत समिति का नाम	ग्रामो की संख्या	नगर पालिका क्षेत्र
1	उदयपुर	गिर्वा	95	
		बडगांव	35	
		मावली	4	
		गोगुन्दा	186	
		भीण्डर	23	
2	राजसमन्द	कुम्भलगढ	24	
		नाथद्वारा	15	
3	चित्तौडगढ	बडी सादडी	51	
4	प्रतापगढ	छोटी सादडी	155	1
5	पाली	बाली	33	
6	सिरोही	आबूरोड		2
		पिण्डवाडा	51	
	योग		**672**	**3**

अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्ताव का भारत सरकार से अनुमोदन/अधिसूचना जारी होने के पश्चात स्थिति निम्नानुसार होगी–

क.सं.	वर्तमान अनुसूचित क्षेत्र					प्रस्तावित क्षेत्र के अनुमोदन/अधिसूचना जारी होने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र				
	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम संख्या	ज.क.एवं बाह्य वृत	नगरपालिका	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम संख्या	ज.क.एवं बाह्य वृत	नगरपालिका
1	बांसवाडा	सम्पूर्ण जिला	1513	3	2	बांसवाडा	सम्पूर्ण जिला	1513	3	2
2	डूंगरपुर	सम्पूर्ण जिला	976	2	2	डूंगरपुर	सम्पूर्ण जिला	976	2	2
3	उदयपुर	कोटडा	262	–	–	उदयपुर	कोटडा	262	–	–
		झाडोल	283	–	–		झाडोल	283	–	–
		लसाडिया	114	–	–		लसाडिया	114	–	–
		सलूम्बर	268	–	1		सलूम्बर	268	–	1
		सराडा	191	4	–		सराडा	191	4	–
		खेरवाडा	195	1	–		खेरवाडा	195	1	–
		रिषभदेव	125	1	–		रिषभदेव	125	1	–
		गोगुन्दा (आंशिक)	52	–	–		गोगुन्दा	237	1	–
		गिर्वा (आंशिक)	122	1	–		गिर्वा	217	1	–
							बडगांव ब्लॉक	35	–	–
							मावली	4	–	–
							वल्लभनगर	23	–	–
4	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	293	–	1	प्रतापगढ़	सम्पूर्ण जिला	1003	1	2
		अरनोद	181	–	–					
		धरियावद	167	1	–					
		पीपलखूंट	207	–	–					
5	सिरोही	आबूरोड ब्लाक	85	2	–	सिरोही	आबूरोड	85	2	2
							पिण्डवाड़ा	51	–	–
6	राजसमन्द	–	–	–	–	राजसमन्द	कुंभलगढ़	24	–	–
							नाथद्वारा	15	–	–
7	चित्तौडगढ	–	–	–	–	चित्तौडगढ	बडी सादडी	51	–	–
8	पाली	–	–	–	–	पाली	बाली	33	–	–
	योग	5034	15	5				5705	16	9

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों के संबंध में दिनांक 09 दिसम्बर, 2014 को आयोजित मंत्रीमण्डल की बैठक में राज्य मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक 153/2014 द्वारा अनुमोदित किया गया। शासन द्वारा पत्र दिनांक 26.12.14 से राज्य मंत्री मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को अग्रिम कार्यवाही हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भिजवाये गये है।

निदेशक, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत-सरकार, नई दिल्ली द्वारा उनके पत्रांक-18013/8/2014 दिनांक 10.03.2015 एवं पत्र दिनांक 24.08.2015 से उक्त प्रस्तावों के संबंध में चाही गई सूचना/जानकारी कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ-32(81)(1)टीटीएडी/ 2014-15/6129 दिनांक 25.02.15 से भिजवायी गई।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने अवगत कराया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार के प्रस्तावों को अनुमोदन हेतु केन्द्रीय मंत्रीमण्डल को भिजवाया जा चुका है। इस संबंध में अतिशीघ्र अधिसूचना जारी होने की संभावना है।

11. तीरन्दाजी अकादमी की स्थापना

उदयपुर शहर के खेलगांव में जनजाति बालकों हेतु तीरन्दाजी अकादमी प्रारंभ की गयी है। जिसमें 80 छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है।

तीरंदाजी एकेडमी, खेलगांव, उदयपुर

12. जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह

अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति प्रतिभाएं जिन्होंने कक्षा 10 या 12 में 75 प्रतिशत से अधिक अंक या स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षा में 65 प्रतिशत से अधिक अंक या जिनका राजपत्रित सेवा हेतु सरकार की प्रथम श्रेणी सेवा केन्द्रीय उपक्रम- बैंक पी.ओ. आदि में चयन हुआ हो, उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल, ढीकली जिला उदयपुर में दिनांक 29.10.15 को जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन कर इन प्रतिभाओं को पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया।

13. खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण हेतु कोच की नियुक्ति

विभाग द्वारा संचालित समस्त खेल छात्रावासो में नियमित प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय पदक विजेता, राष्ट्रीय स्तर एवं एन.आई.एस. (N.I.S.) प्रशिक्षित कोच एजेन्सी स्वच्छ परियोजना के माध्यम से नियुक्त किये गये है। जिससे जनजाति खेल छात्रावासो में छात्र/छात्राओं को नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध हो रहा है।

14. राजकीय जनजाति आश्रम छात्रावासों में विशेष कोचिंग

आश्रम छात्रावासों के कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के छात्र–छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के माध्यम से 6 माह तक कठिन विषयों की कोचिंग कराई जाती है ताकि छात्र–छात्राऐं कठिन विषयों की अच्छी तैयारी कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। कक्षा 10 वीं में अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 12 में कला वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी व ऐच्छिक अंग्रेजी, वाणिज्य वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा तीनों ऐच्छिक विषय तथा विज्ञान वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा चारों ऐच्छिक विषयों की कोचिंग कराई जाती है। विशेष कोचिंग योजनान्तर्गत प्रति विषय प्रतिमाह 2500/– रूपये की दर से 6 माह तक मानदेय भुगतान कोचिंग शिक्षक को किया जाता है।

15. खेल उपकरण वितरण

विभाग द्वारा संचालित समस्त खेल छात्रावास/आवासीय विद्यालय/आश्रम छात्रावासों हेतु 265.00 लाख रूपये की खेल सामग्री क्रय की जाकर वितरित की जा रही है।

खेल सामग्री में टेबल टेनिस, ऐथलेटिक्स, वेट ट्रेनिंग सेट (केवल छात्रो हेतु) फुटबॉल, वॉलीबाल, स्कीपिंग रोप, केरमबोड, शतरंज, बेडमिंटन आदि उपलब्ध कराये गये तथा उक्त सामग्री के अतिरिक्त खेल छात्रावासों में 8 स्टेशन मल्टीपरपज जिम, हाईजम्प, शॉर्टपुट जेवेलियन, डिस्क्स थ्रो, तीर धनुष, हॉकी, ट्रेकसूट एवं स्पाइक शूज भी उपलब्ध कराये गये।

18. विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों के बालक/बालिकाओं का खेल क्षेत्र में विशेष उपलब्धि

नाम– [illegible]
पिता– श्री [illegible]
कक्षा– 12
छात्रावास– जनजाति तीरन्दाजी अकादमी, खेलगांव, उदयपुर
खेल– तीरन्दाजी
उपलब्धि– स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा रांची (झारखण्ड) में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता (वर्ष 2015–16) में बालक (आयु–19) वर्ग में तीरन्दाजी में राजस्थान राज्य की ओर से भाग लिया।

नाम– [illegible] मीणा
पिता– श्री [illegible] कुमार मीणा
कक्षा– 12
छात्रावास– राजकीय जनजाति कन्या खेल छात्रावास, [illegible], उदयपुर
खेल– तीरन्दाजी
उपलब्धि– स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा गुवाहाटी (असम) में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता (दिनांक 21.01.16 से 24.01.16) में बालिका (आयु–19) वर्ग में तीरन्दाजी में राजस्थान राज्य की ओर से भाग लिया।

नाम– राहुल मीणा
पिता– श्री [illegible] कुमार मीणा
कक्षा– 10
छात्रावास– जनजाति तीरन्दाजी अकादमी, खेलगांव, उदयपुर
खेल– तीरन्दाजी
उपलब्धि– स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा रांची (झारखण्ड) में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता (वर्ष 2015–16) में बालक (आयु–17) वर्ग में तीरन्दाजी में राजस्थान राज्य की ओर से भाग लिया।

अध्याय – 3

जनजाति विकास के प्रमुख कार्यक्रम/योजनाऐं

1. आश्रम छात्रावासों का संचालन

जनजाति छात्र–छात्राएं उनके निवास स्थान के नजदीक वांछित स्तर का विद्यालय नहीं होने की स्थिति में उनके परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण दूर–दराज के विद्यालयों में अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं। अतः ऐसे छात्र–छात्राएं अध्ययन जारी रख सकें, इस उद्देश्य से विभाग द्वारा 319 आश्रम छात्रावास संचालन किए जा रहे हैं जिनमें 19470 छात्र/छात्राओ को लाभान्वित किया जा रहा है। इन छात्रावासों में 1900/– रू प्रतिमाह प्रति छात्र–छात्रा की दर से निःशुल्क आवास, भोजन, पोशाक एवं अन्य सुविधाऐं उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया जा रहा है। आश्रम छात्रावासों में कार्यरत अधीक्षक एवं कोच को 15 प्रतिशत विशेष भत्ता एवं 10 प्रतिशत मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है।

2. आवासीय विद्यालय संचालन योजना

अनुसूचित क्षेत्र, माडा क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र में छात्र–छात्राओं में शिक्षा के उन्नयन हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत शैक्षिक/अशैक्षिक पदों पर शिक्षा विभाग से कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन पर लिये जाकर अध्ययन व्यवस्था संचालित की जा रही है। इन आवासीय विद्यालयों में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर का पैटर्न संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग द्वारा 20 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इसमें से 11 छात्रों हेतु व 9 छात्राओं हेतु संचालित है। जिसमें 4453 छात्र/छात्राऐं लाभान्वित हो रहे है। आवासीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को 15 प्रतिशत विशेष भत्ता दिया जा रहा है।

3. मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में दो मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, ढीकली (उदयपुर) एवं सूरपुर (डूँगरपुर) का संचालन किया जा रहा है। दोनों स्कूलों की कुल क्षमता 420 छात्र–छात्रा है जिसके विरूद्ध शिक्षा सत्र 2015–16 में 416 छात्र–छात्राओं को प्रवेश दिया गया है। मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, ढीकली बालिका एवं मॉडल पब्लिक रेजीडेन्शियल स्कूल, सूरपुर बालक हेतु है।

4. आश्रम छात्रावासों में विशेष कोचिंग योजना

आश्रम छात्रावासों के कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के छात्र–छात्राओं को आश्रम छात्रावास में ही विषय विशेषज्ञ के माध्यम से 6 माह तक कठिन विषयों की कोचिंग कराई जाती है ताकि छात्र–छात्राऐं कठिन विषयों की अच्छी तैयारी कर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। कक्षा 10 वीं में अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित तथा कक्षा 12 में कला वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी व ऐच्छिक अंग्रेजी, वाणिज्य वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा तीनों ऐच्छिक विषय तथा विज्ञान वर्ग में अनिवार्य अंग्रेजी तथा चारों ऐच्छिक विषयों की कोचिंग कराई जाती है। विशेष कोचिंग योजनान्तर्गत प्रति विषय प्रतिमाह 2500/– रूपये की दर से 6 माह तक मानदेय भुगतान कोचिंग शिक्षक को किया जाता है।

5. आश्रम छात्रावासों के आवासीय छात्र–छात्राओं की शैक्षणिक भ्रमण योजना

जनजाति छात्र–छात्राओं को शहरी, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय व आधुनिक ज्ञान उपलब्ध कराने की दृष्टि से आश्रम छात्रावासों के छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना संचालित की जा रही है। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान कम से कम राजस्थान के शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर छात्र–छात्राओं को भ्रमण कराते हुए जनजाति छात्र–छात्राओं की जिज्ञासा पूरी करने का प्रयास किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य जनजाति के छात्र–छात्राओं को स्मारकों के बारे में ज्ञान प्राप्त कराना ताकि वे राष्ट्रीय विकास की धारा से रूबरू होकर ज्ञान में सुधार ला सकें और व जागरूक तथा जिम्मेदार नागरिक बन सके। भ्रमण से उन्हें भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। यह भ्रमण कार्यक्रम सात दिवसीय होता है जिसमें भोजन, नाश्ता के अतिरिक्त छात्र–छात्राओं को दर्शनीय स्थानों का टिकट एवं ठहरने की व्यवस्था, स्टेशनरी, बसों के किराये का प्रावधान किया गया है।

6. छात्रगृह किराया योजना (केवल राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं हेतु)

इस योजनान्तर्गत जनजाति के ऐसे छात्र–छात्राऐं जो राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढते हैं, उनमें से जिन छात्र–छात्राओं को छात्रावास में स्थानाभाव के कारण आवासीय सुविधा नहीं मिल पाती है और व किराये के मकान में रहकर नियमित अध्ययन करते हैं, उनको इस योजनान्तर्गत आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पैटर्न अनुसार मकान किराया की राशि निम्नानुसार पुनर्भरण की जाती है–

क्र.सं.	स्थान	अवधि	दर प्रतिमाह प्रति छात्र–छात्रा	राशि (10 माह की राशि)
1	संभाग मुख्यालय	10 माह तक	500.00	5000.00
2	जिला मुख्यालय	10 माह तक	400.00	4000.00
3	अन्यत्र स्थान	10 माह तक	300.00	3000.00

जिन छात्र–छात्राओं के माता–पिता आयकरदाता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। छात्राएं अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

7. बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति

अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 1993–94 से यह योजना प्रारम्भ की गई। जनजाति के ऐसे प्रतिभावान छात्र जिन्होंने राजस्थान से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है तथा विश्वविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उन्हें राशि रू 350/– प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

8. जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता (निजी एवं राजकीय महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए)

अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति महिलाओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1994–95 में यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी हों और महाविद्यालय (सामान्य शिक्षा) में अध्ययनरत हों। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रू 500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (5000/– रू एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्होंने महाविद्यालय में पिछली परीक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो साथ ही आर्थिक सहायता केवल उन्हीं छात्राओं को देय होगी जिनके माता–पिता आयकरदाता नहीं हैं। छात्राएं राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

9. जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता

अनुसूचित क्षेत्र की कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययन करने वाली जनजाति छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से यह योजना प्रारम्भ की गई। योजना का लाभ उन छात्राओं को प्राप्त होगा जो अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी हो और राजकीय विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। योजनानुसार प्रत्येक अध्ययनरत छात्रा को राशि रू 200/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक (2000/- रू एकमुश्त) आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं है। छात्रायें राज्य की मूल निवासी होने तथा राज्य में ही संचालित राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत रहने पर ही योजना का लाभ देय होगा।

10. निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति छात्रायें जिन्होंने राजकीय विद्यालयों में अध्ययन कर कक्षा 10वीं एवं 12 वीं परीक्षा में प्रथम बार 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हों, उन्हें विभाग द्वारा निःशुल्क स्कूटी वितरण की जाती है। जिस छात्रा ने कक्षा 10 वीं में स्कूटी प्राप्त कर ली है तथा कक्षा 12 वीं में भी 65 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किया हो तो उसे स्नातक कक्षा में प्रवेश लेने पर प्रथम वर्ष में राशि रू 20,000/- तथा स्नातक के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः राशि रू 12,000/-, 10,000/- नकद दी जाती है। वर्ष 2013-14 में योजना का विस्तार सम्पूर्ण गैर अनुसूचित क्षेत्र में कर दिया गया है। इस योजना में उन्हीं छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी दी जाती है जिनके माता-पिता आयकरदाता नहीं है, जो राज्य की मूल निवासी हो तथा जो आगे सामान्य शिक्षा में नियमित अध्ययनरत हो।

11. जनजाति के कक्षा 6 से 12 तक चयनित छात्र–छात्राओं को प्रतिष्ठित विद्यालयों/संस्थाओं के माध्यम से अध्ययन योजना

सामान्यतया जनजाति छात्र–छात्राऐं आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण प्रतिष्ठित एवं अच्छी शिक्षा देने वाले निजी शैक्षिक विद्यालयों/संस्थाओं में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इसलिए राज्य की कतिपय श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थाओं में जनजाति छात्रों को सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अध्ययन कराने एवं इन्हें गुणवत्तायुक्त शिक्षा दिलवाये जाने हेतु योजना प्रारम्भ की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत ट्यूशन फीस, आवास, भोजन, पुस्तकें, स्टेशनरी एवं पौशाक आदि हेतु राशि स्वीकृत की जाती है जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

12. खेल छात्रावासों का संचालन

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति छात्रों को खेल–कूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य कीडा परिषद जयपुर के खेल छात्रावास पैटर्न पर तीन खेल छात्रावास यथा जिला स्तरीय खेल छात्रावास लौधा (बांसवाड़ा) 100 छात्र क्षमता एवं खेरवाड़ा (उदयपुर) 50 छात्र क्षमता तथा संभाग स्तरीय खेल छात्रावास सरदारपुरा (उदयपुर) में 50 छात्र क्षमता के संचालित किये जा रहे हैं। इन खेल छात्रावासों में दक्ष विशेषज्ञों द्वारा तीरन्दाजी एवं ऐथेलेटिक्स का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं सिरोही (आबूरोड़) जिले में एक–एक बालक छात्रावास प्रारम्भ किये गये है। वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के पांचों जिलो में एक–एक बालिका छात्रावास (प्रत्येक की 50 छात्रा क्षमता) भी प्रारम्भ किये गये है। उदयपुर जिले के खेलगाव में तीरन्दाजी ऐकेडमी भी इसी वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ की गई जिनमें 50 छात्रों को प्रवेश दिया गया है।

खेल छात्रावास में सम्पूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12 वीं तक के जनजाति खिलाड़ी बालकों को प्रवेश दिया जाता हैं। छात्रावास में छात्रों का चयन विशिष्ट प्रकार के बेट्री टेस्ट और कौशल परीक्षणों के आधार पर किया जाता हैं। प्रवेशित छात्रों को अनुमोदित पैटर्न अनुसार भोजन, आवास, विद्यालय पोशाक एवं अन्य सहायक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। इसके साथ ही बालकों को निकटतम विद्यालयों में नियमित अध्ययन की सुविधायें प्रदान की जाती है। वर्तमान में 650 छात्र–छात्रा क्षमता के 12 खेल छात्रावास संचालित है। शत–प्रतिशत प्रवेशित छात्र–छात्राओं को खेल छात्रावास की समस्त सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है।

13. खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन

इस वित्तीय वर्ष में तीन दिवसीय प्रथम राज्य स्तरीय जनजाति छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता वर्ष 2018–19 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, तीरन्दाजी (जिसमें 70 मीटर व इण्डियन 30 मीटर व 50 मीटर) एवं एथलेटिक्स 100, 200, 400 मीटर की दौड़ का आयोजन किया गया। अनुसूचित क्षेत्र के प्रत्येक जिले में संचालित आवासीय विद्यालयों एवं पोस्ट छात्रावासों से एक–एक दल तथा समस्त [illegible] छात्रावासों से एक बालक एवं एक बालिका दल की इस प्रतियोगिता में भाग लिया गया। गैर अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालयों के भी एक–एक दल को सम्मिलित किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर रहे छात्र–छात्राओं को पुरस्कार के साथ ही प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न जिलों से कुल 540 छात्र–छात्राओं द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया गया। इस प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराये गये।

उद्घाटन समारोह के अवसर पर [illegible], [illegible] बैण्ड ([illegible]) की धुन पर खिलाड़ियों का मार्चपास्ट एवं जनजाति जीवन से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। जिसमें [illegible] का आदिवासी [illegible] नृत्य एवं [illegible] स्वांग आदि विविध आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। विशेष रूप से ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय–राष्ट्रीय स्तर के जनजाति खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।

प्रतियोगिता में उपस्थित प्रतिभागियों के उत्साह को देखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष में जिला एवं सम्भाग स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अन्य खेलों को भी सम्मिलित किया जाकर राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से जनजाति खिलाड़ी बालक–बालिकाओं की खेल प्रतिभा को निखारने एवं मुख्य धारा से जोड़ने का व्यापक प्रयास किया जायेगा।

14. जनजाति प्रतिभा खेल सम्मान समारोह वर्ष 2015–16 का आयोजन

माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की अध्यक्षता में डूंगरपुर जिले के राजकीय मॉडल आवासीय रेजिडेन्शियल स्कूल, डूंगरपुर में दिनांक 26.10.2016 को खेल प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में जिले के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। माननीय मंत्री महोदय द्वारा खेल प्रतिभा सम्मान समारोह की आवश्यकता एवं उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए जनजाति छात्र–छात्राओं को स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास करने का संदेश दिया। छात्र–छात्राओं को नियमित अध्ययन के साथ ही खेलों में हिस्सा लेने का आह्वान करते हुए जनजाति प्रतिभाओं का नाम जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करने हेतु आह्वान किया गया। खेल छात्रावासों में आवासीय छात्र–छात्राओं को समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। तत्पश्चात् माननीय मंत्री महोदय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2014–15 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र व नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही कार्यक्रम में सम्मानित छात्र–छात्राओं को समारोह स्थल तक आने–जाने के लिए किराये का भुगतान किया गया। जनजाति छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित करने की योजना की गयी। उक्त कार्यक्रम में संभाग के [illegible] छात्र–छात्राओं को सम्मानित किया गया।

जनजाति प्रतिभा खेल सम्मान समारोह के अवसर पर माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान

15. बेणेश्वर धाम पर जनजाति छात्र–छात्राओं हेतु खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लिए डूँगरपुर जिले की पंचायत समिति, आसपुर में ग्राम साबला बेणेश्वर धाम में मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के सभी जिलो से जनजाति के छात्र–छात्राऐ अपने अभिभावको के साथ मेले में आते है। साथ ही त्रिवेणी संगम पर अपने पूर्वजो को श्रंद्धाजली अर्पित करते है। इसके साथ ही अपने परम्परागत खेल के रूप में अपने साथ धनुष तीर भी लेकर आते है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, जिला प्रशासन डूँगरपुर एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में मेला स्थल पर पारम्परिक खेलो का आयोजन मेला स्थल पर किया जाता है। प्रतियोगिता 3 दिन आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता मुख्यतः एथेलेटिक्स, तीरंदाजी खेल में 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिका वर्ग, 14 वर्ष से उपर पुरूष व महिला वर्ग, रस्सा कस्सी पुरूष व महिला वर्ग, गिडा डौट व सतौलिया पुरूष वर्ग में एवं मटका दौड़ केवल महिला वर्ग में आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है। विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों में प्रवेश देकर उन्हे प्रचलित खेलो में दक्ष प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहन किये जाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गई है।

आयोजित प्रत्येक खेल व इवेन्ट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुरूष, महिला प्रतियोगी को क्रमशः 501, 401, 301, 201 रूपये नकद राशि पारितोषिक स्वरूप प्रदान की जाती है। रस्सा कस्सी में प्रथम दो स्थान प्राप्त करने वाले पुरूष व महिला दल को 2501 व 1501 रूपये पारितोषिक स्वरूप दिये जाते है। गिडा डोट में 9–9 खिलाड़ी व सतोलिया में 7–7 खिलाड़ी तथा रस्सा कस्सी में 9–9 खिलाड़ी भाग लेते। तीरंदाजी में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी को अपने अपने तीर कमान साथ लाना अनिवार्य है। गिडाडोट व सतोलिया के प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वाले को क्रमशः 1001 व 701 रूपये पारितोषिक दिया जाता है।

16. कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में अध्यनरत छात्र–छात्राओं को आधुनिक तीर–धनुष उपलब्ध करवाने एवं प्रशिक्षण देने हेतु

वर्तमान में अनुसूचित क्षेत्र मे 12 खेल छात्रावास संचालित है, जिसमें अध्ययनरत प्रतिभावान छात्रों को कक्षा 12वीं तक खेल विशेषज्ञ प्रशिक्षको द्वारा इन्हे आधुनिक धनुष चलाने का विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाकर इनमें छिपी प्रतिभा में निखार लाया जाता है। कक्षा 12वीं के पश्चात् अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासी छात्र–छात्राऐं जो महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है तथा राज्य एवं राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त किया हुआ है या उत्कृष्ठ खिलाडी रहे हों, उन छात्र–छात्राओं का अभ्यास निरन्तर जारी रहे, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए योजना

का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत ऐसे खिलाड़ियों को किट्स धनुष, कार्बन तीर एवं अन्य आवश्यक उपकरण क्रय कर परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है। महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं उपलब्ध कराये जाते हैं जिसे प्रतियोगिता समाप्ति पर पुनः सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में जमा कराना होता है।

17. अनुसूचित क्षेत्र के उत्कृष्ट जनजाति खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु नकद राशि

जनजाति प्रतिभावान खिलाड़ी बालक–बालिकाओं को जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, प्रोत्साहन स्वरूप नकद राशि दिये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान/पदक प्राप्त होने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए क्रमशः 0.50, 0.25 व 0.15 लाख तथा राष्ट्रीय स्तर के लिए क्रमशः 0.25, 0.15 व 0.10 लाख नकद प्रदान किये जाते हैं। इससे जनजाति प्रतिभावान खिलाड़ी सदैव उत्साहित रहते हैं एवं उनकी खेल के प्रति लगन बनी रहती है । यह योजना अनुसूचित क्षेत्र के के सभी जिलों में संचालित की जा रही है।

18. मानगढ़ धाम, घोटिया आम्बा, मेवल महोत्सव में जनजाति खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति समुदाय के लिए बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति, आनन्दपुरी, बागीदौरा, तलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ जिले में पंचायत समिति अरनोद एवं धरियावद में प्रतिवर्ष आयोजित मेलों में जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति के छात्र–छात्राएं अपने अभिभावकों के साथ मेले में आते हैं। इसके साथ

भी अपने परम्परागत खेल के रूप में अपने साथ प्रचुर रुचि भी लेकर आते हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, जिला प्रशासन एवं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में मेला स्थल पर तीन दिवसीय पारम्परिक खेलों का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता मुख्यतः एथेलेटिक्स, वालीबाल, कबड्डी, फुटबाल, खो-खो तीरंदाजी खेल में 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिका वर्ग, 14 वर्ष से ऊपर पुरुष व महिला वर्ग, रस्सा कस्सी पुरुष व महिला वर्ग, गिल्ली डंडा व सतोलिया पुरुष वर्ग में एवं मटका दौड़ केवल महिला वर्ग में आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है एवं विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों में प्रवेश देकर उन्हें पारम्परिक खेलों में एक प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण देकर प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2009–10 से संचालित है। प्रतापगढ़ जिले में आयोजित मेलों में खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम वर्ष 2018–19 से प्रारम्भ किये गये हैं।

प्रथम राज्य स्तरीय जनजाति [illegible] खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर

19. कुओ का विद्युतीकरण एवं विद्युत पंपसेट वितरण योजना

1	योजना का नाम	**कुओ का विद्युतीकरण एवं विद्युत पम्पसेट वितरण योजना**
2	देय लाभ/ उद्देश्य	जनजाति उपयोजना अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के बी.पी. एल. कृषको के सिंचाई साधनो में सुधार करने हेतु विद्युत कनेक्शन सहित विद्युत पंपसेट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।
3	लक्षित लाभार्थी	अनुसूचित जनजाति बीपीएल परिवार
4.	पात्रता	1. कृषक की स्वयं की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। 2. कृषक द्वारा उसकी भूमि पर विगत कम से कम तीन वर्षो से खेती की जा रही हो। 3. सिंचाई हेतु जल स्त्रोत होना आवश्यक है। (कृषक नदी,नालो, तालाब से भी पानी ले सकता है)। 4. कुंए/जल स्त्रोत पर विद्युत कनेक्शन चाहे जाने पर सम्बन्धित विद्युत वितरण निगम लि. का जारी डिमान्ड नोट की प्रति आवेदन पत्र के साथ आवश्यक है। 5. विद्युत पंप सेट उन्ही कृषकों को दिया जायेगा जिनके कूप विद्युतीकृत है अथवा विद्युतीकरण हेतु डिमाण्ड नोट प्रस्तुत किया गया है।
5.	आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाना है	कृषकों द्वारा उपरोक्तानुसार योजनान्तर्गत दी जाने वाली सिंचाई सुविधाओं हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन (जो कृषक उनके कुओं पर विद्युत कनेक्शन चाहते है वे संबंधित विद्युत वितरण निगम लि. कार्यालय में आवेदन कर डिमाण्ड नोट प्राप्त कर अन्य सिंचाई सुविधा की मांग के साथ) निम्नलिखित कार्यालयों में प्रस्तुत कर सकते हैं– 1. **अनुसूचित क्षेत्र में** – कार्यालय परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग/पंचायत समिति 2. **गैर अनुसूचित क्षेत्र में**– जिला परिषद/पंचायत समिति
6.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	अनुसूचित जनजाति,बीपीएल एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों की प्रति
7.	स्वीकृति की प्रकिया	आवेदक द्वारा बिन्दु सं. 4 में अंकित सूचनाएं आवेदन पत्र में परियोजना अधिकारी, टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) को प्रस्तुत किया जायेगा । तत्पश्चात आवश्यक सक्षम स्वीकृति/कियान्वयन/ पर्यवेक्षण/सत्यापन/ भुगतान तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र जारी करने का कार्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभग (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) द्वारा किया जावेगा।
8.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	**जिला कलक्टर के अनुमोदन पश्चात** – परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) द्वारा अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र) द्वारा
9.	वितरणकर्ता अधिकारी	बिन्दु सं. 8 अनुसार ।
10.	वितरण की प्रकिया	बिन्दु सं. 7 अनुसार।
11.	विशेष विवरण	**(अ) ई.पी.एस. (प्रति इकाई लागत 25000/–)** 1. विद्युत कनेक्शन : 10,000/– अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो 2. ई.पी.एस. मय एसेसरीज : 15000/– —„—

20. जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार

1	योजना का नाम	**जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार**
2	देय लाभ/ उद्देश्य	जनजाति उपयोजना क्षेत्र के नदी नाले एवं बांधों के बैक वाटर में उपलब्ध पानी की सिंचाई हेतु उपयोग करने के उद्देश्य से इस योजना में विद्युत मोटर द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाकर सिंचाई क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती हैं। योजना का सर्वेक्षण किया जाकर लागत तखमीने तैयार किए जाते है । लागत का 10 प्रतिशत भाग नकद/श्रम के रूप में लाभान्वितों द्वारा वहन किया जाता है एवं 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रुप में टीएडी द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं । योजना का कियान्वयन लाभान्वितो की समिति के माध्यम से तकनीकी अधिकारियों की देखरेख में कराया जाता है एवं पूर्ण होने पर योजना लाभान्वितो की समिति को संचालन हेतु सौंप दी जाती है । विगत वर्षो में निर्मित एवं वर्तमान में बंद सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं का पुनरोद्धार भी इस योजनान्तर्गत किया जाता है ।
3	लक्षित लाभार्थी	मुख्यतया जनजाति कृषक
4.	पात्रता	योजना से संभावित क्षेत्र के खातेदार कृषक जो योजना की लागत का 10 प्रतिशत अंश नकद/श्रम के रूप में अपनी भूमि के अनुपात में वहन करने को सहमत हों। ऐसे कृषक समूह का चयन किया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति कृषकों की भूमि सिंचित हो सके व लाभार्थी जनजाति कृषकों की संख्या भी कुल संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हो।
5.	आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाना है	परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
6.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	1.लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि का विवरण 2.जल स्त्रोत का विवरण 3.विद्युत स्त्रोत की उपलब्धता का विवरण 4.लाभार्थी कृषकों द्वारा योजना की लागत की 10 प्रतिशत राशि नकद अथवा श्रम के रूप में दिए जाने संबंधी सहमति–पत्र।

7.	स्वीकृति की प्रकिया	चयनित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के उद्देश्य अनुसार परियोजना तैयार कर **परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** अथवा **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** को प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना का परीक्षण कर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए कार्यो की स्वीकृति जारी की जायेगी । कार्यों की स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी – राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 2(1)/टीएडी/अधिकारों का प्रत्यायोजन/96–97/जयपुर ,दिनांक 26.2.14 अनुसार – 1. 5.00 लाख रू. तक की लागत के कार्यो की स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर्स से अनुमोदन पश्चात **संबंधित परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** **अथवा** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** द्वारा जारी की जा सकेगी । 2. 5.00 लाख की लागत से अधिक के कार्यो की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है। इस हेतु प्राप्त प्रस्तावों को **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर को प्रेषित किया जाना होगा ।** राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात ही इन कार्यो की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
8.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	
9.	वितरणकर्ता अधिकारी	लागू नहीं
10.	वितरण की प्रकिया	लागू नहीं
11.	विशेष विवरण	सिंचाई हेतु पर्याप्त जल की उपलब्धता एवं लाभान्वित होने वाले कृषकों द्वारा योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात विद्युत बिल जमा कराने की प्रतिबद्धता सुनिश्चित होने पर ही प्रस्ताव तैयार किए जावें।

21. नहरो का सुदृढ़ीकरण/विस्तार

1	योजना का नाम	**नहरो का सुदृढ़ीकरण /विस्तार**
2	देय लाभ/ उद्देश्य	जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पूर्व वर्षो में निर्मित वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनायें की नहर प्रणालीयॉ क्षतिग्रस्त हुई हैं। जल संसाधन विभाग को इन नहर प्रणालियों के रखरखाव एवं संधारण हेतु राज्य आयोजना मद में पर्याप्त निधियॉ उपलब्ध नहीं होने से इनके रख रखाव/संधारण हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है ताकि जनजाति कृषकों की सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हो सके। जिन नहरों के विस्तार हेतु जल संसाधन विभाग के पास पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है उन नहरों का विस्तार का कार्य भी इस योजनान्तर्गत किया जाता है।
3	लक्षित लाभार्थी	मुख्यतया जनजाति कृषक
4.	पात्रता	ऐसे कृषक समूह का चयन किया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति कृषकों की भूमि सिंचित हो सके व लाभार्थी जनजाति कृषकों की संख्या भी कुल संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हो।
5.	आवेदन कहॉ प्रस्तुत किया जाना है	परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
6.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि का विवरण
7.	स्वीकृति की प्रकिया	जल संसाधन विभाग द्वारा योजना के उद्देश्य अनुसार परियोजना तैयार
8.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	कर **परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** अथवा **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** को प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना का परीक्षण कर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए कार्यो की स्वीकृति जारी की जायेगी । कार्यो की स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी – राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 2(1)/टीएडी/अधिकारों का प्रत्यायोजन/96–97/जयपुर ,दिनांक 26.2.14 अनुसार – 1. 5.00 लाख रू. तक की लागत के कार्यो की स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर्स से अनुमोदन पश्चात **संबंधित परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** **अथवा** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** द्वारा जारी की जा सकेगी । 2. 5.00 लाख की लागत से अधिक के कार्यो की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है । इस हेतु प्राप्त प्रस्तावों को **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर को प्रेषित किया जाना होगा** । राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात ही इन कार्यो की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
9.	वितरणकर्ता अधिकारी	लागू नहीं
10.	वितरण की प्रकिया	लागू नहीं
11.	विशेष विवरण	प्रस्ताव जल संसाधन विभाग के माध्यम से बिन्दु सं. 5 में अंकित कार्यालयों में प्रस्तुत किए जावें।

22. जल संग्रहण संरचनाओं (एनिकट) का निर्माण एवं पुनरोद्धार

1	योजना का नाम	**जल संग्रहण संरचनाओं (एनिकट) का निर्माण एवं पुनरोद्धार ।**
2	देय लाभ/ उद्देश्य	जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अवस्थित नदी व नाले भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अत्यधिक ढलान वाले होने से एक ओर तो वर्षा का जल तीव्र गति से बहकर व्यर्थ चला जाता है दूसरी ओर जनजाति कृषकों की नालों के समीप की भूमि का कटाव होता है। अतः उक्त क्षति को रोकने के उदेदश्य से जल संग्रहण ढ़ाँचों (एनिकट इत्यादि) का निर्माण किया जाता है। इससे जल संग्रहण एवं भू–जल स्तर में वृद्धि होगी। योजनान्तर्गत पूर्व वर्षो में निर्मित वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का नरम्मत/जिर्णोद्धार कार्य भी कराया जा सकता है।
3	लक्षित लाभार्थी	मुख्यतया जनजाति कृषक
4.	पात्रता	ऐसे कृषक समूह का चयन किया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति कृषकों की भूमि सिंचित हो सके व लाभार्थी जनजाति कृषकों की संख्या भी कुल संख्या का 50 प्रतिशत से अधिक हो।
5.	आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाना है	परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
6.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	लाभान्वित होने वाले कृषकों की सूची मय भूमि का विवरण
7.	स्वीकृति की प्रकिया	चयनित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के उद्देश्य अनुसार परियोजना तैयार कर **परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** अथवा **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** को प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना का परीक्षण कर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए कार्यों की स्वीकृति जारी की जायेगी । कार्यों की स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी – राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 2(1)/टीएडी/अधिकारों का प्रत्यायोजन/96–97/जयपुर ,दिनांक 26.2.14 अनुसार – 1. 5.00 लाख रू. तक की लागत के कार्यो की स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर्स से अनुमोदन पश्चात **संबंधित परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** **अथवा** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** द्वारा जारी की जा सकेगी । 2. 5.00 लाख की लागत से अधिक के कार्यो की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है । इस हेतु प्राप्त प्रस्तावों को **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर को प्रेषित किया जाना होगा** । राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात ही इन कार्यो की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
8.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	
9.	वितरणकर्ता अधिकारी	लागू नहीं
10.	वितरण की प्रकिया	लागू नहीं
11.	विशेष विवरण	जल संसाधन विभाग द्वारा प्रस्तावित एनिकट निर्माण के कार्यो हेतु सक्षम स्तर से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही कार्य प्रस्तावित किए जावें।

23. जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र से जोड़ना एंव सम्पर्क सडकों का निर्माण

1	योजना का नाम	**जनजाति बस्तियों को सेवा केन्द्र एवं दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों हेतु सम्पर्क सडकों का निर्माण ।**
2	देय लाभ/ उद्देश्य	जनजाति उपयोजना क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न जनोपयोगी सेवा केन्द, दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति विधालय, छात्रावास, ग्राम पंचायत, अस्पताल, अटल सेवा केन्द्र, पशु चिकित्सालय केन्द्र, आश्रम छात्रावास एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थल जो मुख्य ग्राम से दूर अवस्थित है वहां पर पहुंचने के लिए समुचित सडक/पुलिया का निर्माण अथवा विस्तार।
3	लक्षित लाभार्थी	मुख्यतया जनजाति आबादी ।
4.	पात्रता	जनजाति बाहुल्य क्षेत्र
5.	आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाना है	परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
6.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	–
7.	स्वीकृति की प्रकिया	चयनित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के उद्देश्य अनुसार परियोजना तैयार कर **परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** अथवा **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** को प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना का परीक्षण कर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए कार्यो की स्वीकृति जारी की जायेगी । कार्यो की स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी – राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 2(1)/टीएडी/अधिकारों का प्रत्यायोजन/96–97/जयपुर ,दिनांक 26.2.14 अनुसार – 1. 5.00 लाख रू. तक की लागत के कार्यो की स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर्स से अनुमोदन पश्चात **संबंधित परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** **अथवा** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** द्वारा जारी की जा सकेगी । 2. 5.00 लाख की लागत से अधिक के कार्यो की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है । इस हेतु प्राप्त प्रस्तावों को **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर को प्रेषित किया जाना होगा ।** राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात ही इन कार्यो की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
8.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	
9.	वितरणकर्ता अधिकारी	लागू नहीं
10.	वितरण की प्रकिया	लागू नहीं
11.	विशेष विवरण	डेयरी कॉपरेटिव को जोडने वाली सड़को को प्राथमिकता दी जायेगी।

24. हेण्डपंप स्थापना

1	योजना का नाम	**हेण्डपंप स्थापना**
2	देय लाभ/ उद्देश्य	अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र में जनजाति परिवार एक स्थान पर सामुहिक रूप से निवास नही करते अपितु ढाणियों एवं फलों में निवास करते है जहां पर स्वच्छ जल के साधन उपलब्ध नहीं होते है। ऐसी स्थिति में जनजाति परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा हेण्डपम्प स्थापना का कार्य कराया जाता है।
3	लक्षित लाभार्थी	मुख्यतया जनजाति परिवार ।
4.	पात्रता	जनजाति बाहुल्य क्षेत्र
5.	आवेदन कहॉ प्रस्तुत किया जाना है	परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
6.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	–
7.	स्वीकृति की प्रकिया	चयनित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के उद्देश्य अनुसार प्रस्ताव तैयार कर **परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** अथवा**मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** को प्रस्तुत की जायेगी। प्रस्तावों का परीक्षण कर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए कार्यो की स्वीकृति जारी की जायेगी । कार्यो की स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी – राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 2(1)/टीएडी/अधिकारों का प्रत्यायोजन/96–97/जयपुर ,दिनांक 26.2.14 अनुसार – 1. 5.00 लाख रू. तक की लागत के कार्यो की स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर्स से अनुमोदन पश्चात **संबंधित परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** **अथवा** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** द्वारा जारी की जा सकेगी । 2. 5.00 लाख की लागत से अधिक के कार्यो की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है । इस हेतु प्राप्त प्रस्तावों को **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर को प्रेषित किया जाना होगा ।** राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात ही इन कार्यो की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
8	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	
9.	वितरणकर्ता अधिकारी	लागू नहीं
10.	वितरण की प्रकिया	लागू नहीं
11.	विशेष विवरण	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभागीय योजनाओं में राशि उपलब्ध नहीं होने अथवा विभाग के नोर्म्स में नहीं आने वाले कार्यो हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

25. बस्ती विद्युतीकरण योजना

1	योजना का नाम	**बस्ती विद्युतीकरण योजना**
2	देय लाभ/ उद्देश्य	जनजाति परिवार समूह के रूप में आवासरत नहीं रहते हुए मुख्य राजस्व ग्राम से अलग ढाणी एवं फलों में निवास करते हैं जिससे ग्राम के विद्युतिकृत हो जाने के बावजूद भी इन्हें घरेलू विद्युत संबंध का लाभ नहीं मिल पाता हैं। विद्युत वितरण निगम की विभागीय योजनाओं से वंचित ऐसी ढाणियों में विद्युत तंत्र स्थापित करने हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा विद्युतीकरण की स्वीकृति जारी की जाती है।
3	लक्षित लाभार्थी	मुख्यतया जनजाति परिवार
4.	पात्रता	जनजाति बाहुल्य क्षेत्र
5.	आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाना है	परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
6.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	–
7.	स्वीकृति की प्रकिया	चयनित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा योजना के उद्देश्य अनुसार परियोजना तैयार कर **परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** अथवा **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** को प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना का परीक्षण कर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए कार्यो की स्वीकृति जारी की जायेगी । कार्यो की स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी – राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 2(1)/टीएडी/अधिकारों का प्रत्यायोजन/96–97/जयपुर ,दिनांक 26.2.14 अनुसार – 1. 5.00 लाख रू. तक की लागत के कार्यो की स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर्स से अनुमोदन पश्चात **संबंधित परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** **अथवा** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** द्वारा जारी की जा सकेगी । 2. 5.00 लाख की लागत से अधिक के कार्यो की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है । इस हेतु प्राप्त प्रस्तावों को **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर को प्रेषित किया जाना होगा ।** राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात ही इन कार्यो की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
8.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	
9.	वितरणकर्ता अधिकारी	–
10.	वितरण की प्रकिया	–
11.	विशेष विवरण	–

26. पम्प एवं टेंक निर्माण (पेय जल योजना)

1	योजना का नाम	**पम्प एवं टेंक निर्माण (पेय जल योजना)**
2	देय लाभ/ उद्देश्य	जनजाति बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पंप टेंक स्थापित करना।
3	लक्षित लाभार्थी	मुख्यतया जनजाति परिवार ।
4.	पात्रता	जनजाति बाहुल्य क्षेत्र
5.	आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाना है	परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
6.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	–
7.	स्वीकृति की प्रकिया	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/पंचायत समिति द्वारा योजना के उद्देश्य अनुसार परियोजना तैयार कर **परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** अथवा **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** को प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना का परीक्षण कर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए कार्यो की स्वीकृति जारी की जायेगी ।
8.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	कार्यो की स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी – राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 2(1)/टीएडी/अधिकारों का प्रत्यायोजन/96–97/जयपुर ,दिनांक 26.2.14 अनुसार – 1. 5.00 लाख रू. तक की लागत के कार्यो की स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर्स से अनुमोदन पश्चात **संबंधित परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** **अथवा** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** द्वारा जारी की जा सकेगी । 2. 5.00 लाख की लागत से अधिक के कार्यो की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है । इस हेतु प्राप्त प्रस्तावों को **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर को प्रेषित किया जाना होगा ।** राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात ही इन कार्यो की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
9.	वितरणकर्ता अधिकारी	–
10.	वितरण की प्रकिया	–
11.	विशेष विवरण	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभागीय योजनाओं में राशि उपलब्ध नहीं होने अथवा विभाग के नोर्म्स में नहीं आने वाले कार्यो हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है।

27. सामुदायिक भवन निर्माण

1	योजना का नाम	सामुदायिक भवन निर्माण
2	देय लाभ/ उद्देश्य	जनजाति उपयोजना (अनुसूचित) क्षेत्र एवं गैर उपयोजना क्षेत्र के जनजाति व्यक्तियों को उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सामूहिक कार्यो, ग्राम सभाओं के आयोजन एवं अन्य सामाजिक कार्यो के लिए सुलभ स्थल सुविधा उपलबध कराने हेतु सामुदायिक भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है । जनजाति उपयोजना क्षेत्र में सभी पंचायत समिति मुख्यालय एवं गैर उपयोजना क्षेत्र के सभी माडा जिलों में जिला मुख्यालय/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामुदायिक भवन निर्माण कराया जाना है ।
3	लक्षित लाभार्थी	मुख्यतया जनजाति परिवार ।
4.	पात्रता	जनजाति बाहुल्य क्षेत्र
5.	आवेदन कहाँ प्रस्तुत किया जाना है	परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र) अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)
6.	आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज	सामुदायिक भवन निर्माण हेतु पट्टा युक्त भूमि ।
7.	स्वीकृति की प्रकिया	सार्वजनिक निर्माण विभाग/पंचायत समिति द्वारा योजना के उद्देश्य अनुसार परियोजना तैयार कर **परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** अथवा **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** को प्रस्तुत की जायेगी। परियोजना का परीक्षण कर योजनान्तर्गत उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए कार्यो की स्वीकृति जारी की जायेगी । <u>कार्यो की स्वीकृति हेतु निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी</u> – राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 2(1)/टीएडी/अधिकारों का प्रत्यायोजन/96–97/जयपुर ,दिनांक 26.2.14 अनुसार – 1. 5.00 लाख रू. तक की लागत के कार्यो की स्वीकृति संबंधित जिला कलेक्टर्स से अनुमोदन पश्चात **संबंधित परियोजना अधिकारी टीएडी (अनुसूचित क्षेत्र)** **अथवा** **मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (गैर अनुसूचित क्षेत्र)** द्वारा जारी की जा सकेगी । 2. 5.00 लाख की लागत से अधिक के कार्यो की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है । इस हेतु प्राप्त प्रस्तावों को **आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर को प्रेषित किया जाना होगा ।** राज्य सरकार से अनुमोदन पश्चात ही इन कार्यो की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।
8.	स्वीकृतकर्ता अधिकारी	
9.	वितरणकर्ता अधिकारी	–
10.	वितरण की प्रकिया	–
11.	विशेष विवरण	

अध्याय–4

विभाग से सम्बद्ध संस्थाओं/परियोजनाओं का स्वरूप एवं प्रगति

1. माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर

संस्थान के उद्देश्य

इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जनजाति विकास के पंचशील के सिद्धान्तों को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं अन्य संस्थाओं की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति एवं इनके प्रभावों का मूल्यांकन करना, जनजातियों की भावी विकास जरूरतों की पहचान करना तथा राज्य के जनजाति समुदायों के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रगतिशील अध्ययन एवं चिन्तन को प्रोत्साहित करना हैं।

संस्थान का प्रशासनिक स्वरूप

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर के नीतिपरक मार्गदर्शन में संस्थान अपनी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। राज्य स्तर पर प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर का मार्गदर्शन तथा दिशा– निर्देशन प्राप्त होता है।

संस्था की कार्य प्रणाली

संस्थान अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नांकित प्रमुख प्रशाखाओं के माध्यम से कार्यरत है :–

1. मूल्यांकन अध्ययन एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

संविधान का अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत मूल्यांकन अध्ययन निर्धारित समय में करवाये जाते है। वर्ष 2013–14 में राशि रूपये 4.80 लाख व्यय कर 1– छात्रगृह किराया योजना, 2– गोल्डन रेज मेज योजना, 3– प्राकृतिक आपदा दुर्घटनाएं/गंभीर बीमारी, 4–फुड क्राफ्ट योजना, 5– गैर अनुसूचित क्षेत्र में आश्रम छात्रावास/आवासीय विद्यालय योजना एवं 6– अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम वर्ष 2006 एवं 2008 के नियम) विषयों पर कुल 6 योजनाओं हेतु संस्थागत एवं व्यक्तिगत श्रेणी में मूल्यांकन कार्य करवाया गया। वर्ष 2014–15 में निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना का मूल्यांकन अध्ययन कार्य करना प्रस्तावित किया गया जो कार्य एस.आई.एम.एस. संस्थान

द्वारा कराया जा रहा है। जिसके लिए वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर, 2015 तक 29,000/– रुपये का उपयोग किया गया।

(i) तकनीकी एवं चिकित्सा सेवा पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण

तकनीकी एवं चिकित्सा सेवाओं में प्रवेश हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं में कोचिंग योजना अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जनजाति छात्र–छात्राओं को चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए उदयपुर एवं कोटा स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2015–16 में दिसम्बर, 2015 तक इस मद में राशि 28.10 लाख रुपये का उपयोग कर 47 जनजति छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

अन्य कोचिंग परीक्षा हेतु अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की कोचिंग कक्षाएं टी.आर.आई. में प्रारम्भ की गई जिसमें प्रथम बेच में सामान्य अध्ययन के विषय, द्वितीय बेच में आर. ए.एस.(प्री.) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु एवं तत्पश्चात् रीट–प्रथम, रीट–द्वितीय, वन रक्षक एवं पटवारी प्रतियोगिता परीक्षाओं की परीक्षा पूर्व कोचिंग प्रदान करवायी गयी। इसमें 364 अभ्यार्थी लाभान्वित हुए। इस मद में वर्ष 2015 में माह दिसम्बर, 2015 तक राशि रुपये 4.72 लाख का उपयोग किया गया।

(ii) कार्यशाला एवं प्रशिक्षण

जनजाति विकास से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं नवीन चुनौतियों के संदर्भ में संस्थान की ओर से समय–समय पर कार्यशालाऐं, सेमीनार एवं गोष्ठियॉं आयोजित की जाती हैं। इस सत्र में दिनांक 18–05–2015 को सैद्धान्तिक परिचयात्मक कार्यशाला, दिनांक 26–5–2015 को नवनियुक्त कोच एवं अधीक्षकों हेतु कार्यशाला, दिनांक 22–7–2015 को जनजाति भाषा पीठ की स्थापना उसके स्वरूप एवं कार्य योजना के सम्बन्ध में एक दिवसीय गोष्ठी, दिनांक 19 से 22 अगस्त, 2015 तक टीआरआई एवं जागरण जन विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, दिनांक 8 व 9 सितम्बर, 2015 को नव नियुक्त जनजाति छात्रावास अधीक्षक एवं कोच हेतु अभिलेख संधारण प्रशिक्षण आयोजित किया गया, दिनांक 28–10–2015 को जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, दिनांक 19–11–2015 उपयोजना क्षेत्र के "जनजाति मत्स्य पालक कौशल विकास एवं विपणन" विषयक कार्याशाला, दिनांक 3–12–2015 को लघु वन उपज मूल्य संवर्धन एवं विपणन एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, दिनांक 18–12–2015 को कृषि उत्पादकता, भण्डारण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन पर कार्यशाला आयोजित की गई।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13–6–2015 को राज्य स्तरीय जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र के आदिम जाति परिवारों में व्याप्त सिकल सेल एनिमिया

जलाशयों एवं मछली पालन के लिए अन्तरिक्ष प्रायोगिकी के उपयोग पर कार्यशाला का आयोजित की गई।

दिनांक 03–09–2015 को Training programme on Sickle Cell Anemia आयोजित किया गया जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सी.एच.सी. ब्लॉक इन्चार्ज, पी.एच.सी. ब्लॉक इन्चार्ज एवं हेल्थ सुपरवाईजर को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

2. शोध प्रकोष्ठ

(i) शोध सहायता

इस प्रकोष्ठ के अन्तर्गत जनजाति समुदाय के विविध पहलुओं यथा– सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक तथा उनसे सम्बन्धित अन्य समस्याओं पर व्यक्तिगत एवं संस्थागत शोधार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर संस्थान के मार्गदर्शन में शोध कार्य कराये जाते हैं। यह योजना वर्ष 1985–86 से आरम्भ हुई है । योजनान्तर्गत अब तक 161 व्यक्तिगत एवं 35 संस्थागत शोधार्थियों को सहायता प्रदान की गई है ।

(ii) प्रकाशन सहायता

प्रकाशन सहायता योजनान्तर्गत विशेषज्ञों एवं अनुभवी लेखकों द्वारा लिखी गयी मौलिक पाण्डुलिपियों के प्रकाशनार्थ सहायता राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 1984–85 से 2013–14 तक 101 पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु सहायता प्रदान की गयी है। वर्ष 2014–15 हेतु 6 पाण्डुलिपियों की जांच कर दी गयी है। भुगतान की स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

(iii) जनजाति शिक्षार्थियों को शोध छात्रवृत्ति

जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों को विद्या वाचस्पति (Ph.D.) उपाधि प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिये प्रदान की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 20 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 18 अभ्यार्थियों की स्वीकृति जारी की गयी है। माह दिसम्बर, 2015 तक 15.39 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया।

3. कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ

जनजातीय संस्कृति के विविध पहलुओं से अवगत कराने की दृष्टि से प्रकोष्ठ द्वारा विविध कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किए जाते रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव "वनज–2015" में 46 कलाकारों के दल को भिजवाया जाकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन करवाया गया। जन जनजाति संग्रहालय– कल आज और कल पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। मेवाड़ महोत्सव 2015 में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां करवाई गई। अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर

सिम्पोजियम का आयोजन किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय जनजाति दिवस पर जनजाति वाद्य यंत्रों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रथम राज्य स्तरीय फोटोग्राफी कॉम्पीटीशन का आयोजित कर पुरूस्कार वितरित किये गये। उदयपुर संभाग मुख्यालय एवं जयपुर में जनजाति कलाकारों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

4. पुस्तकालय एवं प्रकाशन प्रकोष्ठ

(i) पुस्तकालय

संस्थान पुस्तकालय में जनजाति समुदाय से संबंधित पुस्तकों/ग्रन्थों का समृद्ध संग्रहण हैं। पुस्तकालय में 15,555 संदर्भ ग्रंथ व पुस्तकें उपलब्ध हैं। पुस्तकालय के साथ ही संचालित वाचनालय में 60 पत्र–पत्रिकायें प्राप्त होती हैं। वर्ष 2015–16 में पुस्तकालय में माह दिसम्बर, 2015 तक 1,86,000/ रुपये की पुस्तकें क्रय की गयी।

(ii) विभागीय प्रकाशन

प्रकाशन प्रकोष्ठ के द्वारा संस्थान की ओर से आई.एस.एन.एन. पंजीकृत शोध पत्रिका "ट्राईब" का प्रकाशन करवाया जाता है, जिसमें जनजाति समुदाय से संबंधित विविध गतिविधियों पर शोध परक व अनुभवजन्य आलेख प्रकाशित किए जाते हैं। वर्ष 2015–16 में माह दिसम्बर तक जनजाति स्वास्थ्य एवं औषधीय पौधें पर ट्राईब शोध पत्रिका का क 47 वां अंक प्रकाशित किया गया।

2. राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर

राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे आदिवासियों के विकास एवं कल्याण हेतु वर्ष 1976 में सहकारी अधिनियम 1965 के अधीन राजस संघ को शीर्ष संस्था के रूप में पंजीकृत कराकर स्थापना की गयी। एक वर्ष बाद ही सहरिया परियोजना क्षेत्र भी कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र की 27 एवं सहरिया क्षेत्र की 2 कुल 29 पंचायत समितियॉं, 23 तहसीलों में 293 लेम्पस के माध्यम से एवं सीधे राजस संघ द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। संक्षेप में राजससंघ निम्नांकित उद्धेश्यों की पूर्ति के लिये कार्यरत हैं।

राजस संघ की स्थापना के उद्धेश्य

1. संघ की सदस्य सहकारी संस्थाओं के क्रिया–कलापों को संगठित एवं समन्वित कर सहकारी तंत्र को मजबूत करना।
2. कार्यक्षेत्र में अवसंरचना को विकसित करना तथा सहकारी संगठनों के माध्यम से जनजाति व्यक्तियों के लिये कल्याण कार्यक्रमों का संचालन एवं राजकीय/शीर्ष सहकारी संस्थाओं की योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
3. जनजाति के व्यक्तियों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाकर उनके आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।
4. जनजाति युवक–युवतियों के लिए रोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण, ऋण एवं अनुदान दिलाकर उनकी सेवा उत्पादों के विपणन हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
5. कृषि उपजों/ लघु वन उपजों का क्रय विक्रय, प्रसंस्करण, विपणन इत्यादि कार्य करना।

राजस संघ के पास अपनें उद्देश्य की पूर्ति हेतु 1500.00 लाख की अधिकृत पूंजी के विपरीत 1498.14 लाख की प्रदत्त हिस्सा पूंजी है। अपनी पूंजी के अतिरिक्त राजस संघ को विशेष केन्द्रीय सहायता मद तथा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत भी सहायता प्राप्त होती हे।

राजससंघ का प्रशासन

रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.94(5)/नियम/76/पार्ट–2/ दिनांक 4.12.2004 द्वारा आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,उदयपुर को राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि0, उदयपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संचालक मण्डल था।

राजस संघ में अधिकारी/कर्मचारियों की स्थिति

राजस संघ में कुल 162 स्वीकृत पद है के विरूद्व 100 कार्मिक कार्यरत है। इसमें से 57 राजससंघ में तथा 43 कार्मिक जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधीन संचालित आश्रम छात्रावासों में कार्यरत है। 62 पद कार्मिकों की सेवा निवृति/निधन से रिक्त हुए है।

राजस संघ की सदस्यता

राजस संघ के कुल 365 सदस्य है जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अ– श्रेणी सदस्य	361 प्राथमिक सहकारी समिति
ब– श्रेणी सदस्य	1 बैंक ऑफ बडौदा
स–श्रेणी सदस्य	1 राजस्थान सरकार
द– श्रेणी सदस्य	2 शीर्ष सहकारी संस्था(राजफेड,कोनफेड)

योग– 365

व्यावसायिक गतिविधियां

(i) उपभोक्ता सामग्री वितरण

संघ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियंत्रित सामग्री जिला रसद विभाग द्वारा संबंधित जिले में आवंटित तहसील क्षेत्र में गेहूँ, चावल व चीनी एवं अनियन्त्रित सामग्री के अन्तर्गत नमक एवं चाय वितरण के थोक विक्रेता के रूप में कार्यरत हैं। गत तीन वर्षो तथा वर्ष 2015–16 (दिसम्बर,2015 तक) की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है।

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 दिसम्बर, 2015
विवरण	टर्नओवर	टर्नओवर	टर्नओवर	टर्नओवर
नियंत्रित खाद्यान्न	4231.92	1127.16	1200.31	2225-69
अनियंत्रित खाद्यान्न	270.60	233.51	40.81	54-17
योग–	**4502.52**	**1360.67**	**1241.12**	**2279.86**

(ii) कृषि उपादान वितरण

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में दुर्गम स्थानों पर वर्षा में कृषि उपादान पहुंचाने में आने वाली असुविधा एवं समय पर आदिवासियों को खाद बीज व कीट नाशक औषधियों उपलब्ध हो सके इस बात को ध्यान में रखकर संघ फसल बुवाई के पन्द्रह बीस दिन पूर्व ही लेम्पस मुख्यालय पर कृषि उपादान पहुँचाने की व्यवस्था करता है। गत तीन वर्षो तथा वर्ष 2015–16 (दिसम्बर,2015 तक) की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है।

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 दिसम्बर, 15
विवरण	टर्नओवर	टर्नओवर	टर्नओवर	टर्न ओवर
खाद वितरण	599.27	465.38	318.80	431-88
बीज वितरण	29.94	4.10	0	0
कीटनाशक दवाईया/कृषि यंत्र वितरण	14.12	2.03	0	0
योग	**643.33**	**471.51**	**318.80**	**431.88**

(iii) लघु वन उपज

जनजाति उपयोजना एवं सहरिया क्षेत्र में उपलब्ध होने वाली लघु वन उपजों के संग्रहण के लिए राजससंघ को एकाधिकार वर्ष 1977 से प्रदत्त थे। 1 नवम्बर, 2011 से पीसा नियमों के तहत नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वर्तमान में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 1.9. 06 के अनुसरण में राजससंघ द्वारा इन उपजों का संग्रहण प्राईवेट एजेन्टों को समाप्त कर लेम्पस, ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबन्धकीय समितियॉ तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जा रहा है। इस गतिविधि में संग्रहित की जाने वाली मुख्य उपजें रतनजोत, पुवाड़ कणज़ धतूरी,, महुआ, पुवाड़, डोलमा, शहद इत्यादि है। गत तीन वर्षो तथा वर्ष 2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक) की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है।

(राशि लाख रूपये में)

वर्ष	संग्रहण
2012–13	53.44
2013–14	31.49
2014–15	68.25
2015–16 (दिसम्बर, 2015 तक)	25.53

इसके अतिरिक्त जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जिला उदयपुर की कोटडा पंचायत समिति क्षेत्र में जनजाति समुदाय द्वारा क्षेत्र में संग्रहित किये जाने वाले सीताफल के क्रय विक्रय में सहयोग दिये जाने हेतु

राजससंघ के माध्यम से सीताफल परिवहन हेतु ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबन्धकीय समिति के प्रत्येक सदस्य को एक–एक प्लास्टिक क्रेट दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में राजससंघ द्वारा प्रथमतः 300 क्रेट क्रय किये जाकर वन विभाग के माध्यम से जनजाति सदस्यों को उपलब्ध करवाये जा रहे है। इसके साथ ही सीताफल के विपणन में सहयोग हेतु प्रथमतया उदयपुर शहर में सीताफल की विक्रय प्रारम्भ कराये जाने हेतु पिकप वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। जिससे जनजाति समुदाय द्वारा उदयपुर शहर में सीताफल की बिक्री की जाकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।

राजस संघ द्वारा संचालित योजना

(i) जनजाति स्वरोजगार योजना

वर्ष 2001–02 में जनजाति के बैरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनजाति स्वरोजगार योजना राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर राजस्थान जनजाति क्षैत्रीय विकास सहकारी संघ लि0 उदयपुर के माध्यम से 5 जिलों यथा– उदयपुर,डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ एवं सिरोही(आबूरोड) में प्रारम्भ की गई है।

योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को उद्योग/सेवा/व्यवसाय हेतु योजना में सम्मिलित इकाईयों के लिए आर्थिक सहायता बैंक ऋण के रूप में प्रदान कराई जावेगी, जिसमें इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा 10,000/–रू0 जो भी कम हो अनुदान देने का प्रावधान है।

राजस संघ द्वारा इस योजना में मुख्य रूप से खादी ग्रामोद्योग सेवा, छोटे व्यवसाय सम्मिलित किये है उनमें सिलाई कार्य, सीमेन्ट जाली निर्माण, चर्म कार्य, लौहारी कार्य, बूट पालिश,रेडीमेड गारमेन्ट, फल–सब्जी की दुकान,बैलगाडी,मनिहारी, बिजली के सामान की दुकान, मैकेनिक शोप, साईकिल दुकान, रेडियो/ टी.वी. सेवा केन्द्र, आटा चक्की, ड्राईक्लीन की दुकान, फर्श की घिसाई, सफेद मूसली उत्पादन आदि सम्मिलित है। गत तीन वर्षो तथा वर्ष 2015–16(दिसम्बर,15 तक) की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है।

(राशि लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
	भौतिक लाभान्वितों की संख्या	वित्तीय	लाभान्वितों की संख्या	व्यय राशि
2012-13	4344	456.40	2094	209.14
2013-14	4150	415.00	3829	382.29
2014-15	2221	222.10	1941	194.10

नोट– वर्ष 2013–14 में जनजाति कल्याण निधि मद के अन्तर्गत शेष रहे 321 भौतिक लक्ष्यों की आपूर्ति वर्ष 2014–15 में की जा चुकी है। वर्ष 2014–15 में 1900 के लक्ष्यों के विरूद्ध 1694 जनजाति युवक/युवतियों को लाभान्वित किया गया।

(ii) समेकित मत्स्य विकास परियोजना

समेकित मत्स्य विकास परियोजना का क्रियान्वयन जनजाति कल्याण निधि मद से किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्धेश्य छोटे जलाशयों में समेकित आधार पर मछली पालन के माध्यम से स्थानीय जनजाति युवकों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। योजनान्तर्गत जलाशयों का सर्वेक्षण, चयन एवं आवंटन, लाभान्वितों का चयन, प्रशिक्षण, मत्स्य बीज संग्रहण, मत्स्याखेट एवं मत्स्य विपणन हेतु सहायता तकनीकी सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

समेकित मत्स्य विकास परियोजना वर्ष 2006–2007 से बाँसवाडा, वर्ष 2007–2008 से डूँगरपुर व उदयपुर, एंव वर्ष 2014–2015 से प्रतापगढ़ जिले संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत अब तक चारो जिलों के 175 जलाशयों के 1736 हेक्टेयर जल क्षेत्र में 1622 जनजाति परिवारों को इस कार्यक्रम से जोडा जा चुका है।

योजना अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान अब तक 47 जलाशयों में 18.58 लाख आंगुलिक मत्स्य बीज संग्रहित कर 574 जनजातियों को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015–2016 के दौरान माह दिसम्बर 2015 तक योजना अन्तर्गत अब तक राशि रूपये 23.18 लाख व्यय किया गया एवं योजना के प्रावधान अनुरूप कार्य प्रगति पर है।

(iii) मत्स्य बीज पालन योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)

निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज पालन कार्य जनजाति लाभान्वितों के माध्यम से करवाने के लिए मत्स्य बीज पालन योजना का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ किया गया जिसमें प्रति जनजाति लाभान्वित की 0.5 हेक्टर निजी भूमि पर मत्स्य बीज पालन कार्य के लिए आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई। योजनान्तर्गत प्रति इकाई राशि रूपये 6.00 लाख का प्रावधान जिसमें से 75 प्रतिशत अनुदान राशि देय है।

योजना प्रारम्भ वर्ष 2011–12 से अब तक वर्ष (दिसम्बर–2015) तक कुल राशि रूपये 50.00 लाख की स्वीकृति जारी हुई है जिसमें अब तक राशि रूपये 17.55 लाख व्यय किये जाकर कुल चार मत्स्य बीज पालन स्थल का विकास कर सफलतापूर्वक मत्स्य बीज पालन कार्य किया जा रहा है।

इन 4 जनजाति लाभान्वितों के माध्यम से पाले जा रहे मत्स्य बीज प्राप्ति के उपरान्त प्राप्त आंगुलिकाओं को समेकित मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत जनजाति लाभान्वितों को उपलब्ध कराया जाकर लाभान्वित किया जा रहा है।

(iv) लाइवली हुड मत्स्य विकास कार्यक्रम (विशेष केन्द्रीय सहायता वर्ष 2015–16)

विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत लाइवली हुड मत्स्य विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मत्स्य पालन संबंधी कार्य यथा विकेन्द्रीत मत्स्य पालन नर्सरी, मत्स्य पालन पोण्ड निर्माण, मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, मत्स्य बीज फार्म जयसमन्द पर प्रजनक पोण्ड निर्माण, लीक प्रुफिंग कार्य एवं ब्रीडिंग शेड आधुनिकीकरण कार्य, मत्स्य प्रशिक्षण कार्य, मछली विपणन व्यवस्था सुदृढीकरण एवं समिति गठन कार्य हेतु कुल राशि रूपये 323.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

योजनान्तर्गत मत्स्य बीज फार्म जयसमन्द पर एक प्रजनक पोण्ड का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जा चुका है। 100 जनजाति मत्स्य आखेट सहकारी समितियों के गठन के लक्ष्य की अनुपालना मे अब तक 75 जनजाति मत्स्याखेट सहकारी समितियो का गठन की कार्यवाही कर अब तक 40 जनजाति मत्स्याखेट सहकारी समितियों का 2701 लाभान्वितों को जनजाति समिति सदस्य बनाया जाकर लाभान्वित करवाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही इन लाभान्वित जनजाति मछुआरा सदस्यों को मत्स्य पालन संबंधी प्रारम्भिक ज्ञान का बोध कराने के लिए इन्हे छः दिवसीय प्रारम्भिक मत्स्य प्रशिक्षण दिया जाना भी प्रारम्भ किया जा चुका है।

जीरो रेवेन्यू मॉडल पर आधारित मत्स्याखेट कार्यक्रम अन्तर्गत 3 जलाशय पर गठित 8 मत्स्याखेट सहकारी समितियो को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मत्स्य विभाग,राजस्थान सरकार को निवेदन किया जा चुका है। छोटे जलाशयों पर गठित 10 पंजीकृत समितियों को मत्स्याखेट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ठेकामुक्त जलाशय आंवटन के लिए संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों को अनुरोध किया जा चुका है।

(v) मत्स्य प्रशिक्षण

उपयोजना क्षेत्र में स्थानीय जनजातियों का मत्स्य पालन व्यवसाय में कौशल विकास कार्य हेतु शून्य राजस्व प्रणाली आधारित जलाशयों के 20 लाभान्वितों का उड़ीसा राज्य का मत्स्य क्षेत्रीय भ्रमण, 93 लाभान्वितों का तीन दिवसीय मत्स्याखेट रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण, समेकित मत्स्य विकास परियोजना अन्तर्गत 11 जलाशयों के 104 लाभान्वितों का प्रारम्भिक मत्स्य प्रशिक्षण, नवगठित 6 मत्स्याखेट सहकारी समितियों के 106 जनजाति सदस्यों का प्रशिक्षण अब तक कुल 323 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अन्य महत्वपूर्ण कार्य

- आगामी तीन माह में 31.03.2016 तक 100 नवीन मत्स्याखेट सहकारी समितियों का गठन कर लगभग 3000 स्थानीय जनजाति मछुआरा सदस्यों को लाभान्वित किया जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत गत वर्षो की विभिन्न मत्स्य योजनाओं की उपलब्ध बचत राशि रूपये 144.95 लाख के उपयोग हेतु 100 नवगठित मत्स्याखेट समितियों हेतु 1000 मत्स्य परिवहन क्रेट, 60 टन फिश कल्चर इनपुट क्रय, 452 मत्स्याखेट नावें, 7040 किग्रा. जाल एवं जनजातियों के मत्स्याखेट व्यवस्था सुदृढ करने बाबत् 2 इन्जन युक्त नाव क्रय कर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।
- विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए. टू टी.एस.पी.) योजना वर्ष 2016–17 अन्तर्गत 4 फिश कल्चर केज, 40 विकेन्द्रीत मत्स्य बीज पालन यूनिट, 20 फिश हेण्डलिंग भोड निर्माण, 2 मत्स्य हेचरी विकास एवं 220 लाभान्वितों के प्रशिक्षण कार्य हेतु कुल राशि रूपये 677.00 लाख के प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके है।

3. स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर (स्वच्छ परियोजना)

स्वच्छ (स्वच्छता, जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना) जो कि सीडा व यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही थी। स्वच्छ की सफलता व अनुभवो को मद्दे नजर रखते हुए इसके स्वरूप को बनाए रखने के लिये एक जनवरी 1996 से एक स्वयं सेवी संस्था (गैर सरकारी) के रूप में पंजीकृत करवाया गया। वर्तमान मे इसी रूप मे निरन्तर क्रियाशील है।

स्वच्छ परियोजना द्वारा वर्तमान में संचालित की जा रही योजनाऐं

(i) स्वास्थ्यकर्मी योजना

जनजाति क्षेत्र मे स्वच्छ द्वारा स्वास्थ्यकर्मी योजना वर्ष 1996–97 से कियान्वित कि जा रही है। इन स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा ग्रामवासियों का प्राथमिक उपचार एवं अन्य सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण करने में सहयोग कर रोगी को निजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाकर उपचार दिलवाया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा गॉव में संचालित मातृ कल्याण सेवाऐं, गर्भवती महिला एवं शिशु टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्यकर्मी द्वारा सहयोग के रूप में ग्रामवासियों की जानकारी रखते हुए समय–समय पर गर्भवती महिला एवं शिशु टीकाकरण करवाया जा रहा तथा गर्भवती महिला को अतिरिक्त पोषाहार/पौष्टिक आहार लेने हेतु प्रोत्साहित/जानकारी दी जाकर आहार की सुनिश्चिता की जा रही है। इस हेतु वर्तमान में यूनिसेफ के माध्यम से स्वच्छ परियोजना द्वारा मातृ एवं शिशु पोषण कार्यक्रम का भी स्वीकृती अनुरूप संचालन किया जा रहा है। जिससे ग्रामीण महिला एवं शिशुओ को लाभान्वित किया जा रहा है।

स्वास्थ्यकर्मी द्वारा गांवो में निवासरत किशोरी बालिकाओं एवं धात्री माताओं के खान–पान/पौष्टिक आहार लिया जावे की जानकारी रखी जाती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्यकर्मी द्वारा गावो में 0 से 5 वर्ष के कुपोषित बालक/बालिकाओं को चिन्हित कर आंगनवाड़ी केन्द्र/नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाकर लाभान्वित किया जा रहा है। स्वास्थ्यकर्मी द्वारा ग्रामवासियों को परिवार कल्याण सेवाओं में सहयोग/जानकारी देते हुए योग्य दम्पती से सम्पर्क, नसबन्दी, कॉपरटी आदि हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

संभावित क्षय रोगी की पहचान कर उसे प्रारम्भिक जॉच हेतु स्वास्थ्य केन्द्र ले जा कर बलगम एवं आवश्यकता अनुसार जाचें करवायी जाती है एवं क्षय रोग से प्रामाणित पाये जाने पर उसका डॉटस पद्धति

से उपचार प्रारम्भ करवाया जाकर रोगी को स्वास्थ्यकर्मी द्वारा अपनी देखरेख में नियमित समय पर दवा दी जाती है। नियमित उपचार के दौरान समय पर रोगी का फोलोअप कर जांच करवायी जाती है।

संभावित क्षय रोगियों की जाचं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक के द्वारा की जाती है तथा डॉट्स पद्धति से उपलब्ध कराई गई दवा स्वास्थ्यकर्मी द्वारा रोगी को अपनी उपस्थिति में दी जाती है। दवा के अतिरिक्त प्रत्येक क्षय रोगी को उपचार अवधि में पोष्टिक आहार के रूप में 3 कि.ग्रा. सत्तु प्रतिमाह दिया जाता है।

स्वच्छ परियोजना द्वारा मार्च 2015 तक उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बॉसवाडा, प्रतापगढ में कुल 4310 गॉवों में संचालित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में कुल 50,370 रोगियों का उपचार पूर्ण किया गया तथा बारां जिले में 6504 रोगियों का उपचार पूर्ण किया गया। इस प्रकार स्वच्छ परियोजना द्वारा इस योजना के अन्तर्गत मार्च 2015 तक कुल 56,874 रोगियों का उपचार पूर्ण किया गया।

वर्ष 2014–15 में स्वास्थ्य सहायोगिनियों के रूप में जनजाति/सहरिया क्षेत्र में पूर्व में संचालित 930 गांवों के अतिरिक्त 3500 गांवों को योजना से जोडा गया है। इस प्रकार वर्तमान में जनजाति क्षेत्र के कुल 4430 गांवों में योजना का संचालन किया जा रहा है। जिनमें उदयपुर जिले के 1370, डूंगरपुर 840, बांसवाडा 1567, प्रतापगढ़ 563, सिरोही (आबूरोड़) 70 एवं सहारिया क्षेत्र बारां (शाहबाद) 400 गांवो को सम्मिलित किया गया है। स्वास्थ्यकर्मी को योजना अनुरूप निर्धारित मासिक मानदेय के रूप में रू 1600 प्रतिमाह 250 यात्रा भत्ता के रूप में किये जा रहे है।

वर्ष 2015–16 में योजना अन्तर्गत माह दिसम्बर 2015 तक स्वीकृत राशि रू. 1889.69 लाख के विरूद्व राशि रू. 1581.33 लाख व्यय किये जा चुके है।

(ii) मां बाडी केन्द्रो का संचालन

यह योजना स्वच्छ परियोजना द्वारा वर्तमान में अनुसूचित जनजाति/कथौड़ी एवं सहरिया परिवारों के ऐसे बालक/बालिका जो शिक्षा से वंचित है के लिये संचालित की जा रही है।

- प्रत्येक मॉ–बाड़ी केन्द्र पर जनजाति/कथौड़ी एवं सहरिया समुदाय के 6 से 12 वर्ष के शिक्षा से वंचित 30 बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु नामांकित करना तथा इसमें बालिकाओं को वरीयता प्रदान करना।
- इन बालक–बालिकाओं को मॉ–बाड़ी केन्द्र पर नाश्ता एवम् दोपहर में पोषक भोजन उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक बालक–बालिकाओं को पोशाक, जूते, मौजे, टाई, बेल्ट तथा स्वेटर उपलब्ध कराना।
- खेतीहर मजदूरों के बच्चों का पलायन रोकना तथा अनवरत अध्ययन में सलंग्न करना।

- खेलो के माध्यम से बालक/बालिकाओं को शिक्षण कार्य को रूचिकर बनाना।
- अध्ययनरत् बच्चों की माताओं को मॉ–बाड़ी की गतिविधियों से जोड़ना
    - बच्चों के भोजन तैयार करने के लिए 2 जनजाति/कथौड़ी/सहरिया महिलाओं को प्रत्येक महीने बारी–बारी से दायित्व सौपना और मानदेय देना एवम् स्वयं भोजन करना और बच्चों को भोजन कराना।
    - जनजाति/कथौड़ी/सहरिया महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से मॉ–बाड़ी केन्द्र के साथ जोड़ना।
    - स्वास्थ्य, स्वच्छता के उत्थान हेतु राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करना।
- मॉ–बाड़ी केन्द्र जनजाति समुदाय द्वारा चयनित ग्राम विकास समिति के माध्यम संचालित कराना और समुदाय के ही स्थानीय बेरोजगार शिक्षित (आठवीं और उच्च शिक्षित) युवक–युवतियों को अध्यापन हेतु चयन किया जाना।

इस प्रकार इस योजना में आदिवासी समुदाय के जनजाति परिवारों के बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाकर शिक्षा के पथ पर अग्रसर किया जा रहा है एवं आदिवासी परिवारों के बच्चों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में ये केन्द्र मां बाडी केन्द्र एवं मां बाडी डे–केयर केन्द्र के रूप में संचालित किये जा रहे है।

मां बाडी डे–केयर में मूलतः 2 शिक्षा सहयोगियों एवं 3 सहायिकाओं का प्रावधान है तथा ये केन्द्र प्रातः 8 बजे से सायं 6 बजे तक खुले रखे जाते है। जिससे इन बालक/बालिकाओं के अभिभावक निश्चिन्त होकर कृषि/मजदुरी कार्य हेतु बालकों को केन्द्र पर छोडकर चले जाते है। डे–केयर केन्द्र पर बालको को पूरे दिवस पोष्टिक आहार, खेल, शिक्षण कार्य उनकी रूचि अनुसार कराया जाता है। वर्तमान में कुल 839 मां–बाडी डे केयर सेन्टर संचालित किये जा रहे है। जिनमें उदयपुर–176, डूंगरपुर–103, बॉसवाडा–159, प्रतापगढ–54, आबूरोड–23, बारां–324 डे केयर केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है।

मां बाडी केन्द्रो पर एक शिक्षा सहयोगी एवं 2 सहायिकाओं का प्रावधान है तथा ये केन्द्र प्रातः काल से दोपहर तक खोले जाते है। इन केन्द्रो पर बालको को प्रातः का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में कुल 620 मां बाडी केन्द्रो संचालित किये जा रहे है। जिनमें उदयपुर–132 (कोटडा क्षेत्र में वन बन्धु योजना की 20 मां बाडी) , डूंगरपुर– 113, बॉसवाडा– 123, प्रतापगढ– 152, आबूरोड– 10, पाली– 25, राजसमंद– 4, जयपुर – 80 मां बाडी केन्द्रो का संचालन किया जा रहा है।

माह दिसम्बर 2015 तक योजना अन्तर्गत कुल स्वीकृत राशि रू. 4412.95 लाख के विरूद्व राशि रू. 3028.31 लाख व्यय की जा चुकी है।

(iii) कथौडी विकास कार्यक्रम

वर्ष 2015–16 में गांव अम्बासा एवं कुकडाखेडा में 4 कथौडी समुदाय के युवको को दो जनरल स्टोर एवं दो नाई की दुकान स्थापित कर स्वरोजगार से जोडा गया है।

(iv) कथौड़ी आवास निर्माण

उदयपुर जिले के झाड़ोल एवं कोटडा में निवासरत कथौड़ी परिवारो के यहां 300 पक्के आवास निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुयी। वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में स्वीकृत 300 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। वर्ष 2014–15 में स्वीकृत 116 आवासों में से 96 आवास पूर्ण किये जा चुके है। शेष आवासों का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 52 आवासों में कृषकों का चयन किया जाकर भूमि आवंटित करवा ली गई है तथा कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

(v) माँ–बाड़ी केन्द्र निर्माण

वर्ष 2012–13 में स्वीकृत 175 मां बाडी में से 173 वर्ष 2013–14 में 175 मां बाडी केन्द्रो में से 168 तथा वर्ष 2014–15 में 235 में से 178 मां बाडी केन्द्रों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 106 एवं वर्ष 2014–15 में स्वीकृत शेष मां–बाडीयों का कार्य प्रगति पर है।

(vi) सहरिया आवास निर्माण

सहरिया परिवारों हेतु स्वीकृत 1089 आवास का निर्माण पूर्ण कर सहरियाओं को आवंटित कर दिये गये है। वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 467 सहरिया आवासो में से 160 आवासो के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। प्रति आवास राशि रू. 1.50 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

(vii) छात्रावास मरम्मत कार्य

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वच्छ परियोजना को जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में मरम्मत कार्यो हेतु कार्यकारी ऐजेन्सी नियुक्त किया गया। संस्था द्वारा विभिन्न जिलो में संचालित छात्रावासों की मरम्मत का कार्य करवाया गया है।

(viii) हॉस्टल खेल सुविधा विकास

योजना अन्तर्गत उदयपुर, सिरोही, डूँगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिले के 47 कार्य स्वीकृत है जो शीघ्र ही पूर्ण किये जा रहे है।

(ix) जलोत्थान सिंचाई योजना

वर्ष 2015–16 में 35 जलोत्थान सिंचाई योजनाओ को पुनः प्रारम्भ करवाने हेतु राशि रू. 572.68 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 30 जलोत्थान सिंचाई योजनाओ को जो पूर्व में बंद थी, पुनः चालू करवाया जा चुका है। इस पर राशि रू. 105.40 लाख व्यय किये जा चुके है। उक्त योजना पर तीन वर्ष तक कार्य करवाया जाना है।

(x) सामुदायिक भवन निर्माण

स्वच्छ परियोजना को विभिन्न जिलो में 27 सामुदायिक भवन निर्माण हेतु राशि रू. 688.63 लाख प्राप्त हुई थी इसमें से 17 स्थानो पर कार्य प्रगति पर है। शेष स्थानो पर जमीन की उपलब्धता होने पर कार्य प्रारम्भ करवाया जा सकेगा। माह दिसम्बर 2015 तक सामुदायिक भवन निर्माण पर राशि रू. 26.12 लाख व्यय किये जा चुके है।

(xi) बालिका आश्रम छात्रावासो में शौचालय निर्माण

स्वच्छ परियोजना को बालिका आश्रम छात्रावास जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 41 शौचालय निर्माण हेतु राशि रू. 271.59 लाख प्राप्त हुये थे। समस्त छात्रावासो में माह दिसम्बर 2015 तक शौचालय का निर्माण कर राशि रू. 214.34 लाख व्यय किये जा चुके है।

(xii) बालिका छात्रावासो में चारदिवारी निर्माण

बांसवाडा जिले के 24 बालिका छात्रावास जहाँ पर चारदिवारी नही थी, हेतु राशि रू. 215.80 लाख प्राप्त हुई थी। माह दिसम्बर 2015 तक राशि रू. 205.15 लाख व्यय कर 23 चारदीवारी का निर्माण पूर्ण करवाया जा चुका है।

अध्याय – 5

अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित अधिनियम/नियम/परिपत्र

1. अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम 2012

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, जिसका उद्धेश्य ऐसे वनों में पीढियां से निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों, जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया गया है, को वन भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देना तथा उन्है वन अधिकार सौपना है, के प्रचालन हेतु इसे 31.12.07 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के कियान्वयन हेतु अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 को भी दिनाक 1 जनवरी, 2008 को अधिसूचित कर दिया गया है।

राजस्थान में वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों तथा इस अधिनियम के उद्धेश्यों, प्रावधानों और प्रक्रिया विधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के सभी आवश्यक उपाय किये गये है तथा अधिनियम और नियमों की प्रतियां सरकार के सभी विभागों नागरिक प्रतिनिधियों तथा राज्य के गैर सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई है।

राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से 32,550 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है जो कि 9.51 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य में वन क्षेत्र मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में विद्यमान है। इसके अन्तर्गत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व बारां जिले आते हैं। इसके अतिरिक्त अलवर तथा सवाई माधोपुर में भी पर्याप्त वन क्षेत्र हैं। उक्त 9 जिलों के 60,06,221 हैक्टर कुल भू–भाग में से 15,78,101 हैक्टर पर वन अवस्थित है जो कि लगभग 26.3 प्रतिशत है।

वन क्षेत्र में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन निवासियों के जो ऐसे वनों में पीढियों से निवास कर रहे हैं किन्तु उनके अधिकारों को अभिलिखित नहीं किया जा सका है, वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभाग को मान्यता देने और निहित करने, वन भूमि में इस प्रकार निहित अधिकारों को अभिलिखित करने के लिए अधिनियम 31 दिसम्बर, 2007 से लागू हुआ।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम, 2008 जारी किये गये जो दिनांक 1 जनवरी, 2008 को राजपत्र में प्रकाशित हुए।

तदुपरान्त विभिन्न राज्यों एवं स्वयंसेवी संगठनों के सुझाव प्राप्त होने पर इस अधिनियम के कियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने एवं प्रभावी तथा व्यापक ढंग से लागू करने के उद्धेश्यों से भारत सरकार ने उक्त नियमों में कुछ संशोधन करते हुऐ संशोधित नियम 6 सितम्बर, 2012 से जारी किये गये।

अधिनियम एवं नियम लागू होने के पश्चात अधिकार पत्र जारी करना एक कानूनी प्रक्रिया है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के क्रियान्वयन अन्तर्गत माह जनवरी, 15 से माह दिसम्बर, 15 तक 874 व्यक्तिगत एवं 4 सामुदायिक दावों के कुल 878 वनाधिकार पत्र जारी किये गये। विभिन्न जिलों में लम्बित 2054 दावें प्रक्रियाधीन हैं।

2. राजस्थान पंचायतीराज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 एवं नियम, 2011

- राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग ने अपनी अधिसूचना कमांक एफ.10(5) राजस्व–6/2000/12 दिनांक 17.4.2002 द्वारा अधिसूचना जारी कर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, 1955 की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत तहसीलदार की शक्तियॉं अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भूमि पर अतिकमण के मामलो में कार्यवाही करने की शक्तियां पंचायत समिति को दे दी गई है।
- राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग में अपनी अधिसूचना कमांक– एफ.13(1) राजस्व–6/ 2000/13 दिनांक 17.4.2002 द्वारा राजस्थान मनीलेण्डर्स एक्ट, 1963 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान मनीलेण्डर्स एक्ट, 1963 के अन्तर्गत आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को रजिस्ट्रार जनरल, पंचायत समिति को रजिस्ट्रार एवं ग्राम पंचायत को सहायक रजिस्ट्रार अनुसूचित क्षेत्र के लिये नियुक्त किया।
- राजस्थान सरकार, खान (ग्रुप–1) विभाग ने अपनी अधिसूचना दिनांक 12.4.2002 द्वारा खान एवं खनिज (विकास और विनियवन) अधिनियम, 1957 की धारा–15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 को और संशोधित किया

एवं राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2002 जारी किये। इस संशोधन द्वारा नियम–4 के उप नियम 7 के पश्चात् निम्न उप नियम–8 जोड़ा गया। नियम 4 (8) किसी गौण खनिज के संबंध में कोई भी पूर्वेक्षण अनुप्राप्ति खनन् पट्टा या कोई अन्य खनिज रियायत अनुसूचित क्षेत्रों में राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या–16) के अधीन के प्रयोजन के लिये बने नियमों में यथा–चिन्हित समुचित स्तर पर की पंचायत राज संस्थाओं की पूर्व सिफारिश अभिप्राप्त किये बिना मंजूर नहीं की जायेगी।

- राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये गये।
- ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) ने अधिसूचना क्रमांक–एफ–4(6) पीसा रूल्स/लीगल/पीआर/10/1938 जयपुर दिनांक 1.11.11 जारी कर राजस्थान पंचायती राज (उपाबंधो का अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011 अधिसूचित किये है।

अनुसूचित क्षेत्र की जनसंख्या का विवरण (जिलो एवं तहसीलो के पुनर्गठन पश्चात्)

(जनगणना 2011 के अनुसार)

क्रम संख्या	जिला	तहसील	ग्रामो की संख्या			जनगणना कस्बा	नगर पालिका	कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
			आबाद	गैर आबाद	कुल					
1	बांसवाडा	घाटोल	238	1	239			287101	231331	80.57
		गढी	206	2	208	2		298740	173066	57.93
		बांसवाडा	334	22	356	1	1	458587	306968	66.94
		बागीदोरा	308	0	308			373825	318963	85.32
		कुशलगढ	399	3	402		1	379232	342671	90.36
		योग	**1485**	**28**	**1513**	**3**	**2**	**1797485**	**1372999**	**76.38**
2	डूंगरपुर	डूंगरपुर	305	0	305		1	495423	384981	77.71
		आसपुर	171	3	174			224243	119085	53.11
		सागवाडा	244	1	245	1	1	343232	203272	59.22
		सीमलवाडा	252	0	252	1		325654	276099	84.78
		योग	**972**	**4**	**976**	**2**	**2**	**1388552**	**983437**	**70.82**
3	उदयपुर	गोगुन्दा	52	0	52			26280	14701	55.94
		गिर्वा	122	0	122	1		198420	144728	72.94
		कोटडा	262	0	262			230532	220905	95.82
		झाडोल	283	0	283			249297	188925	75.78
		लसाडिया	113	1	114			91229	80435	88.17
		सलूम्बर	268	0	268		1	248337	132473	53.34
		सराडा	191	0	191	4		231209	147157	63.65
		ऋषभदेव	125	0	125	1		172935	145576	84.18
		,खेरवाडा	194	1	195	1		206777	151494	73.26
		योग	**1610**	**2**	**1612**	**7**	**1**	**1655016**	**1226394**	**74.10**
4	प्रतापगढ	धरियावद	167	0	167	1		189872	149512	78.74
		पीपलखूंट	204	3	207			154063	143783	93.33
		अरनोद	180	1	181			141023	94932	67.32
		प्रतापगढ	272	21	293		1	248813	112111	45.06
		योग	**823**	**25**	**848**	**1**	**1**	**733771**	**500338**	**68.19**
5	सिरोही	आबूरोड	82	3	85	2		149098	104888	70.35
		योग	**82**	**3**	**85**	**2**		**149098**	**104888**	**70.35**
	कुल योग		**4972**	**62**	**5034**	**15**	**6**	**5723922**	**4188056**	**73.17**
राजस्थान								**68548437**	**9238534**	**13.48**
राज्य की तुलना मे अनुसूचित क्षैत्र का प्रतिशत								8.35	45.33	

माडा लघुखण्डो की जनसंख्या का विवरण

(जनगणना 2011 के अनुसार)

क्रम संख्या	जिला	माडा लघुखण्ड का नाम	ग्रामो की संख्या	कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	अलवर	1. राजगढ–अलवर	131	156839	81399	51.90
		2. थानागाजी	60	40344	22045	54.64
		3. लक्ष्मणगढ	28	41471	21419	51.65
		योग	**219**	**238654**	**124863**	52.32
2	धोलपुर	4. बसेरी–बारी	68	69729	40211	57.67
		योग	**68**	**69729**	**40211**	**57.67**
3	भीलवाडा	5. जहाजपुर–माण्डलगढ	205	137506	72436	52.68
		योग	**205**	**137506**	**72436**	**52.68**
4	बून्दी	6. बून्दी	56	50671	24322	48.00
		7. बून्दी–केशोरायपाटन	56	49306	25201	51.11
		8. हिण्डौली–बून्दी	40	43040	21187	49.23
		9. केशोरायपाटन	35	29557	15992	54.11
		10. नैनवा–बून्दी–हिण्डौली	65	49143	26068	53.05
		योग	**252**	**221717**	**112770**	**50.86**
5– 6	चित्तोडगढ एवं प्रतापगढ	11. बडीसादडी–छोटीसादडी	148	77087	52086	67.57
		12. बेगूं	118	52827	28211	53.40
		13. बेगूं–चित्तोडगढ	72	21321	9806	45.99
		योग	**338**	**151235**	**90103**	**59.58**
7– 8	जयपुर एवं दौसा	14. लालसोट–चाकसू–दौसा–बसवा	421	385783	211822	54.91
		15. जमवारामगढ–चाकसू–बस्सी–दौसा–सांगानेर–आमेर	274	288776	164335	56.91
		16. सिकराय–बसवा	76	118127	64168	54.32
		योग	**771**	**792686**	**440325**	**55.55**
9	झालावाड	17. अकलेरा	125	65393	41039	62.76
		18. झालरापाटन–खानपुर	116	54571	34634	63.47
		योग	**241**	**119964**	**75673**	**63.08**
10– 11	कोटा एवं बारां	19. अटरू–छीपबडोद–छबडा	36	24390	12686	52.01
		20. छीपबडोद	50	32801	22618	68.96
		21. पीपल्दा–मांगरोल–दिगोद	108	75311	39098	51.92
		22. छबडा	53	27042	16651	61.57
		23. रामगंजमण्डी–लाडपुरा	44	26869	11797	43.91
		24. बारां–मांगरोल–सांगोद	26	19753	11040	55.89
		योग	**317**	**206166**	**113890**	**55.24**
12	पाली	25. बाली	21	54239	31381	57.86
		योग	**21**	**54239**	**31381**	**57.86**
13–14	सवाईमाधोपुर	26. बामनवास–गंगापुर	40	36348	21303	58.61

	एवं करौली	27.बामनवास	41	43255	24654	57.00
		28. गंगापुर–करौली	26	39048	21488	55.03
		29. नादोती–हिण्डोन	30	46604	22661	48.62
		30. हिण्डोन–टोडाभीम	39	65824	34679	52.68
		31. करौली	40	55111	26272	47.67
		32. करौली–सपोटरा–बौंली	77	104606	59233	56.62
		33. महुवा	58	66426	37899	57.05
		34. बौंली	70	81264	43122	53.06
		35. सवाईमाधोपुर–खण्डार	80	123686	67328	54.43
		36. टोडाभीम–नादोती–महुवा	75	119989	64453	53.72
		योग	**576**	**782161**	**423092**	**54.09**
15	सिरोही	37. पिण्डवाडा–सिरोही–रेवदर	55	107812	84673	78.54
		योग	**55**	**107812**	**84673**	**78.54**
16	टौंक	38. देवली–टोडारायसिंह–टौंक	61	49815	25795	51.78
		39. निवाई	71	46876	26208	55.91
		40. उनियारा	74	48841	28453	58.26
		41. उनियारा–टौंक	40	18044	9963	55.22
		योग	**246**	**163576**	**90419**	**55.28**
17–18	उदयपुर एवं राजसमंद	42. गिर्वा–नाथद्वारा–मावली	59	70917	31941	45.04
		43. गोगुन्दा–कुम्भलगढ–नाथद्वारा	117	123028	78493	63.80
		44. वल्लभनगर	101	55200	19983	36.20
		योग	**277**	**249145**	**130417**	**52.35**
		महायोग	**3586**	**3294590**	**1830253**	**55.55**

नोट– इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच नाडा क्लस्टर क्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है।

माडा क्लस्टर की जनसंख्या का विवरण

(जनगणना 2011 के अनुसार)

क्रम संख्या	जिला	माडा क्लस्टर का नाम	ग्रामो की संख्या	कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	बून्दी	1. केशोरायपाटन	32	15730	9266	58.91
2	कोटा	2. दिगोद	9	7720	4267	55.27
3	बारां	3. अटरू–बारां	19	11386	5526	48.53
4	झालावाड	4. खानपुर	13	8636	4781	55.36
		5. अकलेरा (पू.)	20	15572	8557	54.95
		6. अकलेरा (द.)	12	9834	6574	66.85
		योग	45	34042	19912	**58.49**
5	अजमेर	7. केकडी	11	9714	5272	54.27
6	राजसमंद	8. नाथद्वारा–राजसमंद	19	8358	4429	52.99
7	भरतपुर	9. वैर (उ.)	11	14366	7891	54.93
		10. वैर (द.)	4	11210	5632	50.24
		योग	15	25576	13523	**52.87**
8	सवाईमाधोपुर	11खण्डार	9	8272	5256	63.54
महायोग			**159**	**120798**	**67451**	**55.84**

नोट–इसमें वर्ष 2001–2011 के बीच माडा क्लस्टरक्षेत्र के ग्रामो से टूटकर बने नवीन राजस्व ग्रामों का विवरण सम्मिलित नही है।

बिखरी जनजाति की जनसंख्या का विवरण

(जनगणना 2011 के अनुसार)

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	माडा क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	माडा कलस्टर क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या	सहरिया क्षेत्र की जनजाति जनसंख्या'	बिखरी हुई जनजाति की जनसंख्या''
1	गंगानगर	13477	0	0	0	0	13477
2	हनुमानगढ	14289	0	0	0	0	14289
3	बीकानेर	7779	0	0	0	0	7779
4	चुरू	11245	0	0	0	0	11245
5	झुन्झनू	41629	0	0	0	0	41629
6	अलवर	289249	0	124863	0	0	164386
7	भरतपुर	54090	0	0	13523	0	40567
8	धोलपुर	58594	0	40211	0	0	18383
9	करौली	324960	0	206370	0	0	118590
10	सवाई माधोपुर	285848	0	176727	5256	0	103865
11	दौसा	433344	0	291984	0	0	141360
12	जयपुर	527966	0	188336	0	0	339630
13	सीकर	75349	0	0	0	0	75349
14	अजमेर	63482	0	0	5272	0	58210
15	टोंक	178207	0	90419	0	0	87788
16	जैसलमेर	42429	0	0	0	0	42429
17	जोधपुर	118924	0	0	0	0	118924
18	नागौर	10418	0	0	0	0	10418
19	पाली	144578	0	31381	0	0	113197
20	बाडमेर	176257	0	0	0	0	176257
21	जालोर	178719	0	0	0	0	178719
22	सिरोही	292470	104888	84673	0	0	102909
23	भीलवाडा	229273	0	72436	0	0	156837
24	राजसमन्द	160809	0	23627	4429	0	132753
25	उदयपुर	1525289	1226394	106790	0	0	192105
26	चित्तौडगढ	201546	0	58427	0	0	143119
27	प्रतापगढ	550427	500338	31676	0	0	18413
28	डूंगरपुर	983437	983437	0	0	0	0
29	बांसवाड़ा	1372999	1372999	0	0	0	0
30	बूंदी	228549	0	112770	9266	0	106513
31	कोटा	183816	0	39245	5526	0	139045
32	बारां	276857	0	74645	4267	102124	95821
33	झालावाड	182229	0	75673	19912	0	86644
योग		**9238534**	**4188056**	**1830253**	**67451**	**102124**	**3050650**

- सहरिया परियोजना क्षेत्र की गैर सहरिया (बिखरी जनजाति) जनसंख्या सहित
- सहरिया परियोजना क्षेत्र की बिखरी जनजाति (गैर सहरिया) जनसंख्या के अतिरिक्त

सहरिया विकास परियोजना की जनसंख्या का विवरण

क्र. सं.	पंचायत समिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	ग्राम संख्या	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार			कुल जनसंख्या की तुलना में अनु. जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत	कुल जनसंख्या की तुलना में सहरिया जनसंख्या का प्रतिशत
				कुल जनसंख्या	अनु. जनजाति जनसंख्या	सहरिया जनजाति की जनसंख्या'		
	जिला बांरा							
1.	शाहबाद	1460	236	105875	41808	34687	39.49	32.76
2.	किशनगंज	1451	213	166864	60316	39308	36.15	23.56
	कुल	**2911**	**449**	**272739**	**102124**	**73995**	**37.44**	**27.13**

- सहरिया जनजाति जनसंख्या का विवरण मा.ला. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा सन् 2002 में किये गये सर्वे के आधार पर है
- क्षेत्रफल का विवरण पूर्ववर्ती अनुसार ही लिया गया है।

परिशिष्ट–6

जिलानुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या (प्रत्येक जनजाति के लिए अलग से)

क.स.	राज्य/जिला	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण											
				भील, भील गरासिया, ढोली भील, डूंगरी भील,डूंगरी गरासिया, मैवासी भील, रावल भील, तडवी भील भगालिया, भिलाला पावरा, वसावा, वसावे	भील मीना	डामोर, डामरिया	धनका, तडवी, तैतारिया, वलवी,	गरासिया (राजपूत गरासिया सम्मिलित नहीं)	काथोडी, कातकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी	कोकना, कोकनी कुकना,	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलघा	मीना,	नायकडा, नायका, चौलीवाला नायका , कापडिया नायका, मोटा नायका, नाना नायका	पटेलिया,	सहारिया, सहरिया, सहारिया,
	राजस्थान	68548437	9238534 (13.48%)	4100264 (5.98%)	105393 (0.15%)	91463 (0.13%)	96737 (0.14%)	314194 (0.46%)	4833 (0.01%)	361 (0.001%)	1535 (0.002%)	4345528 (6.34%)	8355 (0.01%)	797 (0.001%)	111377 (0.16%)
1	गंगानगर	1969168	13477	807	1	3	8854	61	16	1	4	2287	870	41	36
2	हनुमानगढ	1774692	14289	258	0	4	10069	11	85	1	2	2582	910	0	70
3	बीकानेर	2363937	7779	1861	8	8	284	25	11	0	1	2984	1806	1	14
4	चुरू	2039547	11245	79	0	2	334	10	5	0	0	9374	908	0	6
5	झूंझूनू	2137045	41629	64	0	8	2075	4	0	1	0	38625	426	6	58
6	अलवर	3674179	289249	663	67	4	13111	10	2	1	265	273327	38	4	28
7	भरतपुर	2548462	54090	374	12	8	13	1	0	0	48	52958	3	0	1
8	धौलपुर	1206516	58594	28	0	0	3	0	4	0	34	58133	0	7	130
9	करौली	1458248	324960	143	49	0	0	0	0	0	118	323342	13	0	5
10	सवाई माधोपुर	1335551	285848	222	2	1	11	0	2	0	60	284455	17	8	4
11	दौसा	1634409	433344	126	59	2	561	0	0	0	81	430945	8	2	0
12	जयपुर	6626178	527966	3954	76	39	45985	43	23	13	272	467364	466	30	88
13	सीकर	2677333	75349	265	0	17	7592	7	0	0	1	66199	321	0	8
14	नागौर	3307743	10418	393	1	15	322	10	1	0	1	8005	299	9	0
15	जोधपुर	3687165	118924	107522	2	53	1418	138	7	170	13	5595	318	0	8

क.स.	राज्य/जिला	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	अनुसूचित जनजातियों का वर्गीकरण											
				भील, भील गरासिया, डोली भील, डूंगरी भील,डूंगरी गरासिया, मेवासी भील, रावल भील, तडवी भील भगालिया, भिलाला पावरा, वसावा, वस्तावे	भील मीना	डामोर, डामरिया	धनका, तडवी, तेतारिया, वलवी,	गरासिया (राजपूत गरासिया सम्मिलित नहीं)	काथोडी, कालकरी, ढोर काथोडी, ढोर कातकरी, सोन काथोडी, सोन कातकरी	कोळना, कोकनी कूकना,	कोली ढोर, टोकरे कोली, कोलचा, कोलधा	मीना,	नायकडा, नायका, चोलीवाला नायका , कापडिया नायका, भौटा नायका, नाना नायका	पटेलिया,	सहारिया, सहरिया, सहारिया,
16	जैसलमेर	669919	42429	41553	2	7	4	2	1	14	6	405	12	4	6
17	बाडमेर	2603751	176257	173287	18	6	4	15	0	0	19	1065	6	0	0
18	जालोर	1828730	178719	151938	5	3	8	92	0	80	40	25775	9	0	0
19	सिरोही	1036346	292470	112793	11	109	289	152575	74	6	61	26225	24	41	2
20	पाली	2037573	144578	32350	17	1	62	49465	69	0	3	61606	415	0	18
21	अजमेर	2583052	63482	33122	33	41	4933	22	28	10	191	24025	80	24	37
22	टोक	1421326	178207	13991	1	11	304	0	2	22	23	162768	96	1	6
23	बून्दी	1110906	228549	39452	89	2	0	0	39	31	43	187078	381	59	288
24	भीलवाडा	2408523	229273	130375	23	69	48	127	3	0	14	96939	46	8	0
25	राजसमन्द	1156597	160809	154393	152	44	17	111	25	0	8	5070	17	0	0
26	डूंगरपुर	1388552	983437	686981	78396	56352	4	850	603	0	6	156360	0	59	5
27	बांसवाडा	1797485	1372999	1339679	697	20637	10	6057	182	0	0	3400	14	158	4
28	चित्तौडगढ	1544338	201546	132726	173	23	40	436	9	0	5	66819	218	12	16
29	कोटा	1951014	183816	48274	123	326	95	212	18	5	122	131119	193	286	1447
30	बारां	1222755	276857	36006	12	3	28	15	578	0	50	130670	117	15	108520
31	झालावाड	1411129	182229	105153	8	8	1	18	538	5	21	75310	27	0	551
32	उदयपुर	3068420	1525289	652005	22669	12800	170	103847	2488	1	20	717696	228	15	11
33	प्रतापगढ	867848	550427	99429	2687	857	88	30	20	0	3	447023	69	7	10

- स्त्रोत– जनगणना कार्य निदेशालय, राजस्थान–जयपुर द्वारा जारी (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
कमरा न0 7208, द्वितीय तल, खाद्य भवन, सचिवालय, जयपुर
फोन न0 0141-2227047 फैक्स न0 0141-2227281
ई-मेल: ds.tad@rajasthan.gov.in, Website: www.tad.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 9 () जनजाति आयोग का गठन/टीएडी/2011-12 जयपुर दिनांक 28.01.2016

आदेश

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 11 (36) आरएण्डपी/सान्याअवि/2001/89104 दिनांक 30.11.2011 के क्रम में राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद पर श्रीमती प्रकृति खराडी एवं राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर श्री जितेन्द्र मीणा व सदस्य के पद पर श्री धर्मेन्द्र राठौड़ को मनोनीत किया जाता है।

आज्ञा से,

(पी.सी. बेरवाल)
संयुक्त शासन सचिव
दूरभाष न. 0141-2227047

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. श्रीमती प्रकृति खराडी, अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग।
6. श्री जितेन्द्र मीणा, उपाध्यक्ष, राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग।
7. श्री धर्मेन्द्र राठौड़, सदस्य राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग।
8. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
9. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, जनजाति कार्यमंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. संभागीय आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर एवं भरतपुर।
12. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
13. समस्त विभागाध्यक्ष————————।
14. समस्त जिला कलेक्टर————।
15. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
16. समस्त अधिकारी मुख्यालय।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावास (सत्र 2015–16)

अनुसूचित क्षेत्र

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
1.	बाँसवाडा	गढी	1	गढी	बालक	सी.मा.वि	1.10.88	100	100
			2	गढी	बालिका	सी.मा.वि	12.7.14	75	50
			3	सरेडी बडी	बालक	सी.मा.वि	23.11.89	100	100
			4	जौलाना	बालिका	सी.मा.वि	1.7.96	100	100
			5	लोकिया अरथुना	बालिका	सी.मा.वि	20.7.14	50	50
			6	पालोदा	बालिका	सी.मा.वि.	15–16	50	50
		कुशलगढ	7	रामगढ	बालक	सी.मा.वि	11.7.85	100	100
			8	हिमलाबडा	बालक	सी.मा.वि	7.7.90	75	50
			9	छोटी सरवा	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	75	50
			10	कुशलगढ	बालिका	सी.मा.वि	9.9.95	100	100
			11	छोटी सरवा	बालिका	सी.मा.वि	7/12	50	50
			12	कोटडा राणगा (बडला की रेल)	बालिका	सी.मा.वि	7/13	50	50
			13	ठिमेडा (टिमेडा बडा)	बालिका	सी.मा.वि	7/13	50	50
			14	पोटलिया	बालिका	सी.मा.वि	7/12	50	50
		छोटी सरवन	15	छोटी सरवन	बालक	मा.वि	17.9.78	100	100
			16	दानपुर	बालिका			50	50
			17	घोडी तेजपुर	बालक	मा.वि	14.11.89	75	75
			18	छोटी सरवन	बालिका	मा.वि	5.12.02	75	75
		बागीदौरा	19	कलिंजरा	बालक	सी.मा.वि	1.7.77	100	100
			20	गांगडतलाई	बालक	सी.मा.वि	8.2.86	100	100
			21	बडोदिया	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	75	75
			22	सल्लोपाट	बालक	मा.वि	1.4.97	75	75
			23	बागीदौरा	बालिका	सी.मा.वि	10.8.04	100	125
			24	करजी	बालिका	सी.मा.वि	12.7.06	75	100
			25	पंचाल (टांडी)	बालिका	सी.मा.वि	1.7.13	50	50
			26	बडोदिया	बालिका	सी.मा.वि	1.7.13	50	50
			27	नौगामा	बालिका	सी.मा.वि	1.7.13	50	50
			28	जेरमाटी (लंकाई)	बालिका	सी.मा.वि	1.7.13	50	50
			29	गमानिया मोती	बालिका	सी.मा.वि	15–16	50	50
			30	शक्करवाडा	बालिका	सी.मा.वि	14–15	50	50
		तलवाडा	31	आंबापुरा	बालक	सी.मा.वि	10.11.89	100	100
			32	खेडा वडली पाडा	बालक	मा.वि	1.7.85	100	100
			33	खेडा वडली पाडा	बालिका	मा.वि	12.7.14	50	50
			34	माही डेम	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	75	50
			35	तलवाडा	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	75	50
			36	प्रति. बांसवाडा	बालक	सी.मा.वि	16.8.97	75	50
			37	कूपडा	बालक	सी.मा.वि	1.7.96	75	75
			38	बांसवाडा	बालिका	सी.मा.वि	1.7.95	100	100

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
			39	तलवाडा	बालिका	सी.मा.वि	1.11.11	75	50
			40	बोरिया (पलाशवानी)	बालिका	सी.मा.वि	7/13	50	50
			41	नया गांव	बालिका	मा.वि.	15–16	50	50
		आनन्दपुरी	42	आनन्दपुरी	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	100	100
			43	आनन्दपुरी	बालिका	सी.मा.वि	15.1.87	100	100
			44	चान्दरवाडा	बालिका	सी.मा.वि	1.7.06	100	100
			45	सारदा (फलवा)	बालिका	सी.मा.वि	1.7.13	75	75
			46	नडकौला	बालिका	सी.मा.वि	1.7.13	50	50
			47	डोकर	बालिका	सी.मा.वि	127.13	50	50
			48	बडलिया	बालिका	सी.मा.वि	1.7.13	50	50
		घाटोल	49	रूपजी का खेडा	बालक	सी.मा.वि	16.1189	75	75
			50	नरवाली	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	75	75
			51	पडोली राठोड	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	75	75
			52	बोरदा	बालक	सी.मा.वि	28.7.06	125	125
			53	घाटोल	बालिका	सी.मा.वि	7/11	75	75
			54	जगपुरा	बालिका	सी.मा.वि	7/13	50	50
		सज्जनगढ	55	कसारवाडी	बालक	सी.मा.वि	1.7.90	75	50
			56	ताम्बेसरा	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	75	75
			57	छोटा डूँगरा	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	75	50
			58	सज्जनगढ	बालिका	सी.मा.वि	1.7.11	75	50
			59	छोटा डूँगरा	बालिका		1.7.12	50	50
			60	सागवा (शक्करवाडा)	बालिका	सी.मा.वि	1.7.12	50	50
				कुल 60 25 बालक 35 बालिका				4375	4175

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
2.	डूँगरपुर	आसपुर	1	रीछा	बालक	सी.मा.वि	1.8.78	100	100
			2	पचलासा छोटा	बालक	सी.मा.वि	7.3.89	50	50
			3	निठाउवा	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	50	50
			4	निठाउवा	बालिका	सी.मा.वि	12.7.14	50	50
			5	आसपुर	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	75	75
			6	पूंजपुर	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	75	75
			7	रामगढ	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	75	50
			8	आसपुर	बालिका	सी.मा.वि	1.7.06	100	100
			9	साबला	बालिका	सी.मा.वि	12.10.10	50	50
		सागवाडा	10	ठाकरडा	बालक	सी.मा.वि	16.9.97	75	50
			11	ओबेरी	बालक	सी.मा.वि	1.1.91	100	100
			12	नोकना	बालक	सी.मा.वि	1.1.89	75	50
			13	चित्रकूट	बालक	सी.मा.वि	1.8.89	50	50
			14	भीलूडा	बालक	सी.मा.वि	20.11.97	50	50
			15	पाडवा	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	50	50
			16	बडगी	बालिका	सी.मा.वि	1.9.2011	50	50
			17	ओबरी	बालिका	सी.मा.वि	1.8.91	100	100

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
			18	भीलूडा	बालिका	सी.मा.वि	1.7.13	50	50
			19	खडगदा	बालिका	सी.मा.वि	1.7.13	50	50
			20	चितरी	बालिका	सी.मा.वि.	15–16	25	22
			21	पादरडी बडी	बालिका	सी.मा.वि.	15–16	50	50
		डूँगरपुर	22	फलोज	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	75	75
			23	फलोज	बालिका	सी.मा.वि	14.7.14	50	50
			24	कहारी	बालक	सी.मा.वि	1.1.91	75	50
			25	रघुनाथपुरा	बालक	सी.मा.वि	1.11.81	100	100
			26	मालचौकी	बालक	सी.मा.वि	1.11.89	75	50
			27	सूराता	बालक	सी.मा.वि	1.1.87	100	100
			28	प्रति. डूँगरपुर	बालक	सी.मा.वि	1.7.91	75	50
			29	डूँगरपुर	बालिका	सी.मा.वि	22.8.95	100	100
			30	पालमाण्डव	बालिका	सी.मा.वि	2.10.03	50	50
		बिच्छीवाडा	31	देवलपाल	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	75	50
			32	बिच्छीवाडा	बालक	सी.मा.वि	1.12.90	75	50
			33	तलैया	बालक	सी.मा.वि	1.12.85	100	100
			34	माडा	बालक	सी.मा.वि	12.85	130	130
			35	गंधवापाल	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	75	50
			36	गामडी अहाडा	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	75	50
			37	चुण्डावाडा	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	75	50
			38	छापी	बालिका	सी.मा.वि	30.9.97	100	100
		सीमलवाडा	39	डूँका	बालक	सी.मा.वि	1.7.85	100	100
			40	बडगामा	बालक	सी.मा.वि	1.7.91	50	50
			41	झलाप	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	50	25
			42	पीठ	बालक	सी.मा.वि	26.8.97	50	50
			43	सीमलवाडा	बालक	सी.मा.वि	24.9.98	100	100
			44	रास्तापाल	बालक	सी.मा.वि	24.8.97	75	50
			45	सीमलवाडा	बालिका	सी.मा.वि	15.8.91	100	100
			46	चीखली	बालिका	सी.मा.वि	1.7.2004	100	100
			47	बांसिया	बालिका	सी.मा.वि	1.7.2012	75	50
				कुल 47 31 बालक 16 बालिका				3455	3102

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र.		वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
3.	उदयपुर	लसाडिया	1	लसाडिया	बालक	सी.मा.वि	29.6.81	80	80
			2	कालीभीत	बालक	सी.मा.वि	29.1.97	50	50
			3	लसाडिया	बालिका	सी.मा.वि	1.6.03	50	50
		कोटडा	4	मालवा का चौरा	बालक	सी.मा.वि	21.4.88	95	95
			5	मामेर	बालक	सी.मा.वि	16.3.78	100	100
			6	जेड	बालक	मा.वि	11.6.97	50	50
			7	मेरपुर	बालिका	मा.वि	20.3.99	65	65
			8	कोटडा	बालिका	सी.मा.वि	1.7.11	75	59
		गोगुन्दा	9	समीजा	बालक	सी.मा.वि	3.12.04	50	50

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	क.		वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
			10	पीपलीखेडा	बालिका	सी.मा.वि	24.2.09	50	50
		सलूम्बर	11	भबराना	बालक	सी.मा.वि	10.85	100	100
			12	ईटालीखेडा	बालक	सी.मा.वि	17.8.91	50	50
			13	करावली	बालक	सी.मा.वि	17.3.90	50	50
			14	सलूम्बर	बालिका	सी.मा.वि	1.7.01	100	100
			15	जैताणा	बालिका	सी.मा.वि	1.8.02	50	50
			16	गिंगला	बालिका	सी.मा.वि.	15–16	50	50
		झाडोल	17	झाडोल	बालक	सी.मा.वि	2.1.84	100	100
			18	बाघपुरा	बालक	सी.मा.वि	12.9.97	50	50
			19	ढीमडी	बालक	सी.मा.वि	12.12.89	70	70
			20	ओडा	बालक	सी.मा.वि	1.2.97	40	40
			21	नालवा	बालक	उ.मा.वि	1.8.97	40	40
			22	गोराणा	बालक	सी.मा.वि	27.1.97	40	40
			23	डैया	बालक	सी.मा.वि	30.1.97	50	50
			24	मादडी	बालक	सी.मा.वि	11.2.04	50	50
			25	अम्बासा	बालक	मा.वि	24.12.86	80	80
			26	फलासिया	बालिका	सी.मा.वि	18.12.82	80	80
			27	बिरोठी	बालिका	सी.मा.वि	29.11.04	60	60
			28	झाडोल	बालिका	सी.मा.वि	1.7.11	75	50
			29	अम्बासा	बालिका	मा.वि	1.7.95	50	50
			30	पानरवा	बालिका	सी.मा.वि	2.8.06	50	50
		खैरवाडा	31	सरेरा	बालक	मा.वि	27.1.97	25	25
			32	बावलवाडा	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	50	50
			33	पाटिया	बालक	सी.मा.वि	25.2.97	40	40
			34	आडिवली	बालक	मा.वि	27.1.97	40	40
			35	छाणी	बालिका	सी.मा.वि	23.12.83	100	100
			36	कनबई	बालिका	सी.मा.वि	3.12.04	75	75
			37	सारोली	बालिका	सी.मा.वि	21.7.06	50	50
			38	खैरवाडा	बालिका	सी.मा.वि	1.7.11	50	50
			39	गोहावाडा	बालिका	सी.मा.वि.	15–16	25	25
			40	बलीचा	बालक	मा.वि	4.8.06	50	50
		ऋषभदेव	41	कोजावाडा	बालक	मा.वि	5.8.91	50	50
			42	कल्याणपुर	बालक	मा.वि	12.1.97	40	40
			43	ढेलाना	बालक	सी.मा.वि	5.8.06	50	50
			44	ऋषभदेव	बालिका	सी.मा.वि	2.10.97	100	100
			45	सागवाडा की पाल	बालिका	मा.वि	1.8.06	75	75
		गिर्वा	46	टीडी	बालक	सी.मा.वि	2.12.04	50	50
			47	बारापाल	बालक	मा.वि	26.1.97	40	40
			48	प्रति.फतेह स्कूल, उदयपुर	बालक	सी.मा.वि	1.3.90	50	50

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र.		वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
			49	प्रति.झामर कोटडा	बालक	मा.वि	1.8.91	50	50
			50	कस्तूरबा (मधुबन), उदयपुर	बालिका	सी.मा.वि	18.11.97	100	100
			51	उमरडा	बालिका	मा.वि	1.7.02	50	50
			52	बच्छार	बालिका	मा.वि	1. 7.11	50	50
		सराडा	53	सराडा	बालक	सी.मा.वि	10.7.87	50	50
			54	केजड	बालक	सी.मा.वि	10.9.91	50	50
			55	झाओल (सराडा)	बालक	सी.मा.वि	12.1.98	50	50
			56	परसाद	बालक	सी.मा.वि	3.1.98	50	50
			57	चावण्ड	बालिका	सी.मा.वि	13.10.98	75	75
			58	अदवास	बालिका	मा.वि	1.8.03	75	50
			59	सराडा	बालिका	सी.मा.वि	15.7.06	50	50
			60	टोकर	बालक	सी.मा.वि	18.2.97	25	25
			61	भौराईपाल	बालक	सी.मा.वि	12.2.97	50	50
				कुल 61 36 बालक 25 बालिका				3585	3519

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
4.	सिरोही	आबूरोड	1	मीन तलेटी	बालक	मा.वि	1997	80	80
			2	दोयतरा	बालक	मा.वि	1998	130	130
			3	गिरवर	बालक	सी.मा.वि	1983	130	130
			4	सियावा	बालक	मा.वि	1987	50	50
			5	कियरली	बालक	सी.मा.वि	1988	50	50
			6	सांतपुर	बालक	सी.मा.वि	1986	100	100
			7	ओर	बालक	मा.वि	1997	75	50
			8	आमथला	बालक	सी.मा.वि	2011	50	50
			9	मानपुर	बालिका	सी.मा.वि	1996	120	120
				कुल – 9 8 बालक 1 बालिका				785	760

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
5.	प्रतापगढ	प्रतापगढ	1	देवगढ	बालक	सी.मा.वि	15.7.81	80	80
			2	थडा	बालक	सी.मा.वि	8.11.87	100	100
			3	डोरी	बालक	मा.वि	15.7.90	80	80
			4	धमोत्तर	बालक	सी.मा.वि	2.3.97	75	75
			5	बारावरदा	बालक	मा.वि	26.5.97	50	50
			6	गन्धेर	बालक	मा.वि	3.3.97	50	50
			7	कुलथाना	बालक	सी.मा.वि	3.3.97	50	50

क.सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित छात्र–छात्रा
			8	प्रतिभावान प्रतापगढ	बालक	सी.मा.वि	15.8.97	50	50
			9	प्रतापगढ	बालक	सी.मा.वि	21.7.04	50	50
			10	देवगढ	बालिका	मा.वि	21.7.04	50	50
			11	कुलथाना	बालिका	सी.मा.वि	18.7.04	50	50
			12	प्रतापगढ	बालिका	सी.मा.वि	20.7.95	100	100
			13	अवलेश्वर	बालिका	सी.मा.वि	21.7.04	50	50
			14	लोहारिया	बालिका	मा.वि	2006	50	50
			15	थडा	बालिका	सी.मा.वि	12–13	75	75
			16	बारावरदा	बालिका	सी.मा.वि	12–13	50	50
		अरनोद	17	नागदी	बालक	मा.वि	13.7.90	80	80
			18	अरनोद	बालक	सी.मा.वि	15.7.90	80	80
			19	सालमगढ	बालक	सी.मा.वि	3.2.97	50	50
			20	दलोट	बालक	सी.मा.वि	12.1.98	75	75
			21	जांजली	बालक	मा.वि	7.11.97	75	50
			22	चूपना	बालक	सी.मा.वि	15.7.04	75	75
			23	बडी सॉंखथली	बालिका	सी.मा.वि	7.06	50	50
			24	सांखथली थाना	बालिका	मा.वि	15.7.04	50	50
			25	अरनोद	बालिका	सी.मा.वि	7.11	50	50
			26	दलोट	बालिका	सी.मा.वि	20.7.96	100	100
		पीपलखूँट	27	पीपलखूँट	बालक	सी.मा.वि	20.7.96	130	130
			28	घन्टाली	बालक	सी.मा.वि	1.4.97	50	50
			29	सुहागपुरा	बालक	सी.मा.वि	15.7.81	100	100
			30	रामपुरिया	बालक	सी.मा.वि	8.11.83	100	100
			31	डूंगलावानी	बालिका	मा.वि	22.7.04	50	50
			32	पीपलखूँट	बालिका	सी.मा.वि	5.10.06	75	75
			33	सुहागपुरा	बालिका	सी.मा.वि	15.7.02	75	75
			34	पण्डावा	बालिका	मा.वि	1.7.02	50	50
		धरियावद	35	गोठडा	बालक	मा.वि	1.1179	80	80
			36	पारसोला	बालक	सी.मा.वि	1.6.98	75	75
			37	पारसोला	बालिका	सी.मा.वि	7.11	50	50
			38	धरियावद	बालिका	सी.मा.वि	15.1.88	70	70
			39	खून्ता	बालिका	सी.मा.वि	2012–13	75	75
				कुल – 39 21 बालक 18 बालिका				2675	2650
				अनुसूचित क्षेत्र में कुल छात्रावास– 216 121– बालक छात्रावास 95 – बालिका छात्रावास					

माडा क्षेत्र

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र. सं.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा का स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित
1	भीलवाड़ा	जहाजपुर	1	लुहारीकलां	बालक	सी.मा.वि.	1983-84	90	90
		माडलगढ़	2	श्यामपुरा	बालक	सी.मा.वि.	1991-92	50	50
		जहाजपुर	3	धौड	बालिका	सी.मा.वि	2013-14	50	50
2	चित्तोड़गढ़	बड़ी सादड़ी	4	मुझवा	बालक	सी.मा.वि.	1989-90	100	100
		भेंसरोड़गढ़	5	लक्ष्मीपुरा	बालक	सी.मा.वि.	1989-90	100	65
		भेंसरोड़गढ़	6	रावतभाटा	बालिका	सी.मा.वि.	2003-04	50	50
3	जयपुर	चाकसू	7	ठीकरिया मीना	बालक	मा.वि.	1983-84	50	43
		जमवारामगढ़	8	दतालामीना	बालक	मा.वि.	1984-85	50	27
		आमेर	9	ढण्ड	बालक	मा.वि.	1983-84	50	31
		बस्सी	10	झर	बालिका	मा.वि.	1983-84	50	48
			11	जयराम का वास	बालिका	मा.वि.	2008-09	50	21
			12	खतेपुरा	बालिका	सी.मा.वि		50	26
			13	अणतपुरा	बालिका	सी.मा.वि		50	27
			14	हरडी	बालिका	सी.मा.वि		50	43
			15	पाटन	बालिका	सी.मा.वि		50	22
			16	गुढा मीना	बालिका	सी.मा.वि		50	40
			17	लालगढ	बालिका	सी.मा.वि		50	31
		चाकसू	18	भगवतसर कांकरिया	बालिका	सी.मा.वि		50	22
			19	गिरधारीलाल पुरा	बालिका	सी.मा.वि		50	29
4	दौसा	लालसोट	20	रालावास	बालक	मा.वि.	1983-84	100	64
			21	बिलोनीकला	बालक	सी.मा.वि.	2003-04	50	44
		दौसा	22	काली पहाडी	बालक	मा.वि.	1982-83	100	63
		सिकराय	23	घूमना	बालक	मा.वि.	1983-84	50	50
		महूवां	24	उकरून्द	बालक	मा.वि.	1989-90	100	50
		बान्दीकुई	25	निहालपुरा	बालक	मा.वि.	1994-95	50	35
			26	भावता भावती	बालिका	मा.वि.	1983-84	100	67
			27	आलियापाडा	बालिका			50	34
		सिकराई	28	नान्दरी	बालिका	सी.मा.वि.	2003-04	50	50
		दौसा	29	मोहनपुरा	बालिका	सी.मा.वि		50	26
		महुवा	30	मोजापुरा	बालिका	सी.मा.वि		50	48
5	झालावाड़	बकानी	31	पचोला	बालक	मा.वि.	1984-85	50	50
		खानपुर	32	मउ बोरदा	बालक	मा.वि.	1984-85	50	50
6	पाली	बाली	33	भीमाना	बालक	सी.मा.वि.	1984-85	100	100
			34	दानवरली	बालक	मा.वि.	1989-90	100	100
7	सवाई माधोपुर	गंगापुर सिटी	35	वजीरपुर	बालक	सी.मा.वि.	1989-90	100	82
		सवाई माधोपुर	36	चौथ का बरवाडा	बालक	सी.मा.वि.	1984-85	100	88
		गंगापुर सिटी	37	डिब्सया	बालिका	सी.मा.वि		50	50
8	करौली	हिण्डोन	38	कटकड	बालक	सी.मा.वि.	1984-85	100	40
		टोडाभीम	39	नागल शेरपुर	बालक	सी.मा.वि.	1984-85	100	80
		सपोटरा	40	करणपुर	बालक	सी.मा.वि.	1989-90	50	50

			41	सपोटरा	बालिका	सी.मा.वि.	1984-85	100	100
9	सिरोही	पिण्डवाड़ा	42	मोरस	बालक	मा.वि.	1983-84	140	140
			43	स्वरूपगंज	बालक	सी.मा.वि.	1989-90	50	50
			44	आपरीखेडा	बालिका	मा.वि.	1989-90	100	100
10	बुन्दी	नैनवा	45	पेंच की बावडी	बालक	सी.मा.वि.	1991-92	50	50
11	उदयपुर	गोगुन्दा	46	रावछ	बालक	मा.वि.	1987-88	100	57
		भीण्डर	47	भरडिया	बालक	सी.मा.वि.	1987-88	100	97
		गोगुन्दा	48	छाली	बालिका	मा.वि.	2003-04	50	37
12	राजसमन्द	कुम्भलगढ़	49	केलवाडा	बालिका	सी.मा.वि.	2006-07	50	43
13	कोटा	लाडपुर	50	मण्डाना	बालिका	सी.मा.वि.	2006-07	50	50
14	टोंक	देवली	51	राजकोट	बालिका	सी.मा.वि		50	35
15	अलवर	राजगढ़	52	राजगढ	बालिका	सी.मा.वि.	1984-85	100	49
			53	दुब्बी	बालिका	सी.मा.वि		50	49
			54	मल्लाना	बालिका	सी.मा.वि		50	32
			55	पालपुर	बालिका	सी.मा.वि		50	30
			56	टोडा जयसिंहपुरा	बालिका	सी.मा.वि		50	48
			57	नाथलवडा	बालिका	सी.मा.वि		50	42
		रेणी	58	रेणी	बालिका	सी.मा.वि.	1984-85	100	60
		थानागाजी	59	थानागाजी	बालिका	सी.मा.वि.	1987-88	100	45
16	प्रतापगढ़	छोटीसादड़ी	60	धोलापानी	बालिका	सी.मा.वि.	1982-83	140	90
माडा में कुल 60 छात्रावास 27 बालक छात्रावास 33 बालिका छात्रावास					योग			4170	3240

बिखरी क्षेत्र

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	क्र. सं.	आश्रम छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा का स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित
1	प्रतापगढ	छोटी सादड़ी	1	करजू	बालिका	सी.मा.वि.	2004-05	50	50
2	जयपुर	बस्सी	2	ग्वालिनी	बालिका	सी.मा.वि.	2004-05	50	40
		बस्सी	3	बडवा	बालिका	सी.मा.वि.		50	47
3	बुन्दी	तालेड़ा	4	डाबी	बालिका	मा.वि.	2003-04	50	50
		केशोरायपाटन	5	खटकड	बालिका	सी.मा.वि.		50	25
4	उदयपुर	गिर्वा	6	बम्बोरा	बालक	सी.मा.वि.	2010-11	50	50
		भीण्डर	7	भीण्डर	बालिका	मा.वि.	2006-07	50	50
5	राजसमन्द	राजसमन्द	8	राजसमन्द	बालक	सी.मा.वि.	2006-07	50	50
		खमनोर	9	सेमा	बालिका	सी.मा.वि.	2003-04	50	42
6	अलवर	थानागाजी	10	क्यारा	बालिका	सी.मा.वि.		50	30
		राजगढ	11	टहला	बालिका	सी.मा.वि.		50	30
7	जोधपुर	शेरगढ	12	शेरगढ	बालिका	सी.मा.वि.		50	30
8	धोलपुर	बसेडी	13	आगई	बालिका	सी.मा.वि.		50	50
9	बारां	अन्ता	14	बटावदी	बालिका	सी.मा.वि.		50	50
10	स.माधोपुर	बौली	15	बौली	बालिका	सी.मा.वि.		50	50
11	चित्तौडगढ	बेगू	16	काटून्दा	बालिका	सी.मा.वि.		50	33
बिखरी क्षेत्र में कुल 16 छात्रावास 2 बालक छात्रावास 14 बालिका छात्रावास						योग		800	677

सहरिया क्षेत्र

क्र.सं.	आश्रम छात्रावास का नाम	पंचायत समिति	वर्ग	छात्र क्षमता	प्रवेशित छात्र संख्या
1	आगर	शाहबाद	छात्र	25	25
2	कस्बाथाना	शाहबाद	छात्र	40	40
3	चौराखाडी	शाहबाद	छात्र	25	25
4	खाण्डासहरोल	शाहबाद	छात्र	25	25
5	राजपुर	शाहबाद	छात्र	50	50
6	बमनगवाँ	शाहबाद	छात्र	50	50
7	शाहबाद	शाहबाद	छात्र	50	50
8	देवरी	शाहबाद	छात्र	50	50
9	समरानियाँ	शाहबाद	छात्र	65	65
10	केलवाडा	शाहबाद	छात्र	50	50
11	खण्डेला	किशनगंज	छात्र	25	25
12	किशनगंज	किशनगंज	छात्र	65	65
13	भँवरगढ	किशनगंज	छात्र	65	65
14	गरडा	किशनगंज	छात्र	65	65
15	रेलावन	किशनगंज	छात्र	50	50
16	बिलासगढ	किशनगंज	छात्र	65	65
17	बजरंगगढ	किशनगंज	छात्र	40	40
18	बारॉ	बारॉ	छात्र	65	65
19	हाटरी	शाहबाद	छात्र	25	25
20	अटरू	अटरू	छात्र	50	50
21	शाहबाद	शाहबाद	छात्रा	65	65
22	केलवाडा	शाहबाद	छात्रा	65	57
23	समरानियाँ	शाहबाद	छात्रा	50	50
24	घट्टटी	किशनगंज	छात्रा	65	65
25	नाहरगढ	किशनगंज	छात्रा	50	50
26	बारॉ	बारॉ	छात्रा	65	65
27	रामगढ़	किशनगंज	छात्रा	50	50
योग				**1355**	**1347**
सहरिया क्षेत्र में कुल 27 छात्रावास 20 बालक छात्रावास 7 बालिका छात्रावास					

विभाग द्वारा संचालित कुल आश्रम छात्रावास- 319

बालक- 170

बालिका- 149

आश्रम छात्रावासो में प्रवेश की स्थिति (सत्र 2015–16)

क्र. स	जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेशित क्षमता	कुल प्रवेशित	बालक	बालिका
अ	अनुसूचित क्षेत्र							
1	उदयपुर	61	36	25	3585	3519	1955	1564
2	बांसवाडा	60	25	35	4375	4175	1975	2200
3	प्रतापगढ	39	21	18	2675	2650	1530	1120
4	डूंगरपुर	47	31	16	3455	3102	2030	1072
5	आबूरोड	9	8	1	785	760	640	120
ब	माडा	60	27	33	4170	3240	1746	1494
स	बिखरी	16	2	14	800	677	100	577
द	सहरिया	27	20	7	1355	1347	945	402
	योग	**319**	**170**	**149**	**21200**	**19470**	**10921**	**8549**

अनुसूचित क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों में क्षमता का जिलेवार विवरण

जिला	क्षमतानुसार छात्रावासों की संख्या															योग	वर्ग	
	25	40	50	60	65	70	75	80	95	100	110	120	125	130	140		बालक	बालिका
बांसवाडा	-	-	32	-	-	-	11	-	-	15	-	-	2	-	-	60	25	35
डूंगरपुर	2	-	28	-	3	-	-	13	-	-	-	-	-	1	-	47	31	16
उदयपुर	3	7	33	1	1	1	4	3	1	7	-	-	-	-	-	61	36	25
प्रतापगढ	-	-	19	-	-	1	8	5	-	5	-	-	-	1	-	39	21	18
सिरोही (आबूरोड)	-	-	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	9	8	1
योग	**5**	**7**	**116**	**1**	**4**	**2**	**23**	**22**	**1**	**28**	**0**	**1**	**2**	**4**	**0**	**216**	**121**	**95**

विभाग द्वारा (ज.क.नि.) संचालित आवासीय विद्यालय सत्र (2015–16)

अनुसूचित क्षेत्र

क्र. स	जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेशित क्षमता	कुल प्रवेशित	बालक	बालिका
1	उदयपुर (सलुम्बर)	1	0	1	350	330	0	330
2	बांसवाडा (हर्रेंग जी का खेडा)	1	0	1	150	150	0	150
3	प्रतापगढ (प्रतापगढ)	1	1	0	350	350	350	0
4	डूंगरपुर (सागवाडा)	1	0	1	210	190	0	190
	योग	**4**	**1**	**3**	**1060**	**1020**	**350**	**670**

माडा क्षेत्र

क्र. स	जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेशित क्षमता	कुल प्रवेशित	बालक	बालिका
1	दौसा (नया गांव महुआ)	1	1	0	210	180	180	0
2.	झालावाडा (झालरापाटन)	1	1	0	210	153	153	0
	योग	**2**	**2**	**0**	**420**	**333**	**333**	**0**

सहरिया क्षेत्र

क्र. स	जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेशित क्षमता	कुल प्रवेशित	बालक	बालिका
1.	शाहबाद (बालिका)	1	0	1	150	142	0	142
2.	किशनगंज (बालिका)	1	0	1	210	209	0	209
3.	रामगढ (बालक)	1	1	0	150	145	145	0
	योग	**3**	**1**	**2**	**510**	**496**	**145**	**351**

विभाग द्वारा संचालित कुल आवासीय विद्यालय – 9

बालक – 4

बालिका – 5

विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल पब्लिक स्कूल (सत्र 2015–16)

अनुसूचित क्षेत्र

क्र. स	जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेशित क्षमता	कुल प्रवेशित	बालक	बालिका
1	उदयपुर (कोटडा, खैरवाडा)	2	2	0	700	621	621	0
2	बांसवाडा (कुशलगढ) (पाडोला)	2	1	1	470	470	410	60
3	प्रतापगढ (टिमरवा)	1	0	1	120	120	0	120
4	डूंगरपुर (सीमलवाडा)	1	1	0	350	328	328	0
5	आबूरोड (दानवाव)	1	1	0	350	325	325	0
	योग	**7**	**5**	**2**	**1990**	**1864**	**1684**	**180**

माडा क्षेत्र

क्र.स	जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेशित क्षमता	कुल प्रवेशित	बालक	बालिका
1	टोंक (निवाई)	1	0	1	350	333	0	333

सहरिया क्षेत्र

क्र.स	जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेशित क्षमता	कुल प्रवेशित	बालक	बालिका
1	बारा (शाहबाद)	1	1	0	350	350	350	0

विभाग द्वारा संचालित कुल ई.एम.आर.एस. – 9

बालक– 6

बालिका– 3

विभाग द्वारा में संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्सियल स्कूल (सत्र 2015–16)

क्र. स	जिला का नाम	वर्तमान में संचालित कुल छात्रावास	बालक	बालिका	प्रवेशित क्षमता	कुल प्रवेशित	बालक	बालिका
1	उदयपुर (ढीकली)	1	0	1	210	210	0	210
2	डूंगरपुर (सुरपुर)	1	1	0	210	206	206	0
	योग	2	1	1	**420**	**416**	**206**	**210**

विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावास (सत्र 2015–16)

क.सं.	जिला	क.सं.	खेल छात्रावास का नाम	वर्ग	शिक्षा का स्तर	चालू वर्ष	प्रवेश क्षमता	प्रवेशित संख्या
1	बाँसवाड़ा	1	एकलव्य खेल छात्रावास, लोधा	बालक	सी.मा.वि.	2.8.1996	100	100
		2	तलवाड़ा	बालिका	सी.मा.वि.		50	50
2	उदयपुर	3	खैरवाड़ा	बालक	सी.मा.वि.	10/2003	50	50
		4	सरदारपुरा	बालक	सी.मा.वि.	9/9/2003	50	50
		5	मधुवन	बालिका	सी.मा.वि.		50	50
		6	तीरन्दाजी ऐकेडमी खेलगांव	बालक	सी.मा.वि.		50	50
3	डूंगरपुर	7	डूंगरपुर	बालक	सी.मा.वि.		50	50
		8	पुनाली	बालिका	सी.मा.वि.		50	50
4	प्रतापगढ़	9	प्रतापगढ़	बालक	सी.मा.वि.		50	50
		10	प्रतापगढ़	बालिका	सी.मा.वि.		50	46
5	सिरोही	11	आबुरोड (सान्तपुर)	बालक	सी.मा.वि.		50	50
		12	सान्तपुर	बालिका	सी.मा.वि.		50	50
योग (12 खेल छात्रावास)							650	646

विभाग द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	पद	अनुसूचित क्षेत्र	गैर अनुसूचित क्षेत्र (माडा)	गैर अनुसूचित क्षेत्र (बिखरी)	सहरिया क्षेत्र	योग
1	अधीक्षक	233	60	16	27	336
2	कोच	112	33	14	14	173
	योग	345	93	30	41	509

विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयो में (ज.क.नि.)स्वीकृत पदों का विवरण

पद नाम	जिलेवार स्वीकृत पदों का विवरण									
	बांसवाडा	डूंगरपुर	प्रतापगढ	उदयपुर	बारां			दौसा	झालावाडा	
आ0वि0 का नाम	घाटोल	सागवाडा	प्रतापगढ	सलूम्बर	किशनगंज	शाहबाद	रामगढ	महुआ	झालरा पाटन	योग
प्रधानाचार्य	1	1	1	1	-	-	-	1	1	6
उप प्रधानाचार्य	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3
स्कूल व्याख्याता	5	5	8	5	5	-	-	5	5	38
वरिष्ठ अध्यापक	7	7	9	9	7	4	3	7	7	60
छात्रावास अधीक्षक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
पुस्तकालाध्यक्ष	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
शारीरिक शिक्षक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
लिपिक ग्रेड –I	1	1	1	-	0	0	0	0	0	3
लिपिक ग्रेड –II	-	-	1	2	1	1	1	1	1	8
प्रयोग शाला सहायक	2	2	2	2	-	-	-	-	-	8
प्रयोग शाला परिचालक	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
योग	19	19	26	22	17	9	8	17	17	154

विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (संविधान का अनुच्छेद 275(1) मद अन्तर्गत) में स्वीकृत पद

पद नाम	अनुसूचित क्षेत्र							गैर अनुसूचित क्षेत्र (माडा)				सहरिया क्षेत्र
	आबूरोड	उदयपुर		प्रतापगढ	बांसवाडा		डूंगरपुर	बारा	टौंक	जयपुर	अलवर	बारा
	दानवाव	कोटडा	खैरवाडा	प्रतापगढ	कुशलगढ	पाडोला	सीमलवाडा	हेनोतिया	निवाई	बिहारीपुरा	मल्लाना	शाहबाद
प्रधानाचार्य	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	1
उप प्रधानाचार्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
प्रधानाध्यापक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
स्कूल व्याख्याता	8	8	5	-	8	-	8	8	8	-	-	8
वरिष्ठ अध्यापक	9	9	9	4	9	7	9	9	18	7	7	9
छात्रावास अधीक्षक	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1
पुस्तकालाध्यक्ष	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1
शारीरिक शिक्षक	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
लिपिक ग्रेड –I	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
लिपिक ग्रेड –II	2	2	2	-	1	1	2	2	2	1	1	1
प्रयोग शाला सहायक	2	2	2	-	2	-	2	2	2	-	-	2
प्रयोग शाला परिचालक	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1
योग	**27**	**27**	**23**	**6**	**26**	**12**	**27**	**27**	**27**	**12**	**13**	**27**

विभाग द्वारा संचालित मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल (ज.क.नि.) में स्वीकृत पद

पद नाम	जिला		योग
	डूंगरपुर (सुरपुर) विद्यालय	उदयपुर (ढिकली) विद्यालय	
प्रधानाचार्य	1	1	2
स्कूल व्याख्याता	5	5	10
वरिष्ठ अध्यापक	7	7	14
छात्रावास अधीक्षक	1	1	2
पुस्तकालाध्यक्ष	1	1	2
शारीरिक शिक्षक	1	1	2
कम्प्यूटर अध्यापक द्वितीय श्रेणी	1	1	2
लिपिक ग्रेड –II	1	1	2
प्रयोग शाला सहायक	2	2	4
योग	**20**	**20**	**40**

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

जयपुर, दिनांक 16-09-2013

अधिसूचना

राजस्थान के राज्यपाल द्वारा दिये गये निम्नलिखित निर्देश सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं।

निर्देश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, मार्ग्रेट आल्वा, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देती हूँ कि किसी भी अन्य प्रवृत्त आदेश या नियम या विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 18(2)80–एल–1 दिनांक 12.02.81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जन जातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। इन क्षेत्रों में शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जायेगी।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों की भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :–

1. जहाँ भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर की जानी हो, वहाँ ऐसे समस्त रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के लिये आरक्षित की जायेंगी एवं शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जायेंगी।

2. जहाँ भर्ती जिला स्तर पर की जाती हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जानी हो, वहाँ अनुसूचित खण्ड के लिये रिक्तियाँ प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी जो जिलों के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के एवं 5 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जातियों के, स्थानीय सदस्यों से तथा शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जायेंगी।

3. जहाँ भर्ती राज्य स्तर पर की जाती हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जानी हो, वहाँ अनुसूचित क्षेत्र के लिये रिक्तियाँ प्रकल्पित रूप से उस अनुपात के आधार पर अवधारित की जायेंगी जो राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित खण्डों की कुल जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है। इस प्रकार प्रकल्पित रूप से अवधारित रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के एवं 5 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जातियों के, स्थानीय सदस्यों से तथा शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित पद मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जायेंगी।

4. यदि अनुसूचित क्षेत्र के एक जिले में उपलब्ध रिक्तियों को भरते समय 45 प्रतिशत स्थानीय अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र को एक इकाई के रूप में मानकर किसी जिले/ उपखण्ड/विकास खण्ड स्तर पर कोई रिक्ति है और उस जिले/ उपखण्ड / विकास खण्ड में जनजाति का योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र के अन्य जिलों/ विकास खण्डों में उपलब्ध स्थानीय जनजाति के योग्य

अभ्यर्थियों से ऐसी रिक्तियाँ भरी जायेंगी ताकि 45 प्रतिशत विशेष आरक्षण रखे जाने के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

5. राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर अनुसूचित खण्डों की रिक्तियों से भिन्न राज्य / जिले की शेष रिक्तियाँ विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिये 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिये 16 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिये 21 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिये 1 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी।

ह0/-
(मार्गरेट आल्वा)
राज्यपाल, राजस्थान
(सं. एफ.1(20)कार्मिक/क-2/91/पार्ट)

(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

40/2013

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 2(1)कार्मिक/क–2/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 16 APR 2015

1. संभागीय आयुक्त, उदयपुर/जोधपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. जिला कलेक्टर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूँगरपुर, बाँसवाड़ा, राजसमन्द, सिरोही।

विषयः– अनुसूचित क्षेत्र में अजा/अजजा को आरक्षण दिये जाने के क्रम में।
प्रसंगः– कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 13(20)कार्मिक/क–2/91 पार्ट 16.06.2013

महोदय,

आपका ध्यान कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 13(20)कार्मिक/क–2/91 पार्ट 16.06.2013 की ओर आकर्षित कर यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिसूचना द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजातियों हेतु 45 प्रतिशत एवं इसी क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जातियों हेतु 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान सीधी भर्ती के पदों हेतु निर्धारित किया गया है। शेष 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरी जायेंगी।

यहाँ यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अधिसूचना द्वारा 50 प्रतिशत रिक्तियाँ अनारक्षित मानते हुए स्थानीय निवासियों से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। इन पदों को नियमानुसार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित नहीं माना जा सकता है। चूँकि यह 50 प्रतिशत पद किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित नहीं हैं। अतः इन पदों पर अनुसूचित क्षेत्र के किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति का वरीयता क्रम में योग्यता के आधार पर नियमानुसार चयन किया जा सकता है, चाहे वे अनुसूचित जाति के हों अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य किसी वर्ग के, या फिर सामान्य वर्ग से सम्बन्धित। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस अधिसूचना से 50 प्रतिशत पद सामान्य वर्ग विशेष हेतु आरक्षित नहीं है।

कृपया उक्त स्थिति सभी सम्बन्धित के ध्यान में ला दी जावे तथा उत्पन्न होने वाली किसी भी आशंका का उक्तानुसार निराकरण करवाया जावे। यदि उक्त स्पष्टीकरण के पश्चात् किसी भी बिंदु पर अधिक जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया अधोहस्ताक्षरकर्ता से तत्काल संपर्क करने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

आयुक्त
प्रेषित ...... आवक संख्या 27.4.2015

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.15(2)गृह–9/2011 जयपुर, दिनांक 19–07–2013

आज्ञा

इस कार्यालय की आज्ञा क्रमांक प.15(1)32(गृह–5)/61 पार्ट दिनांक 10.4.1990 व आज्ञा क्रमांक प. 15/1(32)गृह–9/61 पार्ट दिनांक 26.8.2012 द्वारा मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिये दिशानिर्देश जारी किये गये थे ।

मूल निवास प्रमाण पत्र विभिन्न प्रयोजनों हेतु अपेक्षित होता है यथा–

1. शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हेतु
2. योग्यता छात्रवृत्ति हेतु आवेदन हेतु
3. नियोजन प्रयोजनों हेतु
4. भूमि आवंटन हेतु

कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियाँ अनुसूचित जनजातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यार्थियों से भरे जाने की अधिसूचना जारी की गई है अर्थात जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों (मूल निवासियों) हेतु ही उक्त 45 प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं ।

उक्त आरक्षण का लाभ जनजाति उपयोजना क्षेत्र के स्थानीय आदिवासियों को ही मिल सके इस हेतु राज्य सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना

क्षेत्र के आदिवासियों (मूल निवासी) को विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है । यह प्रमाण पत्र राज्य के पाँच जिलों यथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर प्रतापगढ़ एवं सिरोही के जनजाति उपयोजना क्षेत्र में ही जारी किये जायेंगे ।

उक्त विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र उन्हीं आदिवासियों को जारी किया जायेगा जिनके परिवार जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कम से कम 25 वर्ष से निवास कर रहे हैं । 25 वर्ष के निवास के निर्धारण हेतु निम्न अभिलेखों को आधार बनाया जा सकता है:-

1. मतदाता सूची की प्रति
2. भूअभिलेखों की प्रति
3. इसके अतिरिक्त विश्वसनीय अभिलेखीय प्रमाण

यह विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र सामान्य रूप से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र से अलग होगा । जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिये उपरोक्त रूप से उल्लेखित भर्तियों के लिये विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होगा । पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अंतर्गत जारी किये गये/जारी किये जाने वाले साधारण मूल निवास प्रमाण पत्र अब जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आदिवासियों हेतु आरक्षित 45 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होंगे । विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र इस आज्ञा में प्रारम्भ में वर्णित विभिन्न प्रयोजनों हेतु भी उपयोग में लाया जा सकेगा अर्थात विशेष मूल निवास प्रमाण

पत्रधारक को पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत साधारण मूल निवास प्रमाण पत्र अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

उक्त विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक प.15/1(22)गृह-9/61 भाई दिनांक 18.8.2012 से उल्लेखित अधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकेगा । विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है ।

संलग्न: उपरोक्तानुसार (सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट्स हेतु)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार ।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल कार्यालय, जयपुर ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार ।
5. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रचार हेतु प्रकाशनार्थ
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर ।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, जयपुर ।
8. उप सचिव, गृह (समन्वय) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
9. जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा/डूंगरपुर/उदयपुर/प्रतापगढ़ एवं सिरोही ।
10. जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा/डूंगरपुर/उदयपुर/प्रतापगढ़ एवं सिरोही ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.15(2)गृह–9/2011 जयपुर, दिनांक 09/09/2013

आज्ञा

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.19(2)80–एल–1 दिनांक 12–02–81 द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के स्थानीय आदिवासियों को अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आरक्षित पदों में नियुक्ति के लाभ हेतु इस कार्यालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 19–07–2013 द्वारा विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये थे।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं. एफ.13(20)कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 16–06–2013 द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 50 प्रतिशत (45% अनुसूचित जन जाति एवं 5% अनुसूचित जातियों के लिये) आरक्षित पदों के अतिरिक्त 50 प्रतिशत अनारक्षित पदों पर केवल स्थानीय निवासियों को नियुक्ति प्रदान की जावेगी।

उपरोक्त रूप से उल्लिखित अनारक्षित पदों पर भर्तियां भी स्थानीय निवासियों से किये जाने की अनिवार्यता के कारण विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय आदिवासियों (मूल निवासी) के अतिरिक्त उक्त क्षेत्र के गैर आदिवासी स्थानीय निवासियों (मूल निवासी) को भी जारी किया जा सकेगा। इस विभाग द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत जारी किये गये/जारी किये जाने वाले साधारण मूल निवास प्रमाण–पत्र अब अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासियों से ही भरे जाने हेतु अनारक्षित 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होंगे। विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र शैक्षणिक व तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश हेतु, योग्यता छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु, नियोजन प्रयोजन हेतु व भूमि आवंटन हेतु भी उपयोग में लाया जा सकेगा। अर्थात् विशेष मूल निवास प्रमाण–पत्र धारक को पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी किये गये

आदेश के अन्तर्गत साधारण मूल निवास प्रमाण-पत्र अलग से बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त विशेष मूल निवास प्रमाण-पत्र इस कार्यालय द्वारा जारी आज्ञा क्रमांक प. 15/1(32)गृह-9/61 पार्ट दिनांक 28.8.2012 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकेगा व इस कार्यालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 19-07-2013 में उल्लिखित दिशा-निर्देश इस आज्ञा के तहत जारी किये जाने वाले विशेष मूल निवास प्रमाण-पत्र पर भी लागू होंगे। विशेष मूल निवास प्रमाण-पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार(सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट्स हेतु)

09/09/2013

(अशोक सम्पतराम)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल कार्यालय, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार।
5. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रचार हेतु प्रकाशनार्थ
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, जयपुर।
8. उप सचिव, गृह (सामान्य) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
9. जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा/डूंगरपुर/उदयपुर/प्रतापगढ़ एवं सिरोही।
10. जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा/डूंगरपुर/उदयपुर/प्रतापगढ़ एवं सिरोही।

09/09/2013

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग,

कर्मांक:प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट जयपुर दिनांक 12.9.07

निर्देश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.3.99 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि बारां जिले में सभी विभागों के वेतन श्रृंखला 1 से 6 के सभी पद, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के ग्राम सेवक (ग्रुप सचिव) (वेतन श्रृंखला 7) शिक्षा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सहायक अध्यापक (वेतन श्रृंखला 9), आयुर्वेद विभाग के कम्पाउण्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड (वेतन श्रृंखला 9), शिक्षा विभाग के शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III (वेतन श्रृंखला 9), की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियो से भरी जाएगी। शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य नियमों के अन्तर्गत अन्य अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो में निवासित सहरिया आदिम जाति जंगलो में दुर्गम स्थानो में निवास करती है इसलिये काफी पिछडी हुई है व सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते है अतः राज्य सरकार यह आदेश देती है कि बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत एवं अन्य पिछडी जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी। शेष 51 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य वर्ग के अभ्यार्थियों से भरी जायेगी।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदो पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी :-

1. यदि भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर हो वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलो की स्थानीय सहरिया जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
2. यदि भर्ती जिला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी जिला स्तर पर की जावे वहां 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
3. यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जावे तो शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलो की कुल जनसंख्या एवं राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर रिक्तियां प्रकल्पित की जाकर उन रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलो के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
4. यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो तो राज्य की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत एवं अन्य पिछडे वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(लोकनाथ सोनी)
शासन उप सचिव

परिशिष्ठ–20

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक:एफ.5(4)(1)सहरिया/टीएडी/2002/ दिनांक 25.11.2004

आदेश

राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र (जनजाति उपयोजना क्षेत्र) में निवासित अनुसूचित जनजातियों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त सभी आधारभूत सुविधाओं के मापदण्ड राज्य के बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के सहरिया क्षेत्र में भी तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

ह0

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिववालय, जयपुर की अ.शा. टीप दि. 3.11.04 की अनुपालना में।
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त विभाग)
4. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
5. जिला कलक्टर, बारां/उदयपुर/बांसवाडा/डूंगरपुर/सिरोही
6. परियोजना/उपपरियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा, उदयपुर, प्रतापगढ (चित्तौडगढ), आबूरोड (सिरोही)
7. परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर, सहरिया विकास समिति, शाहबाद जिला बारां

ह0
उपशासन सचिव

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक:एफ.5(4)(1)सहरिया/टीएडी/2002/ दिनांक: 30.9.05

आदेश

राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल परिवार) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं को बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में निवास करने वाले भील परिवारों के व्यक्तियों को भी उपलब्ध करवाया जावें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

ह0
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त विभाग)
4. श्रीअरिजीत बनर्जी, उपसचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय,जयपुर
5. आय-व्ययकअधिकारी वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक प.4 (356)वित्त-1(1)आ.व्य./04 दिनांक 12.9.05 केक्रम में सूचनार्थ प्रेषित है ।
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है किग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बी.पी.एल. परिवारोंको जो सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही है वे सभीसुविधायें उपलब्ध कराने कीव्यवस्था करवायें।
7. जिला कलक्टर, बांरा
8. परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर, सहरिया विकाससमिति, शाहबाद जिला बांरा

ह0
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्रमांक:एफ.5(4)(1)सहरिया/टीएडी/2002/ दिनांक: 25.10.05

आदेश

राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों (बीपीएल परिवार) को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं को कथौडी जनजाति एवं बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में निवास करने वाले सहरिया परिवारों के व्यक्तियों को भी उपलब्ध करवाया जावें। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

ह.
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्न कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर की अ.शा. टीप दि.3.11.04 की अनुपालना में
3. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (समस्त विभाग)
6. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बी.पी.एल. परिवारोंको जो सुविधाऐं उपलब्ध करवाई जा रही है वे सभी सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करवायें।
7. जिला कलक्टर, बांरा/उदयपुर
8. परियोजना अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर, सहरिया विकास समिति, शाहबाद जिला बांरा

ह.
उप शासन सचिव

बंद पड़ी जलोत्थान सिंचाई योजना जिन्हें पुनः चालू करवाया गया

क्र. सं.	जिला	जलोत्थान सिंचाई योजना का नाम/स्थान	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	लाभान्वित काश्तकारो की संख्या	सिंचित क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	वर्तमान स्थिति
1	प्रतापगढ	मगरी I	जोलर	प्रतापगढ	49	36.00	चालू
2	प्रतापगढ	रोहनखेडा	नकोर	प्रतापगढ	53	41.00	चालू
3	प्रतापगढ	रोजमगरी	नकोर	प्रतापगढ	74	60.00	चालू
4	प्रतापगढ	धावडा	गढामेडतिया	प्रतापगढ	49	41.00	चालू
5	प्रतापगढ	बिल्लीखेडा	सरीपीपली	प्रतापगढ	47	36.00	चालू
6	प्रतापगढ	छतरीखेडा प्रथम	कोटडी	प्रतापगढ	38	32.00	चालू
7	प्रतापगढ	सोली	मुवई	अरनोद	36	28.00	चालू
8	प्रतापगढ	टाण्डा का खेडा	चुपना	अरनोद	53	41.00	चालू
9	बांसवाडा	सतु की पादर	घाटोल	घाटोल	48	39.00	चालू
10	बांसवाडा	हमीरपुरा	बागीदौरा	बागीदौरा	58	50.00	चालू
11	बांसवाडा	पाटनवाघरा द्वितीय	अनन्दपुरी	आनन्दपुरी	63	51.00	चालू
12	उदयपुर	समीजा	समीजा	गोगुन्दा	0	0.00	चालू
13	उदयपुर	रिछावर	जेकडा	झाडोल	50	38.00	चालू
14	उदयपुर	कुकडाखेडा	मादडा	गोगुन्दा	16	21.99	चालू
15	डूँगरपुर	गुदलारा	गुदलारा	सिमलवाडा	102	40.32	चालू
16	डूँगरपुर	खाखरखईया	वालई	आसपुर	80	20.80	चालू
17	डूँगरपुर	हेरफला	दोलपुरा	आसपुर	83	41.28	चालू
18	डूँगरपुर	सांगोट	सांगोट	आसपुर	78	28.80	चालू
19	डूँगरपुर	रास्ता	रास्तापाल	सिमलवाडा	52	59.52	चालू
20	डूँगरपुर	दादघाटफला	बलुवाडा	सिमलवाडा	40	26.40	चालू
21	डूँगरपुर	मालीफला	मालीफला	सिमलवाडा	71	44.00	चालू
22	डूँगरपुर	उबली	गढामेडतिया	सिमलवाडा	24	24.00	चालू
23	डूँगरपुर	बावडी II	बावडी	सिमलवाडा	81	36.64	चालू
24	डूँगरपुर	साकरसी	साकरसी	सिमलवाडा	25	44.16	चालू
25	डूँगरपुर	गोरादा	देजा	बिछीवाडा	40	28.16	चालू
26	डूँगरपुर	गेंजी	गेंजी	बिछीवाडा	39	45.44	चालू
27	डूँगरपुर	अन्नपुरा	अन्नपुरा	सिमलवाडा	51	36.00	चालू
28	डूँगरपुर	मैथला	ग्याला	आसपुर	52	31.68	चालू
29	डूँगरपुर	मैथला – II	ग्याला	आसपुर	97	30.72	चालू
30	डूँगरपुर	सोमनदी	लेम्बाता	आसपुर	91	48.80	चालू

श्री अरूण झा, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मां-बाडी केन्द्र का दिनांक 23.10.15 को अवलोकन करते हुए

सहरिया आदिम जाति के युवक पारम्परिक नृत्य (स्वांग) का प्रदर्शन करते हुए

अनुसूचित क्षेत्र की प्रतिभाओं का जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह
(मॉडल पब्लिक रेजिडेन्सियल स्कूल, डीकली, जिला-उदयपुर में दिनांक 28.10.2015 को आयोजित)

राज्य स्तरीय जनजाति छात्रावास खेलकूद प्रतियोगिता
(जिला उदयपुर में दिनांक 08.01.16 से 10.01.16 तक आयोजित)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)

EPABX : 2428721-24 फेक्स : 0294-241417

ई–मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in